(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या 7

सोमवार,

दिनांक 26 फरवरी, 1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.02 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(विद्युत्, उपनिवेशन, सहकारिता, खादी ग्रामोद्योग, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, खनिज, आयुर्वेदिक, पंचायत एवं राजस्व विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

श्री जगमोहन सिंह

तहसील छबड़ा के गांवों को बिजली

120. **श्री जगमोहन सिंह** (छबड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि तहसील छबड़ा, जिला कोटा में छबड़ा कस्बे को छोड़कर अभी तक एक भी गांव में सिंचाई हेतु बिजली नहीं दी गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी नहीं, छबड़ा कस्बे के अतिरिक्त ग्राम बयोरा को भी बिजली दी हुई है।

श्री जगमोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि ग्राम बयोरा को बिजली अभी तक नहीं दी गई है और चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है। अब मंत्री महोदय बाकी गांवों को राज्य सरकार कब तक बिजली देने का विचार रखती है क्या मंत्री महोदय बतायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम किसी तहसील को आधार मानकर नहीं करते बल्कि डिस्ट्रिक्ट एज ए होल लेते हैं या स्टेट एज ए होल लेते हैं। जहां जहां पोटेन्शेलिटी ज्यादा है उसको ध्यान में रखकर देते हैं। अब आपने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है। आपकी तहसील की ओर मैं यह देखूंगा कि यह इतनी पीछे नहीं रहे। वैसे माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं निवेदन कर दूं कि कोटा डिस्ट्रिक्ट में 15 परसेन्ट इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है जबकि राजस्थान के अन्दर ऐसे इलाके भी हैं जहां 13 परसेन्ट हुआ है।

श्री जगमोहन सिंह : लेकिन मेरी तहसील उसी में आती है।

Page No 2

(2)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री शंकरलाल जाट !

गम्भीरी कमाण्ड एरिया में भूमि का अलाटमेंट

121. **श्री शंकर लाल जाट** (कपासन): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ के गम्भीरी कमाण्ड एरिया में अलाटमेंट कमेटी द्वारा अलाट की हुई भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों को जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ सुन रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो उन्होंने किस किस व्यक्ति की भूमि निरस्त नहीं करने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश की है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को सिफारिश की गई वे कृषक नहीं हैं ?

(4) यदि हां, तो सिफारिश करने के क्या आधार हैं ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी):

(1) जी हां ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के तहत भूमि आवंटन संबंधी नियमों के अनुसार भूमि पाने के अधिक कृषक नहीं हैं ।

(4) परिवार के भरण पोषण हेतु एवं आवंटित भूमि पर काफी लागत लगाव देने की विशेष परिस्थितियों के कारण ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री शंकर लाल जाट : क्या यह सही है कि जिस आधार पर इन 8 आदमियों की सिफारिश की कि भूमि पर अधिक लागत लगाने से इनकी जमीन निरस्त नहीं की जाये उसी प्रकार अन्य किसानों ने भी भूमि पर अधिक लागत लगाई है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमारे पास सूचा 8 आदमियों की है । इसमें सरकार ने एक भी मन्जूर नहीं किया है । 3 की दरख्वास्त नामन्जूर कर दी है और बाकी 3 की दरख्वास्त तीन दिन पहले और उनके ऊपर विचार किया जा रहा है ।

श्री शंकरलाल जाट : जिनकी निरस्त हो चुकी है उसका क्या कारण है जो स्वयं किसान है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह तो कलेक्टर को अधिकार दे रखे हैं ।

श्री शंकरलाल जाट : तो कलेक्टर को आपने अधिकार दे रखे हैं जब कि भूमि आवंटन के नियम यह हैं कि भूमि आवंटन कमेटी यदि किसी को जमीन अलाट करती है तो जब तक कोई अपील नहीं करता है तब तक कलेक्टर उसको निरस्त नहीं कर सकता ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार में कोई नियम भी तो होगा कि इस प्रकार जो भूमि अलाट हुई है उसको निरस्त करने के कोई कारण

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
विशेष बताये जायें या बिना कारण के ही निरस्त करना कहां तक न्याय है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस अलाटमेन्ट कमेटी के बारे में काफी शिकायतें आई थीं जिससे 80 दरख्वास्तें तो यहां के माननीय मंत्री महोदय के पास आईं जिनमें 64 तो खारिज की और 16 बहाल रखी, 44 डिप्टी सेक्रेटरी के पास थीं जिनमें से 41 तो खारिज की और 3 रिमाण्ड की गई और 2600 दरख्वास्तें ऐसी हैं कि जो कलेक्टर के पास विचाराधीन हैं। क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट सरवेन्ट्स या जो शहरी लोग थे या लेण्डलैस की तारीफ में नहीं थे उनको अलाट कर दी गयी थी। बहुत सी शिकायतें होने पर यह कार्यवाही की गयी।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : क्या अलाटमेंट कमेटी के खिलाफ राज्य सरकार कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो अलाटमेंट कमेटी है उसने अपने अधिकार में जो बातें उचित समझीं उसको कर दिया। उसके खिलाफ कार्यवाही करने की बात नहीं आती।

श्री शंकरलाल जाट : तो माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ तो अलाटमेंट कमेटी बना रखी है और उसके द्वारा जिनको भूमि आवंटन की है वह कलेक्टर के द्वारा निरस्त कर दी जाये यह क्या कारण है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं कलेक्टर के द्वारा ही कार्यवाही अलाटमेंट की कर दी जाती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अलाटमेंट के नियम हैं उनके मुताबिक अलाटमेंट कमेटी उनको भूमि अलाट करती है लेकिन अनियमिततायें उसमें हैं और नाजायज तरीके पर अलाट करदी गयी है तो उसके लिए इतनी ज्यादा शिकायतें आने पर ही यह कार्यवाही की गयी थी जब कि 2600 ऐसी दरख्वास्तें थीं जिनमें कार्यवाही करना जरूरी थी इसलिए ऐसा किया गया।

श्री शंकरलाल जाट : जो 8 की लिस्ट आई है उसमें कोई उदयपुर का है और कोई दूसरी जगह का है। कलेक्टर ने सिफारिश कर दी वह तो अनियमितता नहीं है और अलाटमेंट कमेटी ने कर दिया वह नियमित है। यह बिल्कुल पक्षपात किया है, जन प्रतिनिधियों को डेमेज करने के लिए ऐसा किया गया है और यह प्रशासन की बड़ी हठधर्मी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

प्रश्न संख्या 122

राज्य की सहकारी समितियां

122. श्री **यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितनी सेवा सहकारी समितियां हैं ?

(2) इनमें से कितनी लिक्वीडीशन में हैं और कितनों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है ?

(3) इन सहकारी समितियों में केन्द्रीय सहकारी बैंक का कितना रुपया लगा है और उसमें से कितना अवधि पार है ?

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

(4) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सारे हालात को ठीक करने के लिए कोई योजना बना रही है ?

(5) राजस्थान में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध सहकारी समितियों का रुपया गबन करने का अभियोग है और उनमें से कितने सिद्ध हो चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

ब्यावर क्षेत्र के गावों को बिजली

123. श्री **केसरीमल** (ब्यावर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ब्यावर शहर से रजियावास, कालीजर, जवाजा, सूरजपुरा, तारागढ़ से जस्सा खेड़ा तक और भीम से बनजारी बाड़ा खेड़ा बराखण्ड की तरफ तथा ब्यावर, जालिया कोटरा, काबरा होते भाटियों के बाड़े के पास जवाजा की तरफ ले जाई जाने वाली विद्युत लाइन से जोड़ने व सब जगह लाइनें डालने का कार्य राज्य सरकार कब शुरू कर रही है ?

(2) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? और सरकार का इरादा इस कार्य को करने का है या नहीं ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता । अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या अभी कुछ समय पूर्व राजियावास और जवाजा के गांवों को बिजली देने के लिए योजना थी ?

श्री हरिदेव जोशी : आपने कहा था कि ऐसी स्कीम है क्या तो ऐसी स्कीम न तो बनाई गई और न उसका सर्वे ही हुआ है ?

श्री केसरीमल : ऐसी कोई घोषणा गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए की गई थी ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में नहीं है अगर किसी ने की हो तो· · ·

श्री केसरीमल : सिलवर जुबली पर घोषणा की गई तो अब कब तक बिजली मिल जायेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से सवाल है।

श्री केसरीमल : इन गांवों को बिजली देने की कब तक योजना बना रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : आपने पूछा है कि ऐसी कोई स्कीम बनी है क्या तो मैंने उत्तर दिया है कि ऐसी स्कीम कोई नहीं बनी है। कब तक बनेगी या बननी चाहिये वह दूसरी बात है।

श्री केसरीमल : कब तक बना देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : निश्चित नहीं कह सकता लेकिन देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लूणाराम।

Page No 5

(5)

गांधी आश्रम, सुजानगढ़

124. **श्री लुणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) गांधी आश्रम, सुजानगढ़ जिला चूरू के अन्तर्गत जब से यह स्थापित हुआ है, से लेकर आज तक ऊन कताई के उप केन्द्रों के लिये कितने भवन निर्माण कराये गये ? तहसीलवार ग्रामों के नाम बताने का कष्ट करें ।

(2) प्रत्येक भवनों पर कितनी कितनी राशि किस किस विभाग से खर्च की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन भवनों का कोई उपयोग न लेकर बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खादी ग्रामोद्योग (श्री मूलचन्द) : (1) 11 भवन निर्माण किये गये । तहसीलवार ग्रामों के नामों की सूची संलग्न है।

(2) भवनों पर खर्च की गई राशि व विभागों के नाम सूची में अंकित है ।

(3) सातड़ा, मालेरी व पुलासर ग्रामों के तीन भवन कताई कार्य हेतु साधन उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन कार्य के उपयोग में नहीं आ रहे हैं ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री लुणाराम : क्या यह भवन कताई के कार्य के लिए हैं या अन्य कार्यों के लिए हैं ?

श्री मूलचन्द : जो भवन संस्था के द्वारा बनाये जाते हैं उनमें जो उनके योजनाबद्ध कार्यक्रम होते हैं जिनमें कताई, बुनाई आदि हैं इनके निमित्त इन भवनों का निर्माण किया जाता है और विशेष तौर से कताई केन्द्रों के रूप में ही काम आने योग्य हैं ।

श्री लूणाराम : आज इन भवनों को बने पांच, पांच और सात-सात साल हो गये तो इनके उपयोग में नहीं आने का क्या कारण है ?

श्री मूलचन्द : जहां तक उपयोग में आने का सवाल है केन्द्र की जितनी आय होती है, जितनी राशि उनको उपलब्ध होती है उसके अनुसार कार्य किये जाते हैं और जब राशि समाप्त हो जाती है तो यह कठिनाई आती है । अब चूंकि इनमें जितनी राशि इनको मिली थी वह समाप्त हो चुकी है और अब नयी योजना के अनुसार यदि अकाल कार्यों के अन्तर्गत राशि उपलब्ध होगी तो इन्हें बहुत जल्दी ही शुरू किया जायेगा ।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, इसका अकाल से कोई संबंध नहीं है । कार्यों से यह संबंधित हैं । कार्य की उपयोगिता देखकर ही भवनों का निर्माण कराया जाता है । अगर ऐसा नहीं किया गया तो योजना बिल्कुल गलत थी । आज सात-सात साल हो गये और भवन टूट गये हैं । अकाल से इसका संबंध नहीं है इसलिए इनका स्थाई रूप में उपयोग करने के लिए क्या मंत्री महोदय इस प्रकार का आश्वासन देते हैं ?

श्री मूलचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो केन्द्र चलाया जाता है उनका एक लक्ष्यांक होता है और इस वक्त लक्ष्यांक जो था वह 5.25 लाख था लेकिन उपलब्धि 5.87 लाख की है । ऐसी स्थिति

Page No 6

(6)

(श्री मूलचन्द)

में वहां आर्थिक अभाव है और इसी वजह से नहीं हो सकता। ज्योंहि इसका प्रावधान उपलब्ध होगा कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम !

नीम का थाना तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

125. श्री मालाराम (नीम का थाना): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीम का थाना तहसील के किस किस ग्राम में तथा कितने कितने कुओं में बिजली लगी हुई है ?

(2) कितने गांवों तथा कितने कुओं के लिए बिजली दिये जाने की कब कब स्वीकृति हुई है ?

(3) स्वीकृत गांवों में अब तक बिजली क्यों नहीं दी गई ?

(4) क्या बिजली देने की दृष्टि से इस तहसील का सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) स्वीकृत गांवों की सूची 'अ' संलग्न है।

(3) स्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है।

(4) जी हां, गांवों के नामों की सूची 'अ' संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री मालाराम : अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों की सूची रखी है उन गांवों में आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है। वहां की जनता दुखी है बिजली के लिए और बिजली के लिए लोग इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य· · ·

(श्री मालाराम के खड़े ही रहने पर)

माननीय सदस्य तशरीफ रखिये। माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं मेरे पास सूचना उससे भिन्न है। जिन गांवों के अन्दर बिजली लगी हुई है उसका ब्योरा मैं पढ़ देता हूं। नीम का थाना के 142 गांवों में बिजली के कनेक्शन हैं। गोढ़ावास के 15 गांवों में कनेक्शन हैं। मूवोली के 45 गांव और सिरोही के 29 गांवों में कनेक्शन हैं। नीमादे में 8, गुलाह में 39, गांवोरी में 18, गाउण्डी में 25, पीठानपुरी में 9 और भगेगा में 1 कनेक्शन दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज !

श्री मालाराम : मंत्री महोदय जो 18 कनेक्शन की बात बता रहे हैं उनमें से करीब 8 से 9 कुओं को कनेक्शन दिया है। उनकी सिक्योरिटि जमा करा ली है लेकिन आज तक बिजली नहीं दी है।

श्री हरिदेव जोशी : आप कौन सी लिस्ट की बात कह रहे हैं।

श्री मालाराम : आपने गांवोरी की बात बताई है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने लिस्ट ए और बी लिस्ट दी है। उसमें आप किस की बात कह रहे हैं ए की या बी की ?

Page No 7

(7)

श्री **मालाराम** : लिस्ट 'ए' में है ।

श्री **सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : माननीय सदस्य का मतलब है कि जो आपने कनेक्शन देने की बात कही है उनमें आज तक सिक्योरिटि जमा हुई है, कनेक्शन नहीं दिया गया है । मौके पर कनेक्शन नहीं है विद्युत् का ।

श्री **हरिदेव जोशी** : ऐसा कैसे हो सकता है, पैसा जमा हो रहा है, कुओं पर मीटर लगे हुए हैं।

श्री **अध्यक्ष** : श्री मोहनराज !

(अनुपस्थित)

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका उत्तर दिया जावे ।

श्री **अध्यक्ष** : लास्ट में ले लेंगे ।

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : अभी दिला दीजिए ।

श्री **अध्यक्ष** : (श्री मोहनराज के भवन में आने पर) श्री मोहनराज !

सई नदी योजना पर कार्य

126. श्री **मोहनराज** (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जवाई बांध में अधिक पानी लाने की 'सई' नदी योजना पर कब कार्य प्रारम्भ किया गया था और प्रारम्भिक योजना के अनुसार यह कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिए था ? अब तक इस योजना पर कुल कितना व्यय हो चुका है ?

(2) योजना के सम्पूर्ण होने तक कुल कितनी लागत इस पर लगेगी ?

(3) यदि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य पूर्ण कर लिया जाता तो कुल कितनी लागत बैठती ?

(4) पाली जिले में लगातार अकाल पड़ने से क्या सरकार इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देकर पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा हेतु आगामी वर्ष तक पूरा करने की योजना बनायेगी ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) सई परियोजना का निर्माण कार्य माह नवम्बर 1969 से आरम्भ हुआ था । प्रारम्भिक योजना को पूरा करने के लिए 4 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था । अब तक इस योजना पर कुल 138 लाख रुपया खर्च हुआ है ।

(2) इस योजना की अनुमानित लागत 323 लाख रुपया आंकी गई है ।

(3) यह सही रूप से कहना सम्भव नहीं है क्योंकि लागत बढ़ने का कारण इसका कुछ देर से पूरा होना ही नहीं है ।

(4) इस काम को प्राथमिकता दी जा रही है लेकिन अगले वर्ष तक इसे पूरा करना सम्भव नहीं है ।

श्री **शंकरलाल** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, सई योजना के पूरा होने से जवाई बांध में पानी आएगा और इससे जोधपुर और पाली की पीने के पानी की समस्या हल होगी । पेय जल की समस्या को हल करने की दृष्टि से आप इसको जल्दी क्यों

Page No 8

(8)

(श्री शंकर लाल)
नहीं सम्पूर्ण करा देते हैं, पैसा ज्यादा भी लगे तो भी इस पर ज्यादा पैसा लगाने का क्या सरकार विचार रखती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : दरअसल बात यह है कि इसमें 22,225 फुट की एक टनल खोदनी पड़ेगी और दोनों तरफ से खोदनी पड़ेगी । टनल जितनी खोदी जा सकती है उतनी ही खोदी जा सकती है । कितना ही पैसा लगावें लेकिन जगह जगह पर टनल नहीं खोदी जा सकती है । दोनों तरफ से टनल खोदनी पड़ेगी इसलिए जितना हो रहा है उतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा करना सम्भव नहीं है । इसमें टाइम लगेगा ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री मूलचन्द !

श्री **दिनेश राय डांगी** (देसूरी) : मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह सही नहीं है। सवाल टनल का नहीं है, सवाल पा-सिटी ग्राफ फण्ड्स का है । जैसा कि माननीय सदस्य शंकरलाल जी ने प्रश्न पूछा है कि पाली और जोधपुर जिले की पेय जल की समस्या इससे हल होती है तो आप इस पर ज्यादा फण्ड अलाट क्यों नहीं कर देते हैं । इस योजना के नहीं होने पर बहुत सा पानी वेस्ट जाता है और गुजरात की नदी में पानी जाता है ।

श्री अयध्क्ष : अर्थाभाव वता दिया ।

श्री दिनेश राय डांगी : इसके लिये आप अकाल के फण्ड से ज्यादा फण्ड क्यों नहीं अलॉट कर देते हैं ।

श्री शंकरलाल (पाली) : एक जानकारी और दे दें मंत्री महोदय ! अभी अकाल का अध्ययन करने के लिये मनचन्दा कमेटी आई थी उसके सामने सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस बात को मंजूर किया था कि अगर इसमें अधिक फण्ड दे दिये जावें तो खुदाई ज्यादा हो सकती है और अधिक मजदूर काम पर लग सकते हैं । इससे फेमिन में काम हो सकता है और दोनों जिलों की पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में डेढ़ लाख रुपया मंजूर किया गया था लेकिन इसके अलावा इसी साल तक हम 152 लाख रुपया इस पर खर्च करेंगे और 70 लाख रुपया 73-74 में और मंजूर किया है । इस तरह से इस सई योजना पर 2 करोड़ और 22 लाख रुपया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक खर्च हो जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द !

श्री शंकरलाल (पाली) : खर्च तो हो जावेगा लेकिन आप इसको और जल्दी नहीं कर सकते हैं क्या । फण्ड अवेलेबल करा कर फेमिन में क्यों नहीं लेते ? क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया कि इसी अगले साल में इस पर 70 लाख रुपया खर्च किया जावेगा। दिक्कत यह है कि टनल जगह 2 से खोदी नहीं जा सकती, दोनों तरफ से ही टनल खोदनी पड़ेगी ।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या दोनों तरफ से टनल खोदने का काम प्रारम्भ कर लिया है । अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है इस कार्यवाही का दारोमदार

(श्री लक्ष्मण सिंह)
जब टनल के ऊपर है और अगर यह टनल ही खोद नहीं पाते हैं तो दूसरी योजना व्यर्थ है। यह तीन करोड़ की योजना है आखिर।

श्री रामचन्द्र चौधरी : टनल पर दोनों तरफ से काम किया है!

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द।

श्री दिनेश राय डांगी : एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है अध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह पीने के पानी की समस्या से सम्बन्धित होने से एक प्रश्न मैं भी पूछ लेता हूं। क्या यह सही है कि टनल दोनों तरफ से खोदी जा रही है वह टेढ़ी खोदी गई है और आपस में मिलान नहीं हो रहा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। आप के पास कैसे है?

श्री दिनेश राय डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम सवा दो करोड़ की थी चार पांच साल पहले और 10 वर्ष पहले इसका सर्वे हुआ था और चार साल में केवल एक करोड़ रुपया खर्च हुआ जिससे इतने समय में ही इसकी कीमत एक करोड़ और बढ़ गई। पा-सिटि ऑफ फण्ड की वजह से ही यह कीमत बढ़ गई और अब भी जल्दी नहीं किया गया तो और कीमत बढ़ कर 5 करोड़ हो जायगी। इससे कितना नुकसान होगा जनता को।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय . . .

श्री शंकरलाल : प्रश्नकर्ता तो अब आए हैं।

श्री अध्यक्ष : आए काफी देर हो गई है।

श्री मोहनराज (बाली) : क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय अध्ययन दल जो कि अकाल की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आया था उनके सामने भी इस बात को स्वीकार किया था कि इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए अकाल राहत के अन्तर्गत लिया जाय लेकिन अकाल राहत में भी योगदान हो सके। क्या कोई बात की है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया कि इसीलिए पहले जो इसके लिए पांच लाख का प्रावधान था उसकी जगह अगले साल 70 लाख का प्रावधान किया गया है। पा-सिटि ऑफ फण्ड का सवाल नहीं है। इसमें 70 लाख रुपया 73-74 में अलॉट किया है।

श्री मोहनराज : मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या यह टनल केवल दो सिरों से ही खोदी जा रही है। मैं समझता हूं कि इसको और जगह से भी टनल को खोदने के स्थान ढूंढे जा सकते हैं। एक बार बीच में इस प्रकार टनल को बीच-बीच में से खोदने की योजना बनाई गई थी और कई स्थानों में से खोदकर योजना को शीघ्र पूरा करने की बात सोची गई थी, क्या यह सही है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जगह जगह से खोदने का सवाल नहीं है। मेरे खयाल से

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
योजना का जो कार्य चल रहा है वह ठीक चल रहा है।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। पार्टी के चीफ व्हिप कोई प्रश्न नहीं कर सकते। अगर वे प्रश्न करते हैं तो यह सरकार को मैंडेट समझना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री लक्ष्मणसिंह : ये तो टेढ़ी चेनल कर सकते हैं, टेढ़ा प्रश्न पूछ रहे हैं।

भाकरी-खान कुण्डल सड़क का निर्माण कार्य

127. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि भाकरीखान कुण्डल सड़क की स्वीकृति सरकार द्वारा हो चुकी है।

(2) उक्त सड़क पर कुल अनुमानित लागत कितनी आयेगी तथा अब तक कितना कार्य हो चुका है ?

(3) यह सड़क कब तक पूर्ण की जा सकेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सड़क के 1 किलोमीटर की स्वीकृति स्पेशल एम्पलायमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई है।

(2) लगभग 6 लाख रुपये। 1 किलो मीटर सड़क पर मिट्टी का कार्य हो चुका है और पत्थर संग्रह किया गया है।

(3) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता

श्री अध्यक्ष : भवरलाल भदादा !

श्री मूलचन्द सामरिया : अर्थाभाव की जो बात आपने कही है वह तो हर जगह लागू होती है लेकिन जिन परिस्थितियों में दूसरे काम किए जाते हैं, उसी तरह से इसकी ओर भी ध्यान देकर अगर आप कृपा करें तो यह हो सकता है। यह बहुत बड़ा काम नहीं है। यह जो जगह है यहां से कम से कम 5-7 पंचायतों का दौसा से लिंक होना है। बरसात के दिनों में लोग आ जा नहीं सकते। यह इम्पोर्टेन्ट सड़क है। यहां पर मैं आप लोगों पर दबाव तो नहीं डाल सकता हूं लेकिन इतना निवेदन करूंगा कि आप मानवता के दृष्टिकोण से ही इस प्रश्न को लेकर यह सड़क पूरी करा दें।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने जिलाधिकारियों को कहा है कि फैमिन रिलीफ में इस कार्य को ले लें।

श्री मूलचन्द सामरिया : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा !

माईका उद्योग के मजदूरों की बकाया

128. श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले के माईका उद्योग में सन् 69 और 72 में कितने मजदूरों का रोजगार प्राप्त था ? क्रमशः मजदूरों के कम होने का कारण क्या है ? यदि माईका उद्योग

(श्री भंवर लाल भदादा)

विगड़ने से यह स्थिति वनी तो इसका क्या कारण है।

(2) भीलवाड़ा जिले में माईका उद्योग में काम किये हुए मजदूरों को कितनी मजदूरी कितने समय से देय है? ऐसा क्यों हो रहा है और राज्य सरकार इस देय मजदूरी को दिलाने के लिए क्या कर रही है।

राज्य मंत्री खनिज (श्री जुझारसिंह) :

(1) भीलवाड़ा जिले के माइका उद्योग में सन् 1969 में 1685 व 72 में 1107 मजदूरों को रोजगार प्राप्त हुआ था। मजदूरों के कभी होने का कारण माइका के उत्पादन में कमी है।

(2) इससे सम्बन्धित सूचना इस विभाग में एकत्रित नहीं की जाती है।

श्री भंवरलाल भवादा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माइका उद्योग के विकास के बारे में राज्य सरकार क्या सोच रही है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और विदेशी मुद्रा का भी अर्जन किया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए न केवल भीलवाड़ा जिले की दृष्टि से बल्कि राजस्थान की दृष्टि से भी। इसलिए इस पर सरकार क्या विचार रखती है?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, माइका के उद्योग में कई कारणों से स्लम्प आ गया है इसके बारे में राज्य सरकार की कई तरह की योजनाएं हैं। एक तो यह है कि माइका का जो वेस्ट है उसका किस तरह से यूटीलाइजेशन हो सके। एक्सपोर्ट में इसके भावों में कमी आ गई है। इसके बारे में भी विचार हो रहा है। चूंकि यह एक्सपोर्ट का मामला है और भारत सरकार से सम्बन्धित है और जब तक भारत सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री भंवरलाल भवादा : माइका बेसड उद्योगों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी) : यह स्लम्प कब से आया है और इसके लिए राज्य सरकार ने क्या स्टेप उठाये हैं?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान की माइका का सम्बन्ध है यहां की माइका की क्वालिटी इन्फीरियर है। जिस साइज में यह उपलब्ध होती है वह बहुत ही छोटी होती है? छोटी होने के कारण मार्केट में इसका भाव बहुत ही नीचा हो गया है। जो माइका 1660 में 2–50 पैसे किलो के भाव में बिकती थी उसकी कीमत एक रुपया प्रति एक किलो आज मार्केट में मिल रहा है और इस तरह यह माइका मार्केट के कम्पीटिशन में नहीं चल पाती है। इसके लिये मजदूरों को मजदूरी सस्ती रेट पर भी नहीं दी जा सकती है। अनेक कारणों से मजदूरी नहीं दी जा सकती है। एक कारण तो यह है।

दूसरा कारण यह है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन वहां पर काफी बढ़ गया है मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई है और भाव गिर गये हैं। एक तरफ भाव कम मिलता है और मजदूरी ज्यादा लगती है।

(श्री जुझार सिंह)

तीसरा कारण यह है कि 40 परसेन्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई है। इसकी वजह से भी कमी आ गई है। बिहार और आन्ध्र में जो बैटर माइका है उसकी तुलना में हमारी माइका हलकी है, उससे भी कमी आ गई है। इसके अतिरिक्त माइका गहरी चली गई है, 60 मीटर तक इससे उत्पादन करने वाले को कास्ट आॅफ प्रोडक्शन ज्यादा आती है। यहां का प्रोडक्शन भी कम हो गया है। इन सब की वजह से स्लम्प आ गया है।

श्री भंवरलाल भदावा : क्या गवर्नमेंट इसको देखते हुए वैज्ञानिक ढंग से माइका निकालने का सोच रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय है जिसको कि साइंटिफिक वे से किया जाये तो इसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने इस ओर क्या स्टेप उठाये हैं ?

श्री जुझारसिंह : राज्य सरकार इसके बारे में चिन्तित है। अब इसकी नीचे जाकर अन्डर ग्राउण्ट माइनिंग की आवश्यकता है। इसके लिये राज्य सरकार विचार कर रही है। क्योंकि जो प्राइवेट पार्टिज हैं वह प्रोफिट का मोटिव लेकर चलती है और माइका नीचे जाकर निकलने के लिये तैयार नहीं रहती है। अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग के लिये विशेषज्ञ से पूछा जा रहा है कि इसकी कितनी पासिबिलिटीज है और कितनी मात्रा में उपलब्ध है। उसके पहले इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार इसके लिये विचार कर रही है कि इस तरह का एक कन्सलटेटिव सेल कायम किया जाये। यह सेल जहां जहां पर माइका उपलब्ध है, उसका क्या प्रास्पेक्ट है उसके बारे में राज्य सरकार को एडवाईज करेगा और फिर राज्य सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): क्या राज्य सरकार की इस के बारे में कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री जुझारसिंह : यह योजना माइका की ब्रिकस के बारे में है। माइका की ब्रिकस बनाने के बारे में विचार है। किस तरह से ब्रिकस बनाने के काम में इसको लाया जा सकता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय रिजर्व बैंक की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था। और उसने रिकमन्डेशन किया है परटीकुलर माइका इण्डस्ट्री के बारे में। क्या राज्य उन रिकमन्डेशन को लागू करने पर विचार कर रही है।

श्री जुझारसिंह : इसके बारे में अभी कुछ निवेदन नहीं कर सकता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार जयपुर): कन्सलटेशन सेल कायम करने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। तो कब तक इसको लागू कर दिया जायेगा आप इस विचार को क्रियान्वित कब कर रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : इसकी कोई डेफिनेट डेट अभी नहीं बता सकता हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : इसका इम्प्रूवमेन्ट कैसे हो सकता है यह तो एक्सपर्ट्स को तत्काल सौंप देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

पाली जिले के ग्रामों का विद्युतिकरण

129. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में चालू वर्ष में किन किन गांवों के लिये विद्युतिकरण की योजना कितने कितने रुपयों के लागत की स्वीकृत की गई ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस सम्बन्ध में पाली जिला उत्पादन समिति द्वारा किन किन गांवों के लिये विद्युतिकरण किये जाने के सुझाव चालू वर्ष में व गत वर्ष में प्रेषित किये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिला उत्पादन समिति द्वारा प्रेषित सुझावों के अनुसार प्राथमिकता व क्रम के आधार पर स्वीकृतियां नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) चालू वर्ष 72–73 में जिला पाली में 25 गांवों की आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम (इमरजेन्सी एग्रिकलचर प्रोडक्शन प्रोग्राम) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया तहसीलवार सूची (अ) संलग्न है ।

(2) सन् 71–72 में जिन गांवों को पाली जिला उत्पादन समिति ने विद्युतिकरण की सीफारिश की थी सूची (ब) संलग्न है । चालू वर्ष की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) जिला उत्पादन समिति की सिफारिशों पर अवश्य विचार किया गया है किन्तु तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य योजनाओं को स्वीकृत उपलब्ध धनराशि व जिले की विद्युतिकरण की स्थिती को ध्यान में रखते हुए दी जाती है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय जो सूची दी गई है उसके अन्दर 25 गांवों की मन्जूरी दी गई है । परन्तु इसमें पाली तहसील का एक ही गांव है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने इसके कारण सूची में बता दिये हैं ।

श्री शंकरलाल : यह तकनीकी कारण बताया है । परन्तु यह गांव ऐसे हैं जो स्वीकृति दिये गये गांवों के बीच में आते हैं इसमें तकनीकी का कारण क्या हो सकता है । केवल तकनीकी कह कर इसको टाल दिया गया है । अध्यक्ष महोदय यह जो गांवों का विद्युतीकरण किया जाता है इसमें पक्षपात होता है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय बहुत मुमकिन हो सकता है कि जो तकनीकी कारण बताये गये हों वे गलत हों । यह भी कारण हो सकता है कि मनमानी तरीके से यह कर दिया गया हो परन्तु जहां तक जैतारण के गांवों को लेने का प्रश्न है वह कर दिया गया है ।

श्री शंकरलाल : मेरा यह प्रश्न है कि पाली तहसील के अन्दर एक ही गांव को लिया गया है जबकि जो दूसरे गांव हैं वे स्वीकृत गांवों से पहले आते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं प्रत्येक गांव के लिये नहीं कह सकता हूं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय मेरा दूसरा निवेदन यह है कि कृषि उत्पादन समिति द्वारा जो सूची प्रस्तुत की जाती है, उसका आधार नहीं लिया गया है जबकि उसके अन्दर आपके आफिसर्स एक्स.ई.एन. और दूसरे अधिकारी होते हैं। वहां पर सब मिल कर एक प्रायोरिटी तय करते हैं। उसके बाद भी कौनसा तकनीकी कारण रह जाता है··

श्री हरिदेव जोशी : कृषि उत्पादन समिति की सिफारिशों के आधार पर ही स्वीकृति दी जाती है और दूसरे जो होते हैं वे माइनर इर्रीगेशन के आधार पर दिये जाते हैं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय यह जो गांव सेंग्सन्ड हो जाते हैं वे तो विद्युतिकरण से रह जाते हैं जो गांव लेटेस्ट सेंग्सण्ड होते हैं वे पहले हो जाते हैं। इसका क्या कारण हैं। देसूरी निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर इसका उदाहरण आपको मिल सकता है। जो गांव पहले सेंग्सन्ड हो गये थे, जिनकी मन्जूरी हो गई थी उनका तो विद्युतिकरण नहीं हो पाया है और जो उनके बाद मन्जूर हुए थे उनका विद्युतिकरण हो गया है इसका क्या कारण है?

श्री हरिदेव जोशी : जिनको मन्जूरी पहले दी गयी हैं उनका पहले होना चाहिये।

श्री शंकरलाल : पहले बिजली लगाई जानी चाहिए थी लेकिन नहीं किया गया तो इसके लिए विभाग से मालूम करेंगे कि क्यों नहीं किया?

श्री हरिदेव जोशी : मैं पता लगाऊंगा कि क्यों नहीं किया गया।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि पाली जिले का विद्युतीकरण कर रहे हैं तो पाली शहर में बहुत से कारखाने लग रहे हैं जिनको विद्युत् की आवश्यकता है और वे तत्काल बिजली लेना चाहते हैं तो उन्हें भी इसमें लिये जाने की योजना है कि नहीं?

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 130

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री राजेन्द्रसिंह!

क्रय-विक्रय सहकारी समिति मालपुरा

131. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि मालपुरा, जिला टोंक में एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति बनी हुई है? यदि हां, तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं और कुल पूंजी कितनी है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 70–71 की आडिट रिपोर्ट में इस समिति पर धन के दुरुपयोग के गम्भीर आरोप लगाये गये

(श्री राजेन्द्र सिंह)
हैं ? ग्राडिट रिपोर्ट 1970-71 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 1-7-72 व 15-7-72 को निरीक्षक सहकारी समितियां, टोंक द्वारा कोई निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी ? यदि हां, तो एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षक ने यह संकेत दिया है कि समिति की आर्थिक हालत गिरती जा रही है अतः उसे भंग कर दिया जावे और एक प्रशासक नियुक्त हो ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर सहायक रजिस्ट्रार टोंक ने क्या कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि सहायक रजिस्ट्रार ने राज्य सरकार को इस समिति को भंग करने के लिए लिखा था और सरकार ने उस पर अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) (1) जी हां, इस समिति के 210 सदस्य और 28065 रु. हिस्सा पूंजी है।

(2) वर्ष 70-71 की आडिट रिपोर्ट में दुरुपयोग के कुछ मामलों का उल्लेख है। आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, विजिट नोट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, सहायक रजिस्ट्रार द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है।

(5) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री राजेन्द्रसिंह : क्या इसकी जांच करा ली गई है ?

श्री जुझारसिंह : आडिट रिपोर्ट में जो आरोप लगाये गये हैं तो इसकी जांच के लिए सैक्शन 36 पर नोटिस दिया गया है और उनका जवाब आने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्रसिंह : निरीक्षक की राय पर कि वहां पर प्रशासक नियुक्त कर देना चाहिए क्या सरकार विचार कर रही है कि वहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिया जाय ?

श्री जुझारसिंह : इस समिति को भंग करने का असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को पावर है और वही यह कार्यवाही करेंगे और सरकार के कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ही इसके लिए कम्पीटेन्ट है।

श्री राजेन्द्रसिंह : सरकार के पास इस प्रकार की सूचना मिल गई है तो सरकार आदेश दे सकती है कि वहां पर प्रशासक नियुक्त कर दें।

श्री जुझारसिंह : यह असिस्टेन्ट रजिस्टार के कम्पीटैन्स की बात है उसमें वे ही उचित कार्यवाही करेंगे असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

(श्री जुझार सिंह)
यहां पर नहीं है इसलिए विलम्ब हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि वे अपने आप में इस बारे में एक्शन लेंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह : मेरे ख्याल से रजिस्ट्रार करेंगे असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नहीं।

श्री जुझारसिंह : असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की काम्पीटेन्स में है इसलिए असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ही करेंगे।

प्रश्न संख्या 132

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला !
(अनुपस्थित)

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 132 सारे जिले की स्थिति के बारे में है इसलिए इसका उत्तर दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसको मैं लास्ट में ले लूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समय बचेगा तो बाद में ले लूंगा।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह सारे जिले का प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई एतराज नहीं है। बाद में वक्त बच जाय तो ले लेंगे।

श्री रामगोपाल : अगर मंत्री महोदय की ओर से जवाब मिल जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है जवाब दे दें।

कोटा जिले की सड़कें

132. **श्री जगमोहनसिंह** (छबड़ा) [श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) की अनुपस्थिति में] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की सड़कों की हालत दयनीय है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कोटा जिले के माननीय सदस्य मंत्री महोदय से भी कई बार मिले हैं ? यदि हां, तो इन सड़कों के सुधार के बारे में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) कुछ सड़कों की दशा अच्छी नहीं है।

(2) जी हां, उपलब्ध धनराशि के अनुसार कार्य कराये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती ऊषा प्रकाश !

श्री रामगोपाल : अध्यक्ष महोदय,··

श्री अध्यक्ष : No supplementary श्रीमती ऊषा प्रकाश !

भरतपुर जिले के बांधों से क्षति

133. **श्रीमती ऊषा प्रकाश** (वैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1972 में भरतपुर जिले में बाणगंगा एवं गंभीरी नदियों की बाढ़ के

(श्रीमती उषा प्रकाश)
कारण कितने गांवों में रिहायशी मकानों को क्षति पहुंची है ?

(2) भविष्य में उन गांवों को बाढ़ से बचाने के संबंध में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(3) उपरोक्त बाढ़ से कितने बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त क्षति के कारणों की जांच करेगी ?

(5) भविष्य में उपरोक्त बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने के लिए राज्य सरकार कोई योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार कोई सलाहकार मंडल बनायेगी ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) 291 गांवों के 14544 रिहायशी मकानों को क्षति पहुंची है।

(2) जो बांध आदि क्षतिग्रस्त हो गये हैं उनको रेस्टोर तथा मजबूत करने का कार्य चल रहा है। इन बंधों को रेस्टोर करने के साथ-साथ उनमें पानी की अधिक निकासी का प्रावधान रखा गया है।

(3) भरतपुर जिले के अन्दर बाणगंगा तथा गम्भीरी नदियों की बाढ़ से 58 बांध टूटे हैं। इनमें से 47 बांध टूट गये हैं तथा 11 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सूची संलग्न है।

(4) बाढ़ का कारण स्पष्ट रूप से अल्प समय में सवाई माधोपुर तथा भरतपुर जिले में इन दोनों नदियों के कैचमेंट एरिया में अतिवृष्टि होना है। जांच की आवश्यकता नहीं है।

(5) टूटे हुए बांधों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है और उनके नये डिजाइन लिए हैं। राज्य में पहले से ही एक बाढ़ नियन्त्रण मंडल है और किसी नये सलाहकार मंडल के गठन की आवश्यकता नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि भरतपुर में बारबार बाढ़ से तबाही होती है और बारबार सरकार को काफी धन फ्लड रिलीफ में खर्च करना पड़ता है और आज टेक्निकल ज्ञान काफी बढ़ा हुआ है हमारे इन्जीनियर्स का और इस बाढ़ नियन्त्रण के लिए कोई स्थाई योजना पर सरकार विचार कर रही है तो खासतौर से बाणगंगा और गम्भीरी नदियों के सिस्टम में बाढ़-नियन्त्रण के लिए कोई सलाहकार समिति हो, क्या सरकार के पास में ऐसी योजना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : फ्लड के लिए सलाहकार समिति है। इन दो नदियों के लिए अलग से कोई नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ज्यादा बाढ़ इन दो नदियों में ही आती है।

श्रीमती उषा प्रकाश : इन दोनों नदियों में बारबार बाढ़ आती है तो उसको नियन्त्रित करने की क्या आवश्यता नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका सर्वे करवाया जा रहा है कि बान्ध गम्भीरी नदी पर बनाया जाय या बाणगंगा पर। उसके बाद में वह भी किया जा सकेगा।

श्रीमती उषा प्रकाश : क्या अगले वर्ष के बजट में सरकार इसके लिए प्रावधान रखेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसको करने के लिये बजट रखा हुआ है और इस साल भी 70 लाख का बजट है, वैसे दो करोड़ का बजट है। जनरली बड़े बड़े सब बान्धों को ठीक कर देंगे।

श्रीमती उषा प्रकाश : फ्लड के लिए जरूर आया है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन बान्धों को मजबूत करने के लिए शायद कम है, तो क्या सरकार अगले वर्ष इन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान करेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बजट पूरा है। पूर्ण काम हो जायेंगे सब बान्धों के।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन यह है कि जो गम्भीरी नदी की बाढ़ से हजारों लोग बर्बाद होते हैं तो इसके विषय में सरकार क्या सोचती है ? क्या सरकार करौली के नीचे एक बांध बनाने का सोचती है जिससे गंगापुर, महुआ, टोडा भीम और हिण्डौन इन 5–6 तहसीलों को उसका लाभ मिलेगा और जो करौली के सारे कुओं में पानी नीचे चला गया है वह पानी ऊपर आजायगा ताकि किसानों को उससे बहुत लभ होगा।

श्री मनोहरलाल (कामां) : यह जो, अध्यक्ष महोदय, जांच के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि जांच की आवश्यकता नहीं है तो मेरा निवेदन है कि जब वर्षा जोरों से हो रही थी और वहां के लोगों को सूचना भेज दी गई थी और आदमी पहुंच गया था कि पानी आ रहा है तो भी जानबूझकर उन्होंने फाटक नहीं खोले तो क्या वे इसकी जांच करवाने को तैयार हैं।

दूसरा निवेदन यह है कि जब गम्भीरी नदी का इलाका बाढ़ग्रस्त है और वहां के लोगों को सहायता पहुंचाई गई है तो फिर आबयाना कैसे वसूल कर रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पानी अगर मिला है तो आबयाना वसूल होगा और दूसरी बात जो आपने बतलाई उसके बारे में मेरा निवेदन है कि एक दिन में ही 681 मिलोमीटर यानी 28।30 इंच पानी बरसा और एक के बाद एक बान्ध टूटने लगे तो कोई भी आदमी उसको रोक नहीं सकता था।

गम्भीरी नदी पर बान्ध बनाने की बात सोचते हैं तो भरतपुर के लोग एतराज करते हैं कि गम्भीरी नदी में यदि बांध बांध दिया गया तो उनके यहां पानी नहीं आयेगा और भरतपुर का इलाका सूखा पड़ जायेगा। उनका विरोध था इसलिए पहले उसका नहीं किया गया। हम सोचते हैं कि इसका सर्वे करवाया जाय कि गम्भीरी नदी पर बांध बनाया जाय तो उसका क्या इफेक्ट होगा।

प्रश्न सख्या 134

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री गौरीशंकर ।

झालावाड जिले की सड़कों के मरम्मत का कार्य

135. **श्री गौरीशंकर** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) झालावाड़ क्षेत्र में सड़कों की रिपेयर हेतु कितने रोड़ रोलर्स उपलब्ध हैं और उनमें से कितने रोलर चालू हालत में हैं ?

(2) इतने रोलर होने पर भी वहां की सड़कों की हालत खराब क्यों हैं तथा पूरी मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) 6 रोड रोलर में से 4 रोलर काम के योग्य हैं ।

(2) सड़कों की दशा साधारण है । उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत कराई जाती है ।

श्री **गौरी शंकर** : माननीय अध्यक्ष, 6 रोलर मंत्री महोदय ने बतलाये हैं उनमें से दो रोलर ही चल रहे हैं । झालावाड़ का इलाका बहुत बड़ा है । उसमें ऐसा पक्षपात होता है कि जो मिनिस्टर साहब हैं वह अपने क्षेत्र में काम करा लेते हैं और हमारे पर आरोप लगाते हैं कि आपके यहां पर पैसा खर्च नहीं होता है इसलिए क्यों पैसा दें । आज 2-3 साल हो गये हैं खानपुर में कोई रोड़ का काम नहीं हुआ है । आप 6 बतला रहे हैं उनमें से दो ही काम में आ रहे हैं और चार खराब पड़े हुए हैं । सरकार परवाह नहीं करती है । हजारों रुपया और लाखों रुपया खर्च हो रहा है और सडक की मरम्मत कराने के वास्ते पैसा नहीं है ।

श्री **हरिदेव जोशी** : मैंने निवेदन किया था कि 6 में से 4 काम कर रहे हैं, मगर आपकी दी हुई सूचना के अनुसार अगर दो ही काम कर रहे हैं तो मैं यह देखूंगा कि 6 के 6 ही काम करना शुरू कर दें । मैं यह भी देखूंगा कि केवल मिनिस्टर की कान्स्टीटुएन्सी में काम न हो लेकिन एम. एल. एज की कान्स्टीटुएन्सी में भी काम हो ।

श्री **गौरी शंकर** : मैं झालावाड़ में रहता हूं मुझे मालूम है कि दो ही काम करू मैं झूठी रिपोर्ट आपके पास आती है ।

श्री **अध्यक्ष** : जवाब दे दिया ।

श्री **गौरी शंकर** : जवाब क्या दिया, मैं अर्ज करता हूं ।

श्री **रामगोपाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि सड़कों की यह हालत है कि मोटर वालों ने तो सड़क पर चलना ही छोड़ दिया है और खेतों में होकर नई सड़क बना ली है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक दफा कोटा डिविजन में पधार कर वहां की सड़कों की हालत देखिये ।

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरा जवाब तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप उनको सुन लीजिये ताकि उनको सन्तोष हो जाये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि कोटा डिवीजन में सड़कों की हालत खराब है। लेकिन मैं उन्हें एक दिन में ठीक नहीं कर सकता हूं। पिछले समय में हमने 33% अब बजट ग्राण्ट किया है कोटा, झालावाड़, और बूंदी के लिए यह प्रोग्राम बनाया है। अध्यक्ष महोदय, मैण्टेनेंस ग्राण्ट अपने आप में इतनी कम है कि जो चाहिये उतना नहीं कर सकते हैं।

श्री गौरीशंकर : आप जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में देख लीजिये, कितनी अच्छी सड़कें हैं।

श्री श्रीरामगोटेवाला : सड़कों की हालत तो हमारे यहां भी खराब है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : कोटा डिविजन में वास्तव में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। इतनी तो कहीं भी खराब नहीं है। बार बार जोर देते हैं फिर भी सुनवाई नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव !

जयपुर जिले में सिंचाई बांधों का निर्माण

136. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछली बार पंचवर्षीय योजनाओं में जयपुर जिले में किस किस लागत व कितनी कितनी सिंचाई क्षमता के किस किस बांध का कब कब निर्माण करवाया गया ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत राज्य के अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम खर्चा हुआ है ? यदि हां तो क्यों और नहीं तो क्यों ? कृपया जिलेवार खर्चे की एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इस अवधि में कितने और कौन कौन से बांध टूटे और उनकी मरम्मत पर कितना कितना खर्चा हुआ ?

(4) कौन कौन से बांध अभी तक टूटे हुए पड़े हैं और क्यों ?

(5) किस किस स्थान पर नये बांध बनवाने के लिए सर्वे हो चुका है और उनके निर्माण कार्य की क्या स्थिति है।

राज्य मंत्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) : सूची संलग्न है।

(2) अन्य जिलों की अपेक्षा जयपुर जिले में सिंचाई कार्यों पर सबसे कम खर्चा नहीं हुआ है। सिंचाई कार्यों पर जिलेवार खर्चे की सूची संलग्न है।

(3) उसकी सूची संलग्न है।

(4) केवल एक बांध राहूवास तहसील लालसोट का टूटा पड़ा है क्योंकि तकनीकी दृष्टि से इसका पुनर्निर्माण उचित नहीं समझा गया। अन्य टूटे हुए बांधों पर कार्य हो चुका है तथा प्रगति पर है।

(श्री मूलचन्द)

(5) जिन योजनाओं का सर्वे हो चुका है उनकी सूची संलग्न है । निर्माण कार्य की स्थिति सूची में अंकित है ।

'सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी यह बताया है कि इन जिलों के कम्पीरीजन में बांधों पर पैसा कम खर्चा नहीं हुआ है । लेकिन यह तालिका स्पष्ट बताती है कि जयपुर जिले में अध्यक्ष महोदय आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि यहां पर कितना पानी का भण्डार है । इसका भी आप को पता है । फिर क्या कारण है कि जयपुर जिले की जनसंख्या की अनुपात से पानी पर पैसा खर्च नहीं किया गया है । ताकि यहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सिंचाई के लिए पानी की जगह, कैचमैण्ट एरिया का होना जरूरी है । अभी सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि वहां एक इंच पानी नहीं बरसा है, तो फिर कहां से पानी मिलेगा । जितने बांध बनाने जरूरी थे सभी बन चुके हैं । आगे सुझाव देंगे तो विचार किया जायेगा ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : जहां पानी नहीं होता है, वहां पर आप बांध बनाते हैं । तो क्या आप यह मानकर चलते हैं कि जयपुर जिले में पानी कम है ? आप यह मानकर चलते हैं कि यहां का काश्तकार कुये की सिंचाई पर ही निर्भर करता रहे ? गंगानगर एरिया में चलो जहां नहरों से सिंचाई होती है ।

श्री मीठालाल : वैसे लालसोट बांध जो टूटा हुआ है, उसका आपने बताया है कि टैक्निकली वह ठीक नहीं है तो पहले ही यह क्यों नहीं सोचा गया । जिन अधिकारियों ने यह गलती की है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

दूसरे चाकसू तहसील में श्यामपुरा बांध के बारे में यह फरमाया है कि यह अगले साल ठीक हो जायेगा । उसके बारे में मेरा निवेदन है कि 5 साल से सभी कर्मचारी वहां पर पड़े हुए हैं । कोई काम नहीं हो रहा है । मेरी समझ में नहीं आता है कि किस ढंग से उसको चालू करेंगे । इसके बारे में विश्वस्त ढंग से कह दें कि कब तक काम शुरू कर दिया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : राहूवास बांध टूट गया था, वहां की पंचायत समिति ने यह कहा कि इसके बनाये जाने से नुकसान होगा । काश्तकारों ने यह कहा कि वह इतना ऊंचा हो गया है कि पूरा नहीं किया जा सकता है ।

श्री मीठालाल : मैंने श्यामपुरा बांध के बारे में निवेदन किया था ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : श्यामपुरा बांध की कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न संख्या 137

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री सुरेशचन्द !

Page No 22

(२२)

कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय कोटपूतली का कार्यक्षेत्र

138. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय के अन्तर्गत कितनी तहसीलों का कार्य क्षेत्र आता है तथा कुल कितने उपभोक्ता हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कार्य की अधिकता एवं विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए कोटपूतली सहायक अभियन्ता के कार्यालय के लिए उपयुक्त है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है।

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : कोटपूतली कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय के अन्तर्गत केवल कोटपूतली तहसील का कार्य क्षेत्र आता है तथा कुल 1502 उपभोक्ता हैं।

(2) जी नहीं।

सब-डिवीजन खोलने के लिए कम से कम 5000 उपभोक्ताओं की संख्या होनी चाहिए।

श्री **सुरेशचन्द्र** : क्या यह सही है कि कोटपूतली जूनियर सीनियर तहसील आती थी। पहले प्रश्न का जो जवाब दिया है, वह ठीक है लेकिन यह आपके विभाग की दृष्टि से 3 ए. ई. एन. पर एक सब-डिवीजन जायेगा।

श्री हरिदेव जोशी : जैसे ही आवश्यकता होगी कर दिया जायेगा।

श्री **सुरेशचन्द्र** : क्या मंत्री महोदय, यह आश्वासन देते हैं कि अगले साल हो जायेगा।

श्री हरिदेव जोशी : जब आवश्यकता होगी तो कर दिया जायेगा।

श्री **सुरेशचन्द्र** : क्या यह अगले साल तक हो जायेगा।

श्री **हरिदेव जोशी** : जी नहीं।

श्री **राजेन्द्रकुमार भारतीया** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 137 का जवाब दिला दिया जाये। अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्री **अध्यक्ष** : मौका मिलेगा तो देखा जायेगा। पहले जो सदस्य मौजूद हैं, उनका जवाब मिलना चाहिये।

श्री **मनोहरलाल** : इतना अवश्य है कि 137 बहुत इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल !

मासी बांध से क्षति

139. **श्री बनवारीलाल** (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निवाई तहसील स्थित मासी बांध को क्षति किन कारणों से हुई ? और क्या यह जांच की गई कि उस क्षति के लिए कौन कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

(2) मासी बांध की मरम्मत के लिए कितना रुपया मंजूर किया गया और उसमें से अब तक कितना रुपया खर्च किया जा

(श्री बनवारी लाल)
चुका है तथा मरम्मत कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

राज्य मंत्री सिंचाई (श्री मूलचन्द): (1) मासी बांध इसके कैचमेण्ट क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ इसके टूटने के लिए कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है। जांच की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है।

(2) 37,14,300 रुपये की राशि मरम्मत हेतु स्वीकृत की गई। जनवरी, 73 तक 19,89,073 रु. खर्च हो चुके हैं। कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का कार्यक्रम है।

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिस दिन यह बांध टूटा उस दिन सिंचाई विभाग के कर्मचारी वहां मौजूद थे।

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : 28-6-71 को साढ़े 4 फीट इसमें पानी था। 10 फीट इसका भराव है। 29 तारीख को वर्षा होने से यह 10 फीट ऊपर बहने लगा। कोई भी इन्सानी शक्ति उसको रोक नहीं सकती थी। बांध के ऊपर से 10 फीट पानी बहने लगे। इसकी मरम्मत के लिए 37,14,300 रु. मंजूर हुये। 20 लाख खर्च हो चुके हैं। आशा है, इसी साल में काम को पूरा कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 140

श्री बनवारीलाल : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसके टूटने की किस दिन इत्तिला हुई ?

श्री अध्यक्ष : एक बात प्रश्नों के बीच में मैं निवेदन करना चाहता था। मेम्बर्स से जो प्रश्न आते हैं, सभी के उत्तर नहीं हो पाते हैं। कई महत्वपूर्ण सवाल बाकी रह जाते हैं। मेरी ख्वाहिश यह है कि सभी को जवाब मिल जाया करे। यह तभी हो सकता है जब सभी का सहयोग हो पार्लियामेंट में सप्लीमेण्ट्री बहुत सीमित होती है। मैं इस बात को आपके ही सैल्फ कन्ट्रोल पर छोड़ता हूं। कम से कम ऐसा हो कि सभी को जवाब का मौका मिल जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न संख्या 140

श्री खेतसिंह : हर एक ज्यादा से ज्यादा 3 सप्लीमेन्ट्री पूछ लिया करें।

धात्री के पद पर पदोन्नति

140. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) [श्री माथूराम (बागीडौरा) की अनुपस्थिति में] : क्या आयुर्वेद मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में आयुर्वेद औषधालयों में कार्य कर रही चतुर्थ श्रेणी परिचारिकाओं में से कितनी परिचारिकाएं धात्री बनने की योग्यता कब से रखती हैं और वर्तमान में कहां कहां पद स्थापित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी परिचारिकाओं को धात्री पद पर पदोन्नि

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के बारे में विभाग में सीनियोरिटी आदि पर विचार नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति तथा विगत 5 वर्षों में चतुर्थ श्रेणी परिचारिकाओं जिन्हें कि धात्री पद पर पदोन्नत नियुक्त किया गया है कि तालिका उनकी प्रथम नियुक्ति, धात्री की योग्यता धारण करने की तिथि व धात्री बनाये जाने की तिथि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) धात्री बनने की योग्यता रखने वाली चतुर्थ श्रेणी परिचारिकाओं की पदोन्नति के बारे में विभाग क्या कर रहा है और वर्तमान में धात्रियों के कितने स्थान रिक्त हैं ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री जुझारसिंह) : (1) विभाग में कोई चतुर्थ श्रेणी परिचारिकायें धात्री।कल्पद प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं हैं । अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(2) आयुर्वेदिक अधीनस्थ सेवा नियम 1966 में कल्पद/धात्री द्वितीय श्रेणी के लिए शत प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान है । अतः परिचारिकाओं में से पदोन्नति का प्रश्न ही नहीं उठता । संबंधित प्रावधान की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं । शेष प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) परिचारिका को धात्री पद पर पदोन्नत करने का सेवा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । वर्तमान में विभाग में 10 पद धात्री के रिक्त हैं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

प्रश्न संख्या 141

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशन ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, 141 का उत्तर दिलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : इसका अधिकार ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : यह प्रश्न मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी से सम्बन्धित है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के अधिकार का हनन हो रहे हैं इसलिये इसका उत्तर दिलवाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री विद्यासागर ! टाइम मिलेगा तो उत्तर दिलवा दिया जायगा ।

प्रश्न संख्या 142

श्री विद्या सागर !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री मीठालाल !

वैद्यों के सुरक्षित पद

143. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अन्य चिकित्सालय तथा विभागों की तरह आयुर्वेद विभाग में रिजर्व (सुरक्षित) वैद्य रखने का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे किसी वैद्य के कुछ महीनों की छुट्टी जाने पर उसके स्थान पर रिजर्व में से किसी वैद्य को भेजा जा सके ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री मीठालाल)

(2) क्या सरकार वैद्यों की वेकारी मिटाने के लिए रिजर्व वैद्यों की नियुक्ति का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री जुझारसिंह) : (1) जी नहीं, विभाग में रिलिविंग वैद्य पद 12 सृजित हैं जिन्हें वैद्यों के छुट्टी जाने पर यथासम्भव नियुक्त किया जाता है ।

(2) लीव रिजर्व वैद्यों के और पद सृजित करने का मामला विचाराधीन है ।

श्री **मीठालाल** : अध्यक्ष महोदय, जब डिस्पेंसरी और हास्पिटल में डाक्टरों के सुरक्षित पद हैं उस तरह वैद्यों के लिए नहीं हैं । आपने कहा कि वैद्यों के छुट्टी जाने पर नियुक्त किया जाता है–यह सरासर गलत है। वैद्य जब छः महीने की, तीन महीने की छुट्टी पर जाते हैं तो औषधालय बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं । एक तरफ आप कहते हैं कि वैद्यों की बेरोजगारी है और दूसरी तरफ कहते हैं कि वैद्य उपलब्ध नहीं है । ऐसी परिस्थिति में जैसा आपने कहा कि मामला विचाराधीन है, तो इसे विचाराधीन मामला न रख कर वैद्यों के सुरक्षित पद का सृजन करके वैद्यों को भर्ती करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री **जुझारसिंह** : मैंने निवेदन किया कि अभी डिपार्टमेंट के अन्दर बारह वैद्य रिलिविंग के लिए रखे हुए हैं । हो सकता है, उनके अनुपात में डिमाण्ड ज्यादा हो। इसलिए रिजर्व में रखने का प्रश्न विचाराधीन है और उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री **मीठालाल** : सारे राजस्थान के लिए आपने बारह सुरक्षित पद रखे हैं, यह क्या पर्याप्त हैं ? आपने कहा कि मामला विचाराधीन है । आप अभी इस पर निर्णय ले सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं । बारह महीने पहले इस प्रश्न को उठाया था, इस असेम्बली में प्रश्न पूछा था, तब भी यही उत्तर दिया था कि मामला विचाराधीन है । तो इसको विचाराधीन न रख कर इसके बारे में सरकार शीघ्र निर्णय ले ।

श्री **अध्यक्ष** : इसको निर्णय में रख लीजिये विचाराधीन के बजाय ।

श्री अमृतलाल गहलोत !

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों में विद्युत प्रकाश उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत राशि

144. श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वित्तीय वर्ष 1972-73 में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों में विद्युत प्रकाश उपलब्ध कराने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? कृपया स्थानों के नाम एवं स्वीकृत धनराशि के तादाद की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जिस सिद्धान्त पर उपरोक्त धनराशि का विभिन्न स्थानों के लिए बंटवारा किया गया, उसका क्या आधार है ?

(3) क्या यह सही है कि चीफ इंजीनियर, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने जोधपुर के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के सर्किल में उपरोक्त कार्य के लिए 5.63 लाख रुपये का आवंटन किया जिसमें से सुपरिटेंडिंग

(श्री अमृतलाल गहलोत)
इंजीनियर, जोधपुर ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जोधपुर के क्षेत्र के लिए 91 हजार के लगभग रुपयों का आवंटन किया ?

(4) क्या यह सत्य है कि निदेशक समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रेषित जोधपुर नगर की उपरोक्त कार्य की 31 परियोजनायें जिनका अनुमानित मूल्य 1,33,-790 रुपये बनता है, में से केवल 6 परियोजनाओं जिनका मूल्य लगभग 29,000 रुपये होता है की मण्डल ने स्वीकृति दिनांक 20-1-73 तक प्रदान की जिससे बचा हुआ आवंटन का लगभग 62,000 रुपया लेप्स हो जायेगा ? यदि हां, तो इस अन्याय का उत्तरदायित्व किसका है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) इस कार्य के लिये 25 लाख रुपयों का प्रावधान इस वर्ष 1972-73 में किया गया है। कार्यों की सूची 'अ' संलग्न है।

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा सिफारिश किये गये कार्य, स्थानीय पंचायत समिति व नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित कार्यों पर उपलब्ध धनराशि को सब जिलों में बांटा जाता है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। 91,000 की राशि से जोधपुर शहर में 24 वस्तियों का कार्य किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ, जो सूची मुझे दी गई है और जो मैंने सूचना मांगी थी, उसके हिसाब से यह सूचना अपर्याप्त है। इसमें यह नहीं बताया कि किस बस्ती के लिए कितना पैसा स्वीकृत किया गया। दूसरी बात है, आपने फर्माया कि 91,000 की धनराशि का उपयोग होगा। आप कृपया वह सूची बतायें कि यह 91,000 किन बस्तियों के लिए स्वीकृत कर दिया है। मुझे सूची मिली है, इसमें चौदह पन्द्रह बस्ती हैं, बाकी जो बस्ती हैं इनमें एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। मैं यह विश्वास चाहता हूं कि 91,0..0 की राशि जो स्वीकृत हुई है, और यह 31 वस्तियों की लिस्ट भेजी है इन पर पर्याप्त मात्रा में पूरा पैसा खर्च हो जायगा। आप यह आश्वासन दे दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : जो 31 की सूची आप फर्मा रहे हैं उसमें से लेना भी जरूरी है, इसके सिवाय अगर विभाग के पास और कोई सूची है तो उसमें से लेना जरूरी है। अगर बैकलाग रह जाता है तो उसे पूरा करना भी जरूरी है। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि 91 हजार रुपये का कोई भी पैसा लैप्स नहीं होने दिया जायगा।

श्री दिनेशराय डांगी (देवूरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। इसके अलावा, एक जनरल सवाल है कि हमेशा हरिजन और आदिवासियों के मोहल्लों और बस्तियों के लिए बिजली के लिए बजट में पैसा रखा जाता है लेकिन इन मोहल्लों और बस्तियों में बिजली जाती है वह बड़ी मिन्नत के बाद जाती है। डिपार्टमेंट से एक सरक्यूलर निकला है कि जब तक हरिजन और आदिवासी मोहल्लों में बिजली सप्लाई न की जाय

(श्री दिनेशराय डांगी)

तब तक दूसरी जगह पर खम्भे न डाले जायं। लेकिन होता इससे उल्टा है, सारा पैसा इन मोहल्लों और बस्तियों के लिए उपलब्ध होता है लेकिन फिर भी झूठे आंकड़े आते हैं कि इतनी बस्तियों और मोहल्लों में बिजली लगा दी गई है। कई विलेज ऐसे हैं जिनका इलैक्ट्रिफिकेशन हो चुका है या हो रहा है लेकिन यह शिकायत है कि हरिजन और आदिवासी मोहल्लों में बिजली नहीं दी जाती।

श्री जयनारायण रोत (लसाड़िया): अध्यक्ष महोदय, होता तो यह है कि खम्भे डाले जाते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के नाम पर लेकिन बिजली लग जाती है वहां जहां सवर्ण रहते हैं। वह लोग सिफारिश कराते हैं और बिजली वाले जाते हैं वह उनके मोहल्लों में लगाते हैं। अगर मंत्री और अधिकारियों से पूछें तो यह बता दिया जाता है कि इतने खम्भे, इतना तार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में लगाने के लिए भेज दिये गये हैं। इसके सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया जायगा कि आयन्दा गलत रिपोर्ट नहीं होगी?

श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, जो सूची रखी है, इसमें ऐसे स्थान हैं जिनका विद्युतीकरण न करने की जानकारी मिलती है। क्या मंत्री महोदय जानकारी देंगे कि 25 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, वह जिन बस्तियों के लिए दी गई है, उनमें लग जायगी। भीलवाड़ा की बस्ती दिखाई गई है उसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मैं आशा करूं कि 1973-74 में हो जायगा?

श्री अध्यक्ष: थोड़े में पूछते जायं, और प्रश्न भी आज पूरे करने हैं।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, तीन चार प्रश्न एक साथ पूछे गये हैं। जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सवाल है, पहले समाज कल्याण विभाग रुपया देता था, उसके अनुसार काम होता था, अगर समाज कल्याण विभाग कम रुपया देता था तो कम होता था और ज्यादा देता था तो ज्यादा होता था। अब स्टेट गवर्नमेंट ने केबिनेट रिजोल्यूशन से तय कर दिया है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग ज्यादा रुपया नहीं दे सकता है इस लिये 25 हजार रुपया स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपने बजट में प्रोवाइड करना चाहिए। पिछले वर्ष से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने बजट में यह रकम प्रोवाइड करता है। फिर भी कहां बिजली लगनी चाहिए, कहां नहीं लगनी चाहिए इसकी समाज कल्याण विभाग लिस्ट बना कर देता है और उसी को गाइड लाइन मानते है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा खम्भे तो हरिजन और आदिवासी मोहल्लों के लिए सेंक्शन किये जाते हैं, बतला भी यह दिया जाता है कि हरिजन और आदिवासी मोहल्लों में लगाये लेकिन वह सवर्ण लोगों के मोहल्लों में लगे होते हैं। एक भी ऐसा उदाहरण माननीय सदस्य बतायेंगे तो मैं इन्जीनियर को सस्पेण्ड करूंगा और उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री **जयनारायण रोत**: मैं निवेदन कर दूं।

श्री **हरिदेव जोशी**: आप बता दीजिये।

श्री दिनेशराय डांगी : एक प्रश्न और करना चाहता हूं · · ·

प्रश्न संख्या 145

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री दिनेशराय डांगी : गांधी शताब्दी वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों के लिए वायदा किया था कि वहां बिजली पहुंच जायगी, क्या वहां बिजली लग चुकी है ?

प्रश्न संख्या 146

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 147

श्री रामप्रसाद बोहरा !

(अनुपस्थित- कृपया आगे देखें)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

रायल्टी की बकाया राशि

148. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता, जोधपुर ने बाड़मेर के कुछ ठेकेदारों के विरुद्ध मार्च, 62 में रायल्टी की बकाया राशि की वसूली हेतु कुर्की के आदेश जारी किये ? यदि हां, तो किन किन के विरुद्ध और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता, जोधपुर ने अपने नोटिस नं. एम. ई. जे.। ओ.। कोन्ट।एफ. 18।71-72।769 ता. 24-2-72 के जरिये ठेकेदार रिखबदास जैन सा. बाड़मेर को तारीख 13-3-72 को अपने कार्यालय जोधपुर में रायल्टी निर्धारण के सम्बन्ध में उपस्थित होने का नोटिस दिया यदि हां, तो क्या उस नोटिस की तारीख पेशी तारीख 13-3-72 के पूर्व ही जैन के विरुद्ध कुर्की के आदेश जारी कर दिये ? यदि हां, तो ऐसा क्यों व किस कानून के तहत किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि सहायक खनिज अभियन्ता वसूली ने ठेकेदार रिखबदास जैन के विरुद्ध रुपये 13549.21 की कुर्की तारीख 25-2-72 को जारी कर उनका कोई माल कुर्क किया ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सहायक खनिज अभियन्ता वसूली ने रुपये 13549.20 की कुर्की के खाते रुपये 820.20 और वह भी (अण्डर प्रोटेस्ट) जमा कर सारा कुर्क किया हुआ माल वापिस छोड़ दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता, जोधपुर एवं सहायक खनिज अभियन्ता (वसूली), जोधपुर के अनियमित कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार रिखबदास जैन ने अपने पत्र दिनांक 17-3-72 के जरिये डाईरेक्टर माइन्स, उदयपुर के पास शिकायत की? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई ?

Page No 29

(29)

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां, सूची संलग्न है। वारन्ट कुर्की जारी करने का कारण बकायादारों द्वारा बकाया राशि नोटिस उपरांत भी जमा न कराने से था।

(2) जी हां, 24-2-72 को नोटिस दिया गया था। जी नहीं, 13-3-72 के पूर्व श्री रिखबदास के खिलाफ कोई कुर्की का आदेश नहीं दिया गया। कुर्की का आदेश 15-3-72 को जारी किया गया।

(3) दिनांक 25-2-72 को कोई कुर्की नहीं की गई और न ही आदेश जारी किये गये। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) सहायक खनिज अभियन्ता (वसूली) ने कोई कुर्क किया हुआ माल अपने आप नहीं छोड़ा। दिनांक 20-3-72 का श्री रिखबदास जैन ने अपना फाइनल अधिशुल्क निर्धारण खनिज अभियन्ता, जोधपुर के समक्ष कराया व उसके बाद जो रकम बकाया होती थी उनके जमा कराने पर खनिज अभियन्ता, जोधपुर ने वसूली की कार्यवाही वापिस ले ली।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय····

श्री जुझारसिंह : एक और है।

5) जी हां, डाइरेक्टर माइन्स को जो शिकायत की उसकी जांच जारी है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : रायल्टी के निर्धारण के बारे में, मेरा निवेदन यह है, नोटिस दिया है–यह सही है।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां। मैंने माना है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह बात सही है कि 13-3-72 को कुर्की के आदेश जारी किये गये ? यदि नहीं तो वह कब जारी किये गये ?

श्री हरिदेव जोशी : 15-3-72 को किये हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 25-2-72 को जारी किये गये, क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह मैंने माना है कि कुर्की के आदेश जारी किये गये, लेकिन 25-2-72 को कुर्की के आदेश जारी नहीं किये गये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह जो सूचना आपने दी है कि 25-2-72 को कुर्की का आदेश दिया है यह सही नहीं है, आप इसकी जांच करा लीजिये।

श्री जुझारसिंह : मेरे पास जो सूचना है वह तो मैंने निवेदन कर दी। उनकी कोई कुर्की तो हुई नहीं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कुर्की हुई या नहीं, यह अलग से चीज है। लेकिन कुर्की के बारे में नोटिस दिया गया यह कहां तक उचित है ?

श्री जुझारसिंह : 15-3-72 को कुर्की का आदेश गया था और नोटिस 13-3-72 को दिया गया। लेकिन कुर्की नहीं की गई। आदेश हुआ है, उसके बाद सम्बन्धित व्यक्ति इन्जीनियर से मिला····

श्री मीठा लाल : प्राइवेट में बात कर ली····

श्री जुझारसिंह : प्राइवेट बात का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोडा सा प्रश्न के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर-बाहेतू रोड पर दो ठेके सड़क बनाने के रिखबदास जैन को दिये गये। उसमें जो मैटीरियल काम में आने वाला था उसके बारे में कुछ मतभेद था। रिखबदास का कहना था कि जो मैटीरियल उन्होंने सड़क बनाने के लिये काम में लिया है वह फैमिन के समय में इकट्ठा किया हुआ है और उस पर रायल्टी नहीं दी जानी चाहिये, और डिपार्टमेंट का यह आदेश था कि जो मैटीरियल उन्होंने काम में लिया है उसकी रायल्टी दी जानी चाहिये और माइनिंग इन्जीनियर, जोधपुर ने पी.डब्लू.डी. इन्जीनियर, जालोर को लिखा कि रायल्टी वसूल करनी चाहिये, जिस पर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, पी.डब्लू.डी. ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की है। उसको लिखने के बाद में कुर्की का नोटिस दिया गया और बाद में यह प्रश्न उठा कि क्योंकि यह फैमिन का मैटीरियल था, इसलिये उस पर इतनी रायल्टी, 13,000 रुपये नहीं लगती और बाद में माइनिंग इन्जीनियर के और ठेकेदार के बीच में यह तय हुआ कि फैमिन के मैटीरियल को अलग करके बाकी की रकम जमा करादी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह ही कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो रायल्टी निर्धारण का नोटिस निकाला जाता है और उसी समय कुर्की का आदेश निकाला जाता है, यह कैसे हो सकता है? आप इसकी जांच करवा लीजिये।

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मैं सही जानकारी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : जानकारी करके बता दीजियेगा आप इनको। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बेड़च नदी पर बांध

130. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़गढ़)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

चित्तौड़गढ़ के निकट बहने वाली बेड़च नदी पर घोसुन्डा नामक स्थान पर क्या लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कोई बांध बनाने की योजना है? यदि हां, तो इस योजना पर कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा?

उत्तर

जी नहीं।

उदयपुर जिले में नये औषधालय

134. **श्री मनोहरलाल कोठारी** (नाथद्वारा)–क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि 1971-72 में उदयपुर जिले में नये औषधालय खोले जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मनोहरलाल कोठारी)

(2) प्रस्तावित औषधालयों में से क्या कुछ औषधालय नहीं खोले गये थे ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वर्ष 1971-72 में केवल 100 नवीन औषधालय खोलने का प्रावधान था। अतः सभी प्रस्तावित औषधालय खोलना संभव नहीं था।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

खनिज उत्खनन के लिये लीज पर दिया गया क्षेत्र

137. श्री **निरंजन नाथ आचार्य** (मावली): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जुलाई एवं अगस्त, सन् 1971 में खनिज विभाग द्वारा किस किस फर्म अथवा व्यक्ति को खनिज उत्खनन के लिए कहां कहां कितना कितना क्षेत्र कितनी कितनी अवधि के लिए किस दर से लीज पर दिया गया ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन लीज होल्डर्स के कब कब से आवेदन-पत्र खनिज विभाग एवं राज्य सरकार के पास विचाराधीन थे ?

(3) इन खनिज क्षेत्र के आवंटनों के सम्बन्ध में नियमानुसार कब कब विज्ञप्तियां प्रकाशित की गई और उसके परिणामस्वरूप किस किस क्षेत्र के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? कृपया प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त ऐसे आवेदन-पत्रों की एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) जो क्षेत्र बिना विज्ञप्ति प्रकाशित कराये ही लीज पर दिये गये उसके क्या कारण हैं ? कृपया ऐसे लीज होल्डर्स की एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जुलाई व अगस्त में निदेशालय व राज्य सरकार द्वारा जिन जिन व्यक्तियों, फर्मों को खनिज उत्खनन के लिए खनन पट्टे स्वीकृत किये गये, और जिस अवधि के लिये दिये गये उसकी तालिका संलग्न है।

(2) इन लीज होल्डरों के आवेदन-पत्रों की तारीख संलग्न तालिका के कालम नं. 5 में दर्शाई गई है।

(3) प्रधान खनिज रियायत नियम, 1960 में विज्ञप्तियां तब प्रकाशित की जाती हैं जबकि कोई स्वीकृत या रिजर्व किया गया क्षेत्र पुनः अनुदान हेतु रिक्त घोषित किया जाता है या पार्टियों ने संविदा सम्पादन करने से मना कर दिया हो।

अप्रधान खनिज नियम, 1959 में विज्ञप्तियां प्रकाशित जब की जाती हैं जबकि मंजूरी के तरीके में कोई परिवर्तन हो या स्वीकृत क्षेत्र एक मील या उससे अधिक हो जिसकी स्वीकृति समाप्त हो गई या समाप्त करदी गई हो अन्यथा सब मामलों में विज्ञप्ति जारी करना आवश्यक नहीं है। उक्त समय

(खनिज मंत्री)
में प्राथमिकता के आधार पर कोई आवेदन-पत्र नहीं आये ।

(4) जैसा कि प्रश्न संख्या 3 में बताया गया कि विज्ञप्ति प्रकाशित करना हर मामले में आवश्यक नहीं है। संलग्न तालिका संख्या 1 प्रधान खनिजों की में वो क्षेत्र बतलाये गये हैं जो कि बिना विज्ञप्ति प्रकाशित कराये भी लीज पर दे दिये गये हैं। एवं तालिका संख्या 2 में भी जो अप्रधान खनिजों के सम्बन्ध में है वो क्षेत्र बताये गये हैं जो बिना विज्ञप्ति के प्रकाशित कराये लीज पर दे दिये हैं सिवाय इन क्षेत्रों के जो नीलाम द्वारा दिये गये हैं क्योंकि नियमानुसार रिक्त घोषित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत, बगरू में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को आवासीय भू-खण्डों का आवंटन

141. श्री **जयकिशन लाल तोसावडा** (फागी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम पंचायत बगरू पंचायत समिति, सांगानेर में सन् 1963 से अब तक आवासीय भू-खण्ड आवन्टन हेतु कब कब कितने कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? सूची निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें:–

नाम आवेदक
प्रार्थना-पत्र देने की तिथि
निर्णय लेने की तिथि
नजराना जमा कराने की तिथि
पट्टा देने की तिथि ।

(2) क्या राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों को बिना कीमत पर आवासीय भू-खण्ड आवंटन करने के आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायत द्वारा अब तक कितने भू-खण्डों का आवंटन कर पट्टे दिये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध नजराने की रकम जमा करने के पश्चात् भी पट्टा न देने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत वहां के लोगों द्वारा की गई है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या निर्णय लेने जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मामलों के अलावा उक्त सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी या गबन संबंधी कोई आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां, पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को आवासीय भू-खंड निःशुल्क आवंटित नहीं किये हैं । उक्त पंचायत द्वारा अब तक जितने भू-खंडों के आवंटन के पट्टे दिये गये हैं उसका विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूची में दिया गया है ।

(3) जी हां । ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी जो प्रारम्भिक जांच से ठीक पाई

(पंचायत मंत्री)

गई। जिलाधीश से जांच प्रतिवेदन प्राप्ति होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(4) सरपंच के विरुद्ध राशि के गबन की शिकायत की जांच जिलाधीश, जयपुर द्वारा करवाई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खैरवाडा तहसील के तालाबों एवं एनीकटों का सर्वे

142. **श्री विद्यासागर** (खैरवाड़ा)-क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की खैरवाड़ा तहसील के तालाबों तथा एनीकटों की सर्वे करा रखी है? यदि हां, तो वे कौन कौन से तालाब हैं और इनका निर्माण कार्य कब शुरू करवा दिया जायगा?

उत्तर

उदयपुर जिले की खैरवाड़ा तहसील के दो कामों कोजवाड़ा और जाजरी का सर्वे हो चुका है। प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति होने पर इन्हें शुरू करवाया जा सकेगा।

जालोर जिले में भूमि अवाप्ति के मामले

145. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचौर)–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले के काफी भूमि अवाप्ति मुकदमात अभी तक फैसल होने बाकी हैं? अगर हां, तो कितने मुकदमात कब से फैसल होने बाकी हैं?

(2) उक्त मुकदमात कब तक फैसल होकर भूमि धारियों को मुआवजा दिलवा दिया जावेगा?

(3) जालौर जिले के कितने भूमि अवाप्ति मामलों में भूमिधारियों के मुआवजों की रकम अभी देनी बाकी है? उक्त मुआवजों की रकमों का भुगतान कब तक करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला जालौर में भूमि अवाप्ति के विचाराधीन मुकदमों का ब्योरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) उक्त समस्त मुकदमें 6 माह की अवधि में फैसल हो जावेंगे और उसके बाद में शीघ्र भूमि धारियों को मुआवजा दिलवा दिया जावेगा।

(3) पांच मुकदमात में ही भूमि धारियों को मुआवजे की रकम अभी देना बाकी है इस वर्ष के अन्त तक मुआवजे का भुगतान करवा दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

टंगस्टन माइन्स डेगाना को दिया जाने वाला पारिश्रमिक

146. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)—क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) **टंगस्टन माइन्स; डेगाना में कितने श्रमिक कब से कार्य कर रहे हैं?**

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(2) क्या यह सही है कि उक्त माइन्स पर कार्य करने वाले श्रमिकों को 2 रु. 31 पैसे प्रति दिन का पारिश्रमिक रूप में दिया जाता है ?

(3) उक्त खान पर कार्य करने वाले श्रमिकों को माइन्स एक्ट के अन्तर्गत कौनसी सुविधायें दी जाती हैं।

(4) उक्त खान पर एक श्रमिक को कितनी गहराई से कितनी माल से भरी हुई तगारियां प्रतिदिन लानी पड़ती हैं ?

उत्तर

(1) इस समय करीब 550 मजदूर प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं जिनमें से करीब 300 काफी पुराने हैं।

(2) पहले 2.31 पै. पारिश्रमिक दिया जाता था अब दिनांक 9 फरवरी, 73 से पारिश्रमिक 3 रुपया प्रतिदिन हो गया है।

(3) निम्नलिखित सुविधायें मिलती हैं:–

(क) एक डाक्टर व कम्पाउडर हफ्ते में दो बार खान पर आते हैं।

(ख) कुछ मजदूर, जो दूर के गांवों के हैं, रहने के लिये क्वार्टर दिये गये हैं।

(ग) मीठा पीने का पानी जो कि यहां बड़ी मुश्किल से मिलता है सभी मजदूरों को दिया जाता है।

(घ) सवेतन छुट्टियां (बीस दिन पर एक दिन)

(ङ) रविवार व छुट्टियों का वेतन दिया जाता है।

(च) वेतन वितरण हर माह 7 तारीख तक कर दिया जाता है।

(छ) क्रच (creache) लागत रु. 70,000 बन रहा है।

(ज) केन्टीन लागत रु. 26,000 बन रहा है।

(झ) रेस्ट शेल्टर खानों पर बनाये हुये हैं।

(ञ) बूट्स व हेलमेट फ्री दिये जाते हैं।

(ट) मेटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है।

(ठ) एम्बूलेंस व फर्स्ट एड का इन्तजाम है।

(ड) स्टाफ को मकान व बिजली फ्री दी जाती है।

(ढ) बालीबाल, अखबार वगैरह रखे जाते हैं।

(4) तगारियों की संख्या निश्चत नहीं कर रखी है। हर एक अपने क्षमता के अनुसार लाता है।

लिफ्ट सिचाई योजना झालावाड

147. **श्री रामप्रसाद** बोहरा (झालरापाटन)– क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजपुरा तहसील बकानी (रीछवा के पास) जिला

(श्री राम प्रसाद वोहरा)
झालावाड़ की लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त योजना पर कितना खर्चा हो चुका है और कितना रुपया खर्च होने पर इस योजना का कार्य पूरा हो सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। धन के अभाव के कारण कार्य अधूरा पड़ा है।

(2) अब तक 25 हजार रुपया खर्च हो चुका है एवं पूर्ण करने के लिए लगभग 2,27,800 रुपये की और आवश्यकता होगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रेत के टीबे हटाने का ठेका

58. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली)– क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 70-71 व 71-72 में सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत चलने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में किस किस ठेकेदार को कब कब रेत के टीवे हटाने के लिये एक्स्ट्रा आइटम के रूप में कितना कितना रुपया दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि मूल ठेकों में इस प्रकार के रेत के टीवे हटाने का कोई प्रावधान नहीं था ?

(3) क्या यह सही है कि रेत के टीबों का ठेकेदार द्वारा उठाने से पूर्व विभाग द्वारा कोई मेजरमेन्ट नहीं करवाया गया ? यदि नहीं तो किस किस सड़क से ऐसे टीवों का उठाने से पूर्व मेजरमेंट कराया गया था ?

(4) रेत के टीबे हटाने का कार्य विभाग द्वारा क्यों नहीं करवाया गया ?

(5) इन एक्स्ट्रा आइटम्स के भुगतान के लिये कब कब उपयुक्त अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ?

(स्थगित किया गया)

जैसलमेर खुड़ी नियाजतात सड़क निर्माण का ठेका

59. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली)– क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सन् 70-71 में सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत जैसलमेर खुड़ी नियाजतात सड़क 6910 से 9610 तक के निर्माण का ठेका मैसर्स गुमानी राम एण्ड ब्रदर्स को दिया गया था ? यदि हां, तो कितने रुपयों में ?

(2) इस ठेकेदार को इस ठेके के संबंध में अब तक कब कब कितने कितने रुपयों का भुगतान किया जा चुका है और कितने रुपयों का बिल भुगतान के लिये विचाराधीन है ?

(3) किस किस आइटम के उपरोक्त भुगतान में से कितना और भुगतान का एक्स्ट्रा आइटम के रूप में किया गया ?

(4) इन एक्स्ट्रा आइटम की निविदा आमंत्रित करते समय प्रावधान क्यों नहीं रखा गया ?

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(5) क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान करने से पूर्व उपर्युक्त अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

पंजाब सरकार से करार के अनुसार उर्वरक कारखाने को बिजली प्राप्त कराने का राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास

60. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी सन् 1959 में पंजाब सरकार के साथ एक करार के अधीन राजस्थान में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक कारखाने हेतु 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से राज्य सरकार को सर्व समुच्च से 25 मेघावाट बिजली देने का प्रावधान था ?

(2) यदि हां, तो इस करार के अनुसार बिजली प्राप्त करने का राज्य सरकार द्वारा कब कब, क्या क्या प्रयास किया गया और उसका क्या परिणाम निकला ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त बिजली के उपलब्ध नहीं होने से राजस्थान विद्युत् मंडल को भयंकर आर्थिक हानि हुई है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी कितनी ?

उत्तर

(1) जी हां। इकरार नामा की धारा 38 के अनुसार 25 मेगावाट विद्युत् शक्ति उर्वरक कारखाने के लिए भाखरा पावर हाउस बसवार पर कामनपूल से उस दर पर जो कि उत्पादन लागत से वर्तमान दर से वह सम्बन्ध रखती है जो कि नांगल उर्वरक कारखाने की दर की वर्तमान लागत से संबंध है। यह दर नांगल फर्टीलाइजर की बिजली की दर से कम नहीं होगी।

(2) राजस्थान सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ. 2 (59) पावर/66 दिनांक 8-6-67 के द्वारा भाखरा प्रबन्धक मण्डल को 'फर्म रिक्वीजीशन' भेजी थी। इस संबंध में सचिव भाखरा नियन्त्रण मण्डल ने अपने पत्र संख्या 2733/5 बी-291 दिनांक 15-7-71 के द्वारा राजस्थान सरकार को सूचित किया कि उस समय के हालातों के अनुसार हिसार सब स्टेशन सन् 1968 के तीसरी तिमाही में पूर्ण होने की संभावना थी तथा 220 के. वी. लुधियाना-संगरु-हिसार लाइन भी सन् 1968 के तीसरी तिमाही के पूर्ण होने की संभावना थी। अतः अध्यक्ष, हरियाणा विद्युत् बोर्ड को आवश्यक ट्रांसमीशन लाइन उपरोक्त पावर को लाने के लिये, निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिये, कह दिया गया था। राजस्थान विद्युत् मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 16-9-67 को भाखरा नियन्त्रण मण्डल को उपरोक्त 25 मेगावाट जल्द से जल्द राजस्थान को सप्लाई करने के लिये निवेदन किया। सचिव, भाखरा प्रबन्धक मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 7-2-68 के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल से उर्वरक कारखाने के स्थान तथा उसके कार्य की स्थिति की जानकारी चाही, जो विद्युत् मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 20-2-68 के द्वारा भेज दी।

(विद्युत् मंत्री)

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल, राजस्थान सरकार व भाखरा प्रबन्धक मण्डल को उपरोक्त 25 मेगावाट जल्द से जल्द सप्लाई करने के बारे में लगातार निवेदन करता रहा।

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के पत्र दिनांक 22-2-70 के संदर्भ में, अध्यक्ष, भाखरा प्रबन्धक मण्डल ने विद्युत् मण्डल को अपने पत्र दिनांक 22-8-70 के द्वारा सूचित किया कि गोविन्द सागर बांध में पानी की कमी के कारण उर्वरक कारखाने के लिये मांगी जा रही विद्युत् शक्ति के लिये दबाव नहीं डाले जब तक उपरोक्त में सन्तोषजनक पानी का भराव नहीं हो जावे। यही बात भाखरा प्रबन्धक मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 25-6-72 के द्वारा पुनः दोहराई है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन

61. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली)–क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

आर जे वाई 4538, आर जे वाई 372, आर आर एल 4449, आर आर एल 2355, आर आर एल 2898, आर आर एल 1661, आर आर एल 811 गाडियों का रजिस्ट्रेशन अब तक किस किस फर्म्स अथवा व्यक्ति के नाम पर किस किस जिले में कब कब हुआ है ? कृपया ऐसी फर्म्स के पार्टनर्स या मालिक तथा अन्य व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, निवास आदि के विवरण सहित एक तालिका सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

वांछित सूचना संलग्न है, और उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

कोटा से झालावाड़ होकर आसलपुर तक राष्ट्रीय मार्ग बनाने की योजना

62. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन)–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि कोटा से झालावाड़ होकर आसलपुर तक राजमार्ग को राष्ट्रीय मार्ग (नेशनल हाईवे) में ले लिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में कोटा झालावाड़, रीछवा, रटलाई, मालता, आसलपुर होकर राष्ट्रीय मार्ग बनाने की योजना थी ? यदि हां, तो क्या यह मार्ग अब भी बनाया जावेगा ?

उत्तर

(1) कोटा झालावाड़ ब्यावरा मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने को भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं।

(2) जी नहीं।

चूरू जिले की पंचायतों के पंचायत घर

63. **श्री लूणा राम** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में कितनी पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास पंचायत घर बने हुए नहीं हैं ?

(श्री लूणाराम)

(2) राज्य सरकार ने उक्त क्षेत्र में पंचायत घर बनाने के लिए आज तक कितनी पंचायतों को अनुदान दिया व पंचायत घर बनाये गये ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त क्षेत्र में इस वर्ष पंचायत घर बनाने के लिये कोई अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार पंचायत घरों निर्माण के लिये क्रैश प्रोग्राम में से धन-राशि आवंटित नहीं कर सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो एक पंचायत घर के लिये कितनी राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

गंगापुर-दौसा सड़क पर लगे शीशम के पेड़

64. श्री मोठालाल (लालसोट)–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सत्य है कि गंगापुर सिटी-दौसा सड़क पर गंगापुर सिटी से लगभग दो मील सड़क पर दोनों ओर शीशम आदि के लगे हुये पेड़ों की जड़ों में से मिट्टी निकलने के कारण वे पेड़ गिरने की अवस्था में हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन पेड़ों की रक्षा के लिये कुछ व्यवस्था कर मिट्टी निकालने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

बालू रेत के टीलों पर स्थित पेड़ों की जड़ों के नीचे हवा से मिट्टी उड़ जाने के कारण जड़े निकल आई हैं। किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

पंचायतों का पुनर्गठन

65. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम)–क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत राज कमीशन की रिपोर्ट क्या राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो यह कब तक प्रकाशित होगी ?

(2) क्या राज्य सरकार पंचायतों के पुनर्गठन का इरादा रखती है ?

(3) वर्तमान में बहुत सी पंचायतों व पंचायत समितियों के कई गांव प्रशासनिक दृष्टि से एक जिले से दूसरे जिले के अन्दर इतनी दूरी पर हैं कि उनकी समुचित व्यवस्था नहीं हो सकती क्या सरकार उनके प्रशासनिक हित में पुनर्गठन करेगी ?

(4) यदि हां, तो कब तक पुनर्गठन होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केवल अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकाशित की जावेगी।

(2) अंतरिम रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(पंचायत मंत्री)

(3) यह मामला भी विचाराधीन है।

(4) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भू-सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त की गई जमीन

66. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर)–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों से भू-सीलिंग के अन्तर्गत अब तक कितनी जमीन प्राप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राजस्थान सरकार ने भू-सीलिंग के बारे में जनवरी, 1973 में ओर्डिनेंस जारी किया है ? यदि हां, तो उक्त ओर्डिनेंस की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में कितनी जमीन प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रावधानों के अन्तर्गत 94,736 एकड़ भूमि प्राप्त की है। जिले वार सूची संलग्न है।

(2) राजस्थान भू-सीलिंग ओर्डिनेन्स, 1973 दिनांक 1 जनवरी, 1973 को लागू हुआ। प्रति संलग्न है।

(3) उक्त कानून के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली भूमि की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बून्दी जिले में सीपेज रोकने हेतु योजना

67. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर)––क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में चम्बल की नहरों के रिसाव के कारण काफी भूमि ऊसर हो गई एवं सीपेज का पानी खेतों में भरा रहने के कारण किसान फसलें पैदा करने से वंचित रहते हैं ?

(2) यदि हां, तो बूंदी जिले की कौनसी तहसील में कितनी एकड़ भूमि में पानी भरा रहता है ? पटवार सर्किल अनुसार तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ऐसे किसानों को जिनकी भूमि में पानी भरा ही रहता है सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया एवं उनसे लगान भी वसूल किया जाता है ?

(4) क्या बूंदी जिले में सीपेज को रोकने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो योजना के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(सिंचाई मंत्री)

(2) बून्दी जिले की तहसील बून्दी व केशोराय पाटन प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्र की पटवार सर्किलवार सूची संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा अभी कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। लगान वसूली का कार्य राजस्व विभाग से सम्बन्धित है।

(4) जी हां, सरकार द्वारा ड्रेनेज की लगभग 22 योजनाएं बनाई गई हैं जिनकी सूची संलग्न है.।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खैरवाड़ा तहसील में बनाये गये तालाब व एनीकट

68. श्री **विद्यासागर** (खैरवाड़ा)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) खैरवाड़ा तहसील में सिंचाई विभाग द्वारा कौन कौन से तालाब व एनीकट बनाये गये हैं ?

(2) उक्त तालाबों में सर्वे के अनुसार अब तक कितनी लागत लगी हुई है ?

(3) हर एक तालाब से सर्वे के अनुसार कितनी बीघा जमीन पीवल होने की थी व अब कितने बीघा जमीन पीवल हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) इनको बनाने में करीब 23.40 लाख रुपये लगे हैं।

(3) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं के स्थानान्तरण

69. श्री **चिम्मनसिंह भाटी** (भीम)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अप्रेल, 72 से जनवरी, 73 तक सिंचाई विभाग राजस्थान में कितने अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अधिदर्शकों का स्थानान्तरण एक बार से अधिक जितनी बार किया गया हो उनके नाम स्थानान्तर के स्थान व कारण उन अधिकारियों के नाम जिनका दो बार से अधिक स्थानान्तरण हुआ हो का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उन अधिशासी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं और अधिदर्शकों के क्या नाम हैं जिनका तीन बार स्थानान्तरण स्थगित हुआ हो ? कारण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उन अधिशासी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, अधिदर्शकों के क्या नाम हैं जिन्हें एक ही उपखण्ड या जिले में लगातार पांच वर्ष या इससे अधिक हो गये हों ? एक स्थान पर रखने का कारण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इन बार बार के स्थानान्तरणों से इस वर्ष अधिकारियों को कितनी राशि टी.ए.

(श्री चिम्मन सिंह भाटी)

व डी.ए. में दी गई या स्वीकृत की गई या देय होगी ? उनके नाम के आगे राशि अंकित कर सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है। जिन अधिदर्शकों के स्थानान्तरण अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अपने वृत्त में किये गये हैं उनकी सूचना प्राप्त की जा रही है, उपलब्ध होने पर भेज दी जायेगी।

(2) इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।

(3) अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता की सूची संलग्न है। अधिदर्शकों की सूचना अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त की जा रही है।

(4) सूची 'अ' में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, सेंती (तहसील चित्तौड़गढ़)

70. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़गढ़):-क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्राम सेवा सहकारी समिति सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ के कुल कितने सदस्य हैं ? इन सदस्यों के क्या क्या नाम है ? इनको 69 से 72 तक कितना ऋण दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम सेवा सहकारी समिति सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ के दिनांक 30-6-72 को 98 सदस्य थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसको वर्ष 69-70 से 71-72 तक दिये गये ऋण का विवरण सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

1. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 24-2-73 को झोटवाड़ा में तहसीलदार, जयपुर के आदेशानुसार वहां के एक निवासी के प्लाट में बने हुये कच्चे मकान को गिरा देने के स्थान पर आग लगा देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

2. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने नेशनल डिसीप्लेन स्कीम के 550 कर्मचारियों द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले आन्दोलन के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

3. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने भाखरा और चम्बल से राजस्थान को प्राप्त होने वाली बिजली में एक तिहाई की कटौती करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है।

इन तीनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और

(श्री अध्यक्ष)
जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

4. सर्वश्री केशरीमल, योगेन्द्रनाथ हांडा और मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा ने जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जयपुर, द्वारा यहां के श्रमिकों को अनिवार्य छुट्टी देने के लिए नोटिस के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और माननीय सदस्य यदि चाहें तो इस पर बजट पर आगामी बहस के समय में चर्चा उठा सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

5. सर्वश्री रघुनाथ विश्नोई, मोहनलाल छंगाणी, श्रीमती मदन कौर, श्री रामरघुनाथ, श्री रामलाल (बाड़ी), श्री रामसिंह (लूणी) और श्री अब्दुल हादी, सदस्य विधान सभा ने नई एस. टी. सी. प्रशिक्षण शालाओं में अल्पकालीन पत्राचार प्रशिक्षण के लिए निर्धारित सीटों पर पूरी भर्ती न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिजली की कटौती के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है, उसके सम्बन्ध में केवल जानकारी करना ही काफी नहीं होगा।

श्री **अध्यक्ष** : बगैर जानकारी के कुछ हो सकता है क्या?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जानकारी करके सदन के अन्दर बयान दें कि 33 प्रतिशत.....

श्री **अध्यक्ष** : वह स्टेज जब आयेगी, तब देखा जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तब तक सारी इन्डस्ट्रीज बैठ जायेंगी। गंगानगर में यह हो चुका है। पंजाब ने मुक्तसर स्टेशन पर डिमान्स्ट्रेशन करवाकर पांच दिन तक गंगानगर की बिजली बन्द करवा दी।

श्री अध्यक्ष : बहुत पहले की बात आप कर रहे हैं।

श्री **योगेन्द्र नाथ हांडा** : अब वही पोजीशन आ रही है। पंजाब वही स्थिति लाकर बिजली बन्द करने वाला है। ऐलीगेशन लगाते हैं कि सतपुरा की बिजली जो हमारे क्षेत्र से जाती है वह राजस्थान गुजरने नहीं देता। ऐसी स्थिति पैदा करके पंजाब बिजली बन्द करना चाहता है। यह मामूली प्रश्न नहीं है। इन्टर स्टेट प्रश्न है, पानी का प्रश्न है और बिजली का प्रश्न है। राजस्थान को हरियाणा और पंजाब हर प्रकार से दबाते चले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आप मंत्री महोदय से कहें कि वह हाउस में अपना स्टेटमेंट दें ताकि हमारी पोजीशन सारे भारत वर्ष को विदित हो और हम अपना अखिल भारतीय स्टेंड, एक युनाइटेड स्टेंड ले सकें। जहां हम करोड़ों रुपये देते हैं···

श्री **अध्यक्ष** : काफी कह चुके आप।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री **अध्यक्ष** : मैंने नहीं तो नहीं कहा।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : इसके बारे में स्टेटमेंट दिलाने में क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष : जवाब आने पर ही तो स्टेटमेंट की बात होगी न।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : बिजली की कमी से काश्तकार बहुत हैरान हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे कहने पर निर्णय नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : देखिये, प्रोसीजर यही होता है कि जानकारी की जाती है सब से पहले, उसके बाद में ही स्टेटमेंट वगैरा का सवाल आता है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इसके बारे में जानकारी क्या प्राप्त करनी है, अध्यक्ष महोदय? स्पष्ट स्थिति है कि राजस्थान में 33 प्रतिशत बिजली की कमी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी करनी है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जानकारी तो सब को है। अब हमारी राजस्थान की नीति का प्रश्न है जो कि मंत्री महोदय को इस सदन में घोषित करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उसका समय आयेगा तो हो जायेगी।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : तो आप एक दिन या दो दिन के बीच कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने समय के लिये कब कहा कि दस या पंद्रह दिन के बाद ही जानकारी हो?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : राजस्थान का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न के महत्व को समझ रहा हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : स्टेटमेंट के लिये अगर आप आदेश फर्मा दें।

श्री केशरीमल (त[illegible]वर) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स अपना काम बन्द करने जा रहे [illegible] इस उद्योग में 1200 करीब आदमी काम करते हैं और राज्य सरकार का इस उद्योग में 50 लाख रुपया लगा हुआ है और इनके प्राडक्ट्स से हमको विदेशी मुद्रा भी मिलती है। अगर यह कारखाना बन्द हो गया तो एक तो 1200 या 1300 मजदूर बेकार हो जायेंगे और साथ ही हमारे देश में मीटरों की पैदाइश भी कम हो जायेगी और दिक्कत होगी। यह बहुत अहम मसला है कि एक कारखाना जहां सरकारी पूंजी लगी हुई है, वह बन्द हो जाये। अगर ऐसे प्रश्न भी महत्वपूर्ण नहीं हैं तो फिर समाजवादी व्यवस्था में इस से बढ़कर और कौन सा महत्वपूर्ण मसला हो सकता है? वहां तेरह सौ आदमी बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप मंत्री महोदय को बयान देने के लिये कहें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय मुझे कुछ गुजारिश करना है कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वह मीटर फैक्ट्री बन्द हो गयी तो करीब 11 सौ, 12 सौ या 13 सौ मजदूर बेकार हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों का ही स्थगन प्रस्ताव एक ही है। फिर क्या बात है।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : मुझे कुछ ज्यादा चीज अर्ज करना है। मेरी गुजारिश यह है कि जब कारखाना बन्द हो जायेगा तो यह जरूरी हो जायेगा कि लोग जुलूस निकालेंगे, हड़ताल करेंगे, नारे लगेंगे और उसका नतीजा यह होता है कि ला एण्ड ऑर्डर खराब हो जाता है जिससे कि लाठी चार्ज होता है और फिर गोलियां चलती हैं। इसलिये ऐसी कोई घटना नहीं हो उसके लिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस कारखाने के बन्द हो जाने से करीब 13 सौ मजदूर वहां से बेघरबार हो जायेंगे। इसलिये मैं मन्त्री महोदय का तवज्जूह इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इसके लिये समय पर अभी एक्शन ले लें आज स्थिति यह है कि करीब 1300 आदमियों को नौकरी से निकालने के नोटिसेज दे दिये गये हैं करीब चार हजार में से।

श्री **अध्यक्ष** : आप इसे समाप्त करें। पहले ही कह दिया गया है।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : अध्यक्ष महोदय आप इसकी मूल बात को नहीं समझे हैं। इसमें उस कारखाने के मालिकों का रुख दूसरा ही है। वे गवर्नमेंट को ब्लेक मेल करना चाहते हैं। वे गवर्नमेन्ट से कह रहे हैं कि या तो हमें 50 लाख रुपये दो वरना हम 13 सौ मजदूरों को निकाल देंगे। तो मेरा इसके लिये यही निवेदन है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चहिये कि इस कारखाने को टेक ओवर करले। जैसे कि केरला गवर्नमेंट ने टेक ओवर किये हैं। जब राज्य सरकार समाजवाद की स्थापना करना चाहती है तो ऐसा क्यों नहीं कर लेती। कारखाने के मालिक यह धमकी देकर कि अगर आप 50 लाख रुपये नहीं देंगे तो हम 13 सौ मजदूरों को निकाल देंगे। बड़े अफसोस की बात है।

श्री **अध्यक्ष** : इस पर निर्णय कर दिया जायेगा। विधायी कार्य। पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय जो मामले ऐसे हों जिनमें इन्टरस्टेट पोलिसी का सवाल हो उसमें तो कम से कम राज्य सरकार को स्टेटमेंट दे देना चाहिये। इसमें स्टेट के इन्टरेस्ट सेफगार्ड करने की बात है। आज पंजाब ने, हरियाणा ने और महाराष्ट्र सभी स्टेटों ने इस पर अपने डिसीजन ले लिये हैं।

श्री **अध्यक्ष** : मैं भी इसको काफी महत्व पूर्ण मानता हूं। मैंने इसके लिये आपको कह दिया है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं आपको नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें गवर्नमेंट से स्टेटमेन्ट दिला दिया जाय।

श्री **अध्यक्ष** : मैं भी आपको सादर विनती करना चाहता हूं कि आप विराज जाइये।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं नम्रतापूर्वक आपसे।

श्री **अध्यक्ष** : मैं भी आपसे सादर निवेदन कर रहा हूं। मैं इसे जल्दी ही कराऊंगा।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था प्रश्न और उस पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हमारे यहां पर बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने जो निर्णय लिये हैं तो फिर यहां पर बिजनेस में चेजेन्ज क्यों है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जो बिल पहले लेना चाहिए था वह बाद में लिया जायेगा। इसी प्रकार कृषि जोतों पर जो विधेयक परसों चल रहा था वह आज भी कंटीन्यूएशन में चलना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसके साथ ही यहां पर दूसरी स्थिति ऐसी भी है कि एक बिल जो आज नहीं आने वाला था वह भी आ गया मोटर गाड़ी करारोपण···

श्री अध्यक्ष : वह दुबारा सरक्यूलेट हुआ है। कोई नई बात नहीं है। आप लिस्ट ऑफ बिजनेस को ठीक तरह से शायद देख कर नहीं आये हैं। इसके लिए पार्ट सैकन्ड जारी किया हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मंत्री) : दोनों ही विधेयक आज ही लिए जावेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये आपने जो पहले दिया है वह।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा ना कि दोनों ही लिए जावेंगे और दोनों ही बिल अलग अलग हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आपको सूची में तो प्रस्तुत करना चाहिए था। इस प्रकार चेन्जेन्ज करने से अध्यक्ष महोदय हमें बहुत ही दिक्कत पड़ती है क्योंकि हम कोई एमेन्डमेन्ट देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में एमेन्डमेंट दे सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बार बार सूची में चेन्ज करने से क्या फायदा। ये आप राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 जो है उसे·····

श्री हरिदेव जोशी : करारोपण भी लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैं निवेदन कर दूं। बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने कुछ निर्णय लिए थे कि कौन कौनसा बिल कब लेना है। उसके बाद में कुछ संशोधन किये गये हैं। और जो संशोधन उसमें किये गये हैं वह आपको भिजवा दिये गये हैं जिन जिन बिलों के लिए आज डिस्कशन रखा है उसमें आप चाहें तो एमेन्डमेन्ट दे सकते हैं। बिल आप लोगों को सरक्यूलेट किया जा चुका है। राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधयेक, 1973 व दूसरा मोटरगाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 दोनों ही लिये जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, पहले **तो तीन** बिल थे पर आज जब सदन में **आये तो** टेबल पर एक अलग बिल रखा हुआ था इस प्रकार अब कुल चार बिल हो गये हैं। उन्हें हमारे पास भली प्रकार से अध्ययन करने का समय भी तो होना चाहिए। जो कांग्रेस वाले हैं उन्हें अगर स्टेडी नहीं करना हो तो कोई बात

(96)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
नहीं लेकिन जब हम कोई बिल विधान सभा में लाकर पास करते हैं तो उस पर भली प्रकार से विचार तो विधान सभा के अन्दर होना चाहिये ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अभी स्थिति को स्पष्ट कर देता हूं। ये चारों बिल बिजनेस एडवाईजरी कमेटी के अनुसार यहां रखे जाने चाहिये थे । लेकिन एक बिल में प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट जरूरी थी वह चूंकि समय पर प्राप्त नहीं हुई इसलिए उसे रोके हुए रखा । अब चूंकि प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट आयुकी है इसलिये इसे रख दिया गया । वैसे बिजनेस एडवाईजरी कमेटी के अनुसार भी यही था । आपको याद होगा जब उपाध्यक्ष महोदय के सामने इसी सदन में यह बात चली थी तो उन्होंने कहा कि इस प्रश्न पर मैं निर्णय लेकर बाद में बताऊंगा । अध्यक्ष महोदय बाद में निर्णय कर दिया तो आज की तारीख में उसे लिया गया है । पहले प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति नहीं हुई थी पर बाद में प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति हो, गयी तब इसे सरक्यूलेट कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : हमारे यहां से जो 26 फरवरी की लिस्ट ऑफ बिजनेस आपके पास आयी है उसमें है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हमारे बिजनेस में नही है अलग से है ।··

श्री अध्यक्ष : यह अलग से नहीं है । इसमें राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 और उसके बाद में राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण निर्बन्धक) विधेयक, 1973 उसके बाद में मोटरगाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 ये इसमें है । सरक्यूलेट हुए हैं उसमें है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप लेना चाहें तो ले सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह बात नहीं है । हमारे कार्यालय से जो 24 फरवरी को जो बिजनेस यहां से आपके पास आया हैं उसमें दिया हुआ है कि दिनांक 26 फरवरी को ये विधेयक लिये जायेंगे । आप पढ़ लीजिये । इसमें दिया हुआ है कि पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक हैं । उसमें यह तीनों ही बिल दिये हुए हैं । ऐसा कोई बिल नया नहीं लिया है जो कि हमारी कार्य सूची में नहीं है ।

विधेयकों का पुरःस्थापन

विधायी कार्य

पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक ।
श्री यातायात मन्त्री ।

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति हैं कि विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पहले अध्यक्ष महोदय, करारोपण वाला विधेयक लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : वही लिया जा रहा है । यातायात मन्त्री ।

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटरगाड़ीकरारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गयी)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरः स्थापित किया गया । नेक्स्ट ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 1972 (अध्यादेश, संख्या 5, सन् 1972) तथा राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश संख्या 6, सन् 1972) को जारी करने के कारणों के विवरणों को सदन की मेज पर रखता हूँ ।

राजस्थान नगरीय सम्पति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक 1973

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, नगर आयोजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : क्या विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) अध्यादेश 1973 (अध्यादेश संख्या 5, सन् 1973) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ ।

मोटर गाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटरगाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : क्या पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित की आज्ञा प्रदान की गयी ।

(48)

श्री **हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटरगाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1973 को पुरः स्थापित करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत मोटरगाड़ी (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश सं. 4, सन् 1973) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

विचारार्थ विधेयक राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एवं राजस्थान मोटरगाड़ी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972 को अस्वीकार करने सम्बन्धी परिनियत संकल्प

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर): माननीय अध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश राजस्थान मोटरगाडी करारोपण के सम्बन्ध में निकाला है उस पर अपना परिनियन संकल्प प्रस्तुत किया है इसको अस्वीकार करने के लिये। अध्यक्षजी, मैंने यह इसलिये रखा है कि बार बार इस प्रकार अध्यादेश निकालना और अध्यादेशों के आधार पर राज्य चलाना प्रजातन्त्र के लिये हितकर नहीं है। असेम्बली मिलती है उसमें लाना चाहिये और असेम्बली का सैशन होना चाहिये। असेम्बेली का सैशन नहीं बुलाया जा रहा है और जैसा पहले होते आ रहा था कि असेम्बली का सैशन न बुलाया जाय और उससे कतराया जाय और अध्यादेश निकाल दिये जायं उसी प्रकार की बात श्रीमान् बरकत साहब की सरकार में भी हो रही है। अगर यह करारोपण करना था और कानून बनाना था तो पिछली बार विधान सभा का 11 दिन का जो सैशन बुलाया गया उसमें भी आप यह कर सकते थे। इसलिये बार बार सेशन नहीं बुलाना और आर्डिनेन्सेज निकालना यह जन प्रतिनिधियों के हकों पर कुठाराघात है।

मैं निवेदन करूंगा कि पिछली बार भी उन मोटर चलाने वालों, ट्रक चलाने वालों पर टैक्सेज बढ़ाये गये थे और बजट में भी टैक्सेज बढ़ाये गये थे। उनको बढ़ा देने के बाद आपको ध्यान होगा, अध्यक्षजी, कि सारे ट्रक चालकों ने 22 जुलाई की मध्य रात्रि से आन्दोलन खड़ा किया कि बढ़े हुए टैक्सेज हम नहीं देंगे। उसके तहत 4 अगस्त की रात्रि को जिसमें मुख्य मंत्री और यातायात मंत्री भी मौजूद थे एक समझौता हुआ। जो टैक्सेज बढ़ाये गये थे उनको कम करने का सरकार ने फैसला किया और मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि तीन वर्ष तक टैक्सेज नहीं बढ़ाये जावेंगे। और जो आपस में बैठ कर तय हुआ है वे ही टैक्सेज मोटर चालकों को देने पड़ेंगे। परन्तु खेद का विषय है कि अध्यादेश निकाल कर टैक्सेज बढ़ा दिये गये। उसके बारे में निवेदन करूंगा :

• अंग्रेजी में बोल रहा हूं goods vehicles and delivery vans, 500 रखा था तय हुआ था 276। 130 के स्थान पर 75 तय हुआ था। 600 के स्थान पर 400 तय हुए थे 160 के स्थान पर 130 तय हुए थे। 1800 के स्थान पर 1600 तय हुए। 420 के बजाय आपने कर दिये 475/105

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की वजाय ग्रापने कर दिया 160।75 की वजाय ग्रापने कर दिया 130 ।

इस प्रकार से टैक्सेज बढा दिये । मोटर वालों के साथ बैठ कर समझौता हुग्रा था जिसमें मुख्य मंत्रीजी मौजूद थे उसके ग्रन्दर यः ग्राश्वासन दिया था कि तीन वर्ष तक कोई टैक्सेज नहीं बढ़ाये जावेंगे लेकिन ग्रापने टैक्सेज बढ़ा दिये ।

इसी प्रकार 2000 के वजाय 1800 तय हुए। 2500 की जगह 2200 तय हुए। 580 के स्थान पर 660 कर दिये । 730 की जगह 655 कर दिये ।

इसी प्रकार से 795 की जगह 985 बढ़ा कर कर दिये । इसी प्रकार 820 की जगह 1050 कर दिये ग्रौर 3200 की जगह 4 हजार कर दिये । यह तो हो गये राजस्थान के ।

(12.28 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रीजन में ग्रापने स्वयम् ने माना है । रीजन में 265 समझौते में तय हुए थे ग्रापने कर दिया 195।315 की जगह 525 ग्रौर 2 हजार 90 की जगह 3 हजार कर दिये । 370 से बढ़ा कर 665 कर दिये । इसी प्रकार 1850 की जगह 3625 कर दिये । 540 की जगह 985। 1950 से बढ़ा कर 3450 कर दिये । 565 से बढ़ा कर 1020 कर दिये। 2180 से बढ़ा कर 3875 कर दिये ।

इसी प्रकार 2200 की जगह बढ़ा कर 4 हजार कर दिया । ग्राप ग्रनुमान लगाइये कि ग्रापने कितने टैक्सेज बढ़ाये हैं।

श्री [illegible] जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सरकुलेट कर दिया गया है । उसमें यह है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किस प्रकार से टैक्सेज बढ़ाये गये हैं ?

मेरा निवेदन करना है कि ग्रापने रेट रखी हैं, राजस्थान में पांच रीजन हैं। ग्रापने रीजन ग्रौर राजस्थान में ग्रन्तर नहीं रखा है । राजस्थान बड़ा है। रीजन के टैक्सेज भी वही ग्रौर राजस्थान के भी वे ही । कहीं पर राजस्थान के टैक्सेज कम हैं ग्रौर कहीं पर ज्यादा हैं । उदाहरण हैं उससे मालूम पड़ जावेगा । 790 कर दिया जब कि वहां 660 था । राजस्थान में कम है, रीजन में टैक्स ज्यादा कर दिया । एक तो यह निवेदन है । दूसरे पिछली बार विधान सभा के बजट सैशन में यह टैक्स बढ़ाया था । ट्रक वालों में ग्रापस में किसी तरह राजीनामा भी हो गया वह सूची भी मेरे पास मौजूद है । ग्रब ग्राप यदि देखें राजस्थान के जो ट्रक चालक हैं उन पर दुगना तिगुना टैक्स बढ़ा दिया है । फिर मैं समझता हूं राजस्थान एज ए होल करना था। रीजन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये था । गत सैशन में ग्रापने टैक्स बढ़ाया ग्रौर ग्राग ामी बजट सैशन में भी टैक्स बढ़ायेंगे-टायर पर ट्यूब परग्रौर पार्टस पर टैक्स बढ़ाने वाले हैं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यदि आप दिल्ली को देखें, पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें तो वहां राजस्थान के तुलनात्मक टैक्स कम हैं। इससे यह होगा कि आपके यहां ट्रकों का रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। ट्रकों का रजिस्ट्रेशन होगा पंजाब में, दिल्ली में और हरियाणा में। आपकी आमदनी घट जायगी। गत साल एक फैसला हुआ था जिसमें 200-200 गाड़ी के आपस में परमिट मिलने वाले थे। खेद है हरियाणा ने उसका परमिट ले लिया, पंजाब ने उसका परमिट ले लिया लेकिन राजस्थान ने अभी तक वह परमिट नहीं लिया है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि राज्यपाल महोदय ने जो अपना आर्डिनेन्स प्रसारित किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसे अस्वीकार इसलिए करें कि ऊपर की बातें यों की यों ही रह गई हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

उन सारे टैक्सेज में राज्य सरकार ने जो फैसला माना है टैक्सेज के जो रेट्स वहां पर तय किये थे उससे चार गुने टैक्स लगा दिये हैं। बराबर के राज्यों का उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है। वहां पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वहां पर ट्रक चालक·······

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मालिकों को अन्य सुविधायें दे रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारा व्यापार चौपट हो जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

कई लोग जो ट्रकों पर काम करने वाले हैं, जो मजदूर वर्ग है मैं समझता हूं उनमें भी बेकारी आ जायगी। राज्यपाल महोदय जो अध्यादेश के मार्फत जो टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, वह राजस्थान में बेकारी बढ़ाने वाले हैं। सारे मजदूर जो ट्रकों पर काम करते हैं बेकार होंगे। इसलिए राज्यपाल महोदय का जो अध्यादेश निकला है इसको अस्वीकार करते हुये मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य की यह जो बात थी वह किसी भ्रम पर आधारित है। यह बात सही है कि एक अमेन्डमेंट पिछले सैशन में किया गया था। जब सैशन के अन्दर उसका एक कनसेप्ट था। हमने कई प्रकार के वेट के व्हिकिल्स को उपलब्ध कर दिया था जैसे एक हजार से लेकर 7 हजार तक, 7 हजार से लेकर 14 हजार तक और 14 हजार से ऊपर तक का। उसको इस तरह करने का परिणाम यह हुआ जिनके पास छोटे व्हिकिल्स हैं उनको भी बड़ों का टैक्स देना पड़ता था और इससे उनमें असमानता थी।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्रक आपरेटर्स एक बार उदयपुर में मिले, यहां पर भी मिले और मैंने उन्हें कहा सारी चीजों को विस्तार से समझा। उस समय यह डिपार्टमेंट भी मेरे लिये नया नया था और मेरे पास सारी पृष्ठ भूमि नहीं थी। मैंने सारी चीजों को समझा। इस बीच में उन्होने स्ट्राइक शुरू कर दी। मैंने गवर्नमेंट को जो मैं महसूस करता था वह कहा और उन्हें यह आश्वासन दिया कि आपकी

(श्री हरिदेव जोशी)

डिफिकल्टी के प्रति सहानुभूति है। जिनके पास कम शक्ति के व्हिकिल्स हैं उससे उनके ज्यादा टैक्स देना पड़े यह उचित नहीं मालूम पड़ता और हम कुछ करेंगे, मेरी सहानुभूति है।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से तीन व्हिकिल्स के प्रति ज्यादा थी। बड़े बड़े लोग ज्यादा कमाते हैं और उनके पास एक से ज्यादा ट्रक भी होते हैं। मगर एक ट्रक ड्राइवर साधारण एक ट्रक रखकर पैट्रोल से चलाता है और शहर में इधर उधर बहुत छोटे पैमाने पर अपना काम चलाता है। राज्य सरकार ने मेरी बात को माना और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है उपाध्यक्ष महोदय कि ट्रक आपरेटर्स ने इस चीज को महसूस किया। सरकार जैसे करना चाहती हो, यह बात नहीं है। ट्रक आपरेटर्स से कोई भी डिटेल्ड डिसकसन नहीं हुआ। ट्रक आपरेटर्स की एक कमेटी जरूर हमने बनाई। गवर्नमेंट आफिसर्स और ट्रक आपरेटर्स जिसमें, उनकी जो ग्रिवेन्सेज थीं उसको डिटेल में डिसकस किया और उनकी धारणा सही है या गलत है, यह समझने की कोशिश की। उसके मुकाबले उपाध्यक्ष महोदय। यह जो नया अमेंडमेंट आया है हमने वही पुराना सिस्टम इन्ट्रोड्यूज कर दिया और जो विहिकल्स थे उनको अलग अलग करके एक प्रकार के व्हिकिल्स के ऊपर उस प्रकार का टैक्स कर दिया। उसके बाद एक अनोमोली जो थी 11 हजार के. जी. और 14,700 के. जी. ट्रक आपरेटर्स ने जैसा समझा उसको हमने एक्सप्लेन भी किया था, यह रह गया। मैंने स्वीकार किया राज्य सरकार की गलती रही है। उसको दूसरे आर्डिनेन्स के जरिये करेक्ट कर दिया गया। इसलिये यह कहना कि यह आर्डिनेन्स नया टैक्स लगाने के लिये निकाला गया है, यह सही नहीं है। यह दो आर्डिनेन्स टैक्स रिलीफ देने के लिये निकाले गये हैं और इससे लोगों को टैक्स का रिलीफ मिला है। गवर्नमेंट की बात समझने के बाद में स्ट्राइक का अन्त हुआ है। इसमें यह कहना हमने टैक्स बढ़ा दिया है, यह वाजिब नहीं है। टैक्स बढ़ाया था इस सदन के समक्ष जो बिल था, उसमें बड़ी बड़ी तालिका थी लेकिन इसमें कम कर दिया गया है। अब यह पासिबल हो सकता है ट्रक आपरेटर्स और कोई चीज चाहते हों और राज्य सरकार ने उस हद तक कम नहीं किया हो।

इसी प्रकार राज्य सरकार ने ट्रक आपरेटर्स को यह आश्वासन नहीं दिया है कि आयन्दा तीन साल टैक्स नहीं बढ़ायेंगे। मैं समझता हूं इस प्रकार का कोई आश्वासन कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। इस आर्डिनेन्स से दोनों–पहला आर्डिनेन्स और दूसरा अमेन्डिंग आर्डिनेन्स एक दूसरे के पूरक हैं और इसीलिये रखे गये हैं। टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं है। टैक्स घटाने के लिये है। इसलिए इसका विरोध करने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, 19 सितम्बर, 1972 को ये दस्तखत कल्याण दत्त, सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट और माननीय जोगेन्द्रसिंहजी, जो वर्तमान राज्यपाल महोदय हैं, उनमें जो रेट्स प्रसारित की गई थीं वह परिपत्र मेरे पास मौजूद है और दूसरे राज्य सरकार की जारी की गई अधिसूचना यह

Page No 52

(52)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
होम डिपार्टमेंट का इन्स्ट्रक्शन है जिसमें रेट्स वापिस हुई, ट्रक मालिकों के साथ बैठ कर–रामसिंहजी के भी दस्तखत हैं और गवर्नर साहब के हुक्म से निकला है। इसमें बड़े वालों में टैक्स ज्यादा था और फिर आन्दोलन हुआ और आन्दोलन होने के बाद ट्रक आपरेटर्स के साथ आपने समझौता किया····

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा कि जहां एनामाली रही थी उसको दूर किया गया है। जहां पहला आर्डिनेन्स निकाला रिलीफ देने के लिए उस आर्डिनेन्स के अन्दर भी लोगों को कुछ एतराज रहा कि आपने अमुक केटेगरी के लोगों को राहत नहीं दी तब हमने उसको एग्जामिन किया और दूसरे या तीसरे ही दिन दूसरा आर्डिनेन्स निकाल दिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि यह तो सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह कापी भी आपकी मौजूद है और दूसरी भी मौजूद है और आपके गजट का नोटीफिकेशन भी है। आपने ट्रक मालिकों पर टैक्स तिगुना कर दिया है वह भी मौजूद है। मैं समझता हूं कि यह सारी चीजें प्रत्यक्ष हैं और दोनों नोटीफिकेशन हैं और आप कह दें कि यह भी गलत और वह भी गलत, मैं इसको कदापि नहीं मान सकता। मैं उपाध्यक्षजी की मेज पर तीनों नोटिस रख देता हूं और मैं समझता हूं कि इससे क्लेरीफिकेशन हो जायेगा और अन्धे आदमी की भी समझ में आ जायेगा कि राज्य सरकार ने क्या टैक्सेस लगाये थे और क्या मांगें मन्जूर की थीं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो ट्रक आपरेटर्स हैं उनका एक बड़ा भारी व्यवसाय है और दूसरे प्रान्तों में टैक्सेस क्या हैं और क्या सहूलियतें हैं। आपने जौन बनाने के लिए क्या घोषणा की थी। आपके राज्य के वित्तीय साधनों का टैक्स बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा–इन सब बातों का मंत्री महोदय आपको विचार करना चाहिए और मैं तो तीनों ही प्रतिलिपियां उपाध्यक्षजी की मेज पर रख देता हूं। मैं समझता हूं कि इसके साथ न्याय होना चाहिए। केवल सदन को गुमराह करके ट्रक आपरेटर्स है उनके व्यवसाय पर आप इस तरह से टैक्स चोर दरवाजे से बढ़ाना चाहते हैं उसका मैं विरोध करता हूं।

हां, आप यह टैक्सेज बजट के अवसर पर लाते और फिर यहां आन्दोलन होते तो इस भाषा से सरकार समझ जाती। सरकार आन्दोलनों की भाषा समझ जाती। लाठी चले, गोली चले और फिर सरकार के साथ बातचीत के लिए बैठें और फिर जयपुर में अशान्ति हो, यदि सरकार इसकी आदी हो गयी है तो यह कोई प्रजातंत्र नहीं है। न तो मैं अशांति का पोषक हूं और न मेरा दल ही पोषक है। देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, व्यक्ति हमारे हैं और सम्पत्ति हमारी है। इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी की टेबल पर पहले वाला नोटीफिकेशन, सरकार की घोषणा, कम्प्रोमाइज हो गया यह सब बातें रख देता हूं। आपने कहा था कि तीन वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा और अब आप कहते हैं कि मैंने नहीं कहा। अब तो यह होगा कि मंत्री लोग जो आश्वासन देते हैं उनको टेप रेकार्ड कर लिया जाये और फिर बता दिया जाये कि देखिये आपने यह कहा था।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपकी टेबल पर यह सब रखता हूं और मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि माननीय मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ट्रक वालों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : प्रवर समिति और जनमत जानने के प्रस्ताव पड़े हैं उनको भी ले लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य (श्री गिरधारीलाल भार्गव) अपने संकल्प को वापिस लेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं नहीं लूंगा चाहे मेरे पक्ष में एक भी वोट आये। मैं इसकी चिन्ता करने नहीं आया कि मैं जीता या हारा। हम तो वैसे ही हारे हुए हैं, जनता ने ही हराकर भेज दिया और उधर 144 सदस्य जीत कर आ गये। मैं अपना संकल्प वापिस नहीं लूंगा चाहे जो भी परिणाम हो।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में कोई संशोधन प्रस्ताव तो नहीं दिया है आसन को अधिकार है कि मुझे एक मिनट का अगर मौका दे तो मैं भी थोड़ा कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : फरमायें।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह टैक्स की व्यवस्था है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि सरकार को अधिकार है टैक्स बढ़ाये या घटाये। यह तो सरकार का इनहेरेन्ट राइट है लेकिन उसके साथ ही साथ माननीय सदस्य श्री गिरधारीलालजी ने ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किये और मैंने भी देखा कि यह बात सच है। अगर ठीक है तो माननीय मंत्री महोदय मुझे कहेंगे कि मैंने जो कुछ सदन के समक्ष सिद्धान्ततः तथ्य रखे यह ठीक नहीं हैं। मैं यह समझता हूं कि जहां भी करारोपण की व्यवस्था है सरकार अगर शत-प्रतिशत अथवा दुगने टैक्स की दर बढ़ा दे उस हद तक तो काबिले बरदाश्त है लेकिन उससे अधिक टैक्स बढ़ाना, मैं समझता हूं कि जनतंत्र की प्रक्रिया के अनुसार और वित्तीय साधनों के अनुसार डेमोक्रेसी जहां पर है और माइनोरिटी एजीटेट करे और बहुमत की बात अल्पमत मान ले लेकिन जहां बहुमत की ऐसी व्यवस्था हो कि अल्पमत घोर असन्तोष व्यक्त करे तो वह अत्याचारी व्यवस्था होती है। मैं समझता हूं कि 100 परसेन्ट से अधिक टैक्स अत्याचारी व्यवस्था है और माननीय सदस्य ने यह कहा कि रजिस्ट्रेशन को भी बचाने के लिए पड़ौसी राज्यों में रजिस्ट्रेशन वगैरह होंगे और यदि एक हद तक टैक्स बढ़ायेंगे तब तक तो आपका रिटर्न बढ़ेगा लेकिन टैक्सेशन की थ्योरी के हिसाब से एक हद से टैक्स बढ़ायेंगे तो आमदनी घट जायेगी। तो उपाध्यक्षजी, इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं कि दुष्काल है, सरकार के ऊपर ऋण है, बिलकुल दिवालिया की सी परिस्थिति है, रुपयों की आवश्यकता है, टैक्स सरकार बढ़ाये लेकिन एक हद तक बढ़ाये। उसके उपरान्त यदि सरकार टैक्स बढ़ायेगी तो मेरे ख्याल से माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को अगर प्रेस करें तो वह चाहे गिर जाये लेकिन सदन के समक्ष रखने का उनको

(श्री लक्ष्मणसिंह)
अधिकार है और उसके साथ मेरी सहानुभूति है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती कि किसी सदस्य को अपने प्रस्ताव को प्रेस करने का अधिकार है अथवा नहीं है। वह कनविन्स हुए तो विथड्रा कर लें और अगर कनविन्स नहीं हों तो उसको प्रेस करें। मैं जैसा कि निवेदन कर चुका हूं 3 स्टेजेज इस सारे में आई हैं। पहली स्टेज थी जब कि मैं टैक्स प्रपोजल्स यहां लेकर आया था। वह टैक्स अव्यवहारिक थे ऐसा ट्रक आपरेटर्स ने कहा और स्ट्राइक की। उनके साथ नेगोसियेशन्स हुए और नेगोसियेशन्स हो करके हमने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारी बातों को हम सहानुभूतिपूर्वक सुनेंगे और जल्दी ही फैसला कर देंगे। उन्हें जैसा कहा गया था उसके अनुसार फैसला कर दिया। इसके बाद जहां एनामाली रही उसके ऊपर उन्होंने पब्लिक रिजेन्टमेन्ट जाहिर किया और यहां तक कहा कि अगर गवर्नमेन्ट ठीक नहीं करेगी तो हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। माननीय महारावल साहब को मालूम होगा कि दूसरा नोटिस भी दिया था उन्होंने। हमने फिर से दो दिन में आर्डिनेन्स निकाला और उसको करेक्ट कर दिया और उसके बाद आज तक तीसरा नोटिस उनका नहीं आया यह क्या शो करता है? आज तक स्ट्राइक नहीं है यह क्या शो करता है? यह बात सही है कि हमने जो अमेन्डिंग आर्डीनेन्स निकाला है उसमें किसी जगह घटाया है और किसी जगह बढ़ाया है। अब आप कहते हैं कि क्यों? उसके पीछे एक लाजिक है। लाजिक यह है कि हमने छोटों का काफी घटा दिया और बड़ों का थोड़ा सा बढ़ा दिया। आज जो फ्लीट आपरेटर्स हैं जिनकी 24 घंटों में से 20 घंटे और बारहों महीनें जिनकी फ्लीट बराबर चलती रहती हैं उनमें और जो स्वयं चलाते हैं और एक ही ट्रक रखते हैं और वह भी पैट्रोल का छोटे वाला उसमें और उसमें मैंने भेद किया है। मैंने तीन टन के ट्रक और पांच टन के ट्रकों पर कम टैक्स लगाया है और उसके ऊपर वालों का बढ़ा दिया है। स्टेट गवर्नमेंट जिन स्थितियों में है वह माननीय सदस्यों के सामने है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की मांग की जाती है। सड़क की मांग की जाती है। अस्पतालों की मांग की जाती है। शिक्षा की मांग की जाती है और जहां बियरेबल टैक्स है उसको घटाने की बात सुन कर मुझे आश्चर्य होता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सैकिंड आर्डिनेन्स निकला उसके बाद एक आदमी भी शिकायत करने नहीं आया। एक ट्रक आपरेटर भी आया होता तो मैं समझ सकता था कि टैक्स के बारे में कोई शिकायत है। एक ट्रक वाला भी नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए जो भी टैक्स बढ़ाया है वह जन हित में बढ़ाया है और उसका भी कहीं विरोध होता है तो मैं उसको अनुचित मानता हूं।

रहा सवाल हमारे यहां के टैक्स से पड़ने वाले बिजनेस के इफेक्ट की बात। मैं आलवेज सब्जेक्ट टू दी करेक्शन हूं। जिस किसी क्षण भी हमको यह मालूम हो कि हमारे अमुक प्रकार के एक्शन से राजस्थान की आमदनी को नुकसान होता है तो निश्चित

(श्री हरिदेव जोशी)
रूप से करेक्ट कर लेंगे। मैं यह कहीं दुराग्रह लेकर नहीं चलता कि हमने जो कह दिया है वह कभी अमेंड किया ही नहीं जा सकता। मैंने दो दो बार अमेंडिंग आर्डिनेन्स निकाल अमेंड किया है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि·········

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनिट का समय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन श्रीमन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 1972 एवं 18 सितम्बर, 1972 को प्रख्यापित क्रमशः राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश सं. 5, सन् 1972) एवं राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश सं. 6, सन् 1972) को अस्वीकार करता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक मिनिट अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन खड़ा है और आप बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रेट्स बढ़ा कर जो राज्य सरकार· · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब आसन खड़ा हो तो नियमों का पालन करने की आपसे अपेक्षा की जाती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अवश्य पालन करूंगा आपकी आज्ञा का।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 1972 एवं 18 सितम्बर, 1972 को प्रख्यापित क्रमशः राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश सं. 5, सन् 1972) एवं राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश सं. 6 सन् 1972) को अस्वीकार करता है।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 का विचारार्थ प्रस्तुतीकरण

श्री रामानन्द अग्रवाल। जनमत जानने हेतु प्रस्ताव।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव। प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोशन मूव कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ नहीं किया है अभी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : अब कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटरगाड़ी करारोपण अधिनियम को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल): फिर मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय कि मैंने जो बातें कही हैं मैं पुनः उनको दोहराता हूं। आपने यह बात मानी है कि टैक्स बढ़ाया है फिर मेरा निवेदन है कि मेरा मोटर चालकों की वकालत करने का कोई विचार नहीं है ...

श्री **हरिदेव जोशी** : मैंने आपके प्रति कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं किया है।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : आपने जो पहले आर्डिनेंस निकाला और दूसरा आर्डिनेंस निकाला उसमें जितनी रेट्स लगाई गयी थीं और जो अधिनियम में रेट्स लाये हैं वे अलग अलग हैं। उनको आपने दुगुना, चौगुना बढा दिया है। राजस्थान में चलने वाले ट्रक और केवल रीजन में चलने वाले ट्रक्स पर टैक्स बराबर लगाया है। कहीं पर राजस्थान में चलने वाले ट्रक्स पर तो टैक्स कम हैं और रीजन में चलने वाले ट्रक्स पर डेढ गुना टैक्स कर दिया है। एक प्रकार से कोई मापदण्ड उसका बना कर नहीं चले हैं कि किस प्रकार से टैक्स बढ़ाना चाहिये। इसी प्रकार से लाइट वेहिकल्स और हेवी व्हीकल्स पर टैक्स रखा है। मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप पास के प्रान्तों की तालिका मंगा कर देख लें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में जब हरियाणा और पंजाब में टैक्स कम है वहां राजस्थान में पहले से ज्यादा टैक्स होते हुए भी फिर एडीशनल टैक्स बढ़ाये हैं। आप अपने फिर टैक्स बढ़ा देंगे। यह काम तो आप अगर माननीय चन्दनमलजी बैंद पर ही छोड़ देते, वे अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा करते तो असेम्बली की रौनक भी रहती लेकिन आपने चुपचाप आर्डिनेंस निकाल दिया। जो ट्रक आपरेटर्स, गरीब ट्रकों के मालिक हैं उनके पास आपके द्वितीय आर्डिनेंस की कापी है और वे अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। उनको यह पता भी नहीं है कि उन पर ये रेट्स लागू हो रही हैं। मैंने उनसे आज ही बात की तो उनको आश्चर्य हुआ कि हमारी ये रेट्स कहां से आ गई। जब मैंने उनको यह रेट्स बताई तो उन्होंने कहा कि जो हमसे तय हुआ था उससे चौगुनी रेट्स होने जा रही है। अगर उनको इसका पता होता तो वे इसका विरोध करते। वे यहां पर इकट्ठा होकर आते और यहां का यातायात बन्द होता और यहां पर प्रदर्शन होते और आप उनकी बात मान जाते। लेकिन वे तो अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। वे अपने धन्धे पर बैठे हुए हैं तो मेरा भी कुछ कर्त्तव्य है। मेरे अपने कर्त्तव्य के नाते जो आर्डिनेंस आपने निकाला है और जिसके द्वारा आपने टैक्स चौगुना कर दिया है, उस बात का विरोध करूं। इस प्रकार चोर दरवाजे से राज्यपाल के द्वारा आर्डिनेंस निकाला जाता है तो फिर हमको जनता ने यहां किस लिए भेजा है। आप असेम्बली बुलाना चाहते नहीं। 15 अगस्त को एक छोटा सा सैशन हो गया। झण्डारोहण कर लिया। बच्चों को लड्डू बांट दिये। रात को डेढ बजे तक सैशन करके यह बताना चाहते हैं कि मंत्रिमण्डल ने कितना बड़ा काम किया कि रात को डेढ बजे तक यहां बैठे रहे। दो चार बातें बोल दीं और असेम्बली का सैशन हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

अगर आपके दिल में ट्रक आपरेटर्स के प्रति प्यार है, आपकी उनके व्यवसाय के प्रति हमदर्दी है सच्ची, यदि आप आय को बढे हुए रूप में देखना चाहते हैं वास्तव में तो इस पर विचार करें।

आज जब यहां पर कृषि की बात की जाती है तो कहते हैं कि कुए पर मोटर लगी नहीं, कि मिनिमम चार्जेज और सिक्योरिटी की बात होती है। उनसे 625)रु. मिनिमम चार्जेज का वसूल किया जाता है लेकिन कनेक्शन उनको मिला नहीं . . .

श्री हरिदेव जोशी : इस मोटर और उस मोटर में फर्क है माननीय सदस्य

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं उदाहरण दे रहा हूं। बिजली की क्या स्थिति है और पंजाब और हरियाणा में बिजली की क्या स्थिति, व्यवसाय की क्या स्थिति है यह बता रहा हूं। आज वहां पर हमारे मुकाबले हर आदमी, हर किसान अपने कुए पर बिजली लगा कर बैठा काम कर रहा है उसके मुकाबले में सरकार कहती है कि हमने बड़ा काम कर दिया, कनेक्शन आप देवें नहीं और उनसे सिक्योरिटी जमा करा लें, मिनिमम चार्जेज वसूल कर लें। फ्यूज चला जावे तो कोई जोड़ने आवे नहीं, ट्रांसफारमर जल जावे तो उसको सुधारने कोई आवे नहीं। यह अव्यवस्था तो आपके यहां की है।

आप मेरी बात मानें और जब कभी दिल्ली जावें, दो चार दिन में राजस्थान से बाहर जावें तो राजस्थान की बाउण्ड्री से आगे निकलेंगे तो आपको हरा भरा दिखाई देगा। हर किसान अपने खेत पर बिजली लगाये बैठा है। जब आप उनको देखेंगे तो आपको शर्म आएगी कि मैं राजस्थान का एक मंत्री हूं। आप अपने आप विचार करें और उस समय मेरा ध्यान धर कर अपने दिल पर हाथ रख कर विचार करें कि आप किस राजस्थान के मंत्री हैं तो आपको स्वयं अपने आप पर शर्मिन्दगी फील होगी क्योंकि हरियाणा ने प्रगति की है, पंजाब ने प्रगति की है और स्टेट राजस्थान में किसी प्रकार की खुशहाली नजर नहीं आएगी। आप इन प्रान्तों से सबक लें। आज आपने जोन बनाये हैं और आठ राज्यों का जोन बनाया है उसमें पंजाब और हरियाणा ने अपने यहां के लोगों को परमिट दिए हैं लेकिन क्या आपने एक भी परमिट अपने यहां के लोगों को दिया है? इसलिए मैं कहता हूं कि आप अवनति की ओर जा रहे हैं। मैं भी राजस्थान की बात में आपके साथ शरीक हूं। राजस्थान की प्रगति होती है तो मुझे भी फख्र होता है। मैं भी कह सकता हूं कि राजस्थान में मैं जन्मा हूं, जयपुर में मेरा जन्म हुआ है और अपना सिर ऊंचा करके चल सकता हूं। राजस्थान प्रगति करता है तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं उस प्रगतिशील राजस्थान विधान सभा का सदस्य हूं। दिल्ली में एस्टीमेट कमेटी गई थी और मैं भी उसके साथ गया था। उन्होंने पूछा कि कहां से आए तो हमने कहा कि हम राजस्थान से आए हैं। हम 15 लोग थे, मैं भी उनसे अलग नहीं था, इसलिए मैंने अलग से कुछ नहीं कहा। लेकिन जो हरियाणा ने प्रगति की है उसके सामने आपकी क्या प्रगति है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी इस

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

बद्तर स्थिति का लेखा-जोखा करें और इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना कर सही बात को मान लें। चूंकि मैंने एक बात कही है इसलिए आप उसको नहीं मानेंगे, यह उचित बात नहीं होगी।

इसलिए मेरा अन्त में यह निवेदन करना है कि आप पड़ौस के प्रान्तों से सबक लें। उनके विकास से सबक लें। वहां क्या रेट्स हैं, क्या ट्रक आपरेटर्स को सहूलियतें हैं, वहां पर भी एक ट्रक से एक पूरे परिवार का पेट भरता है। उसका पेट कोई हवा से नहीं भर जाता है, उसका भी पेट भरेगा तो भोजन से भरेगा। भोजन कहां से मिलेगा और कितना टैक्स आपको देगा। टैक्स लगाने के लिये और भी कई जगह है आपके पास में। गाड़ी चलती है तो देश का एक परिवार जिन्दा रहता है। आज आपको क्या आवश्यकता है कि आप जब अपने दफ्तर में जाते हैं तो 250 वाट्स का बल्ब जलाते हैं, ट्यूब लाइट भी जलाते हैं और टेबुल लैम्प भी

श्री अमृतलाल गहलोत : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

सदन में कोरम नहीं है।

(गणाभाव सूचक घण्टी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा था हमारे पास के जो प्रान्त हैं उनकी तालिका मंत्री महोदय मंगवा कर देखें, और उसके बाद इस बिल पर गौर करें। वहां पर कितना टैक्स है और कितनी कितनी सहूलियतें वहां पर दे रखी हैं और उसके मुकाबले में कितना आपका टैक्स है और कितनी सहूलियतें आप दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सारी चीज को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनावें। ट्रक चालकों का भी आखिर में एक व्यवसाय है, और ऐसा ट्रेड है जिस पर हजारों ही नहीं लाखों लोग अपनी जीविकापार्जन करते हैं। इसलिए उनके प्रति भी हमारी उदारता रहनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस सारे बिल को एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये। प्रवर समिति 15 दिन के भीतर भीतर अपना प्रतिवेदन दे, प्रवर समिति के सदस्यों की सूची मैं बाद में दे दूंगा। यह प्रवर समिति 15 दिन के अन्दर अन्य प्रान्तों के अन्दर जो टैक्सेज हैं, उनको जो सुविधा प्राप्त है, और जो प्रमाण मैंने यहा पर रखें हैं उनकी तहकीकात करके सदन को रिपोर्ट दें और उसके बाद सदन में इस बिल पर विचार किया जाये। मेरा निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो कि अपनी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री भालाराम।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री उम्मेदीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन बिल पिछले सदन में भी प्रस्तुत हुआ था और इस सदन में भी प्रस्तुत हुआ है । इस सदन में जो बिल प्रस्तुत हुआ है एक पर्टीकुलर स्थान पर वेजेज, जो ज्यादा ट्रक होते थे उनके ऊपर कर का भार कम कर दिया है और विशेषकर यह जो सिर्फ रखा गया है कि यह 6000 किलोग्राम के ट्रक के लिए जो सारे राजस्थान में प्लाइ करते हैं उनका 650 से 550 रुपया याने 100 रुपया टैक्स कम कर दिया गया है और जो ट्रक रीजनल प्लाइ करते हैं, जो हजार किलोग्राम तक का भार ढोते हैं उनके अन्दर भी टैक्स की कटौती की गई है। मैं मंत्री महोदय का यह जो दृष्टिकोण है उसकी प्रशंसा करूंगा जो थोड़ा भार ढोहने वाले ट्रक है, उनके जो मालिक हैं वे वास्तव में गरीब हैं, उनकी गरीबी को देखते हुए, उनकी साधन सम्पन्नता को देखते हुए, उस हिसाब से जो स्लैब सिस्टम में टैक्सेशन को कम किया है यह दृष्किोण निश्चित रूप से एक ठीक दृष्टिकोण है ।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में जब मैंने अपने पक्ष की, अपनी पार्टी की राय प्रस्तुत की थी तो मेरी राय यह थी कि इस सम्बन्ध में जो व्हीकल्स पब्लिक का कार्य करती हैं, जनता का कार्य करती हैं जैसे टैम्पो हैं, स्कूटर्स हैं और जो दूसरी प्रकार की व्हीकल्स हैं जिनको कि आम मध्यम वर्ग के लोग यात्रा के लिए काम में लेते हैं, उन व्हीकल्स को राजस्थान में प्लाइ करने के लिए अधिक सुविधा देने के लिए उनके ऊपर टैक्स का भार कुछ कम किया जाना चाहिए और साथ ही साथ मेरा और मेरी पार्टी का यह दृष्टिकोण है कि ट्रक्स ओनर्स को भी उनके नम्बर ग्राफ ट्रक्स के हिसाब से, उसका एक दृष्टिकोण भी मंत्री महोदय को यहां पर प्रस्तुत करना चाहिए । एक दृष्टिकोण उस हिसाब से लिया जाना चाहिए टैक्सेशन लागू करने के सम्बन्ध में ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ट्रक ओनर्स ने हड़ताल की थी पिछले कुछ महीनों पहले । अनेक दिनों तक उनकी यह हड़ताल चली और राजस्थान का सारा काम ठप्प हो गया । राजस्थान के अन्दर सब्जियों के भाव बढ़ गये, और भी कई चीजों के भाव बढ़ गये । जनता को भारी असुविधा इस आन्दोलन से हुई, बल्कि यों कहना चाहिए कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के ऊपर इस आन्दोलन का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा और इसके बाद ट्रक ओनर्स से राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय और इस विभाग से सम्बन्धित मंत्री महोदय को बातचीत करनी पड़ी । मैं समझता हूं कि अगर इन ट्रक ओनर्स का करेक्टर देखा जाये तो एक बड़ा कम्पलेक्स करेक्टर हमें देखने को मिलेगा । ट्रक ओनर्स में बड़ी बड़ी कम्पनियां भी थी जिनके पास एक एक ट्रक न होकर दस, बीस ही नहीं बल्कि सौ ट्रक ओनर्स भी इस हड़ताल में शामिल हो गये थे ।

(योगेन्द्रनाथ हांडा)

उपाध्यक्ष महोदय, दौलतराम बहादुर, गोल्डन ट्रान्सपोर्ट यह जो ट्रान्सपोर्ट की कम्पनियां हैं वे किसी प्रकार भी पूंजीपतियों से कम नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह स्पष्ट मत है कि आप इन पर टैक्स लगाइये। राज्य टैक्स के बिना नहीं चल सकता है। राज्य के निर्माण कार्य टैक्स के बिना नहीं चल सकते हैं। इस राज्य का भार चाहे किसी भी पार्टी के हाथ में हो उसे टैक्स अवश्य ही लगाने पड़ेंगे और टैक्स लगाये बिना राज्य का काम काज चल नहीं सकता है। लेकिन टैक्स उस पर लगना चाहिए जिसके अन्दर टैक्स को पे करने की कैपिसिटी हो। टैक्स लिंक्ड हो पेईंग कैपेसिटी के साथ। ऐसे ट्रक आपरेटर्स जिनके नाम पांच पांच दस-दस ट्रक्स का रजिस्ट्रेशन है मैं समझता हूं कि उनसे टैक्स लेने के लिए राज्य को किसी भी प्रकार की झिझक नहीं दिखानी चाहिए और न वसूली करने में राज्य सरकार को रुकावट होनी चाहिए। मेरे माननीय सदस्य जो उस पक्ष से आते है जिनकी तो कथा ही न्यारी है, बात वे करते हैं लोगों के दुखों की लेकिन सिद्धांत जिन लोगों के पीछे हैं वह किसी से छिपा नहीं है। जो सिलिंग कानून को आउट राइट रिजेक्ट करने की बात करते हैं, जो यह कहते हैं कि टैक्सेज लागू मत करो···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने सीलिंग कानून का सदा ही स्वागत किया है लेकिन उसके अन्दर जो खामियां रह गयी हैं उनकी आलोचना की है। उनकी ओर सरकार को इंगित किया है। सीलिंग कानून का मेरे दल ने भी स्वागत किया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, स्पीच में इन्टरवीन्शन नहीं होना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कोई गद्दारी नहीं करता, पार्टी के सिद्धान्तों के अनुरूप ही बात रखता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रकार की बात कह कर आप अपनी पार्टी की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। आपकी पार्टी का यह स्पष्ट मत है कि 1500 रुपया महीना जिस जमीन से इनकम हो उसको कर मुक्त कर दिया जाना चाहिए··

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपकी पार्टी की नीति है जो मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अगर यह गलत हो तो मैं सदन से विदा हो जाऊंगा। वरना आप विदा हो जायें।··· परन्तु मैं तो आपको विदा करके ही विदा होऊंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कानपुर में जनसंघ पार्टी का जो अधिवेशन हुआ है वहां यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि 15 साल तक रेवेन्यू लाज़ में कोई तब्दीली नहीं की जावे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपकी पार्टी कहां स्टेण्ड करती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे सब मालूम है। मैं यहां पर पार्टी की रीति नीति के आधार पर ही बोलता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: आपकी पार्टी की रीति नीति यह है कि 15 साल तक कानून में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। मुल्क को 16 हिस्सों के बजाय 40 टुकड़ों में बांट दिया जाना चाहिये। यह आपकी नीति है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको हमारी रीति नीति के बारे में स्पष्ट मालूम नहीं है। वह मालूम हो जावेगी तो आप भी इधर आ जावेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं आपकी पार्टी की रीति नीति से पिछले 30 सालों से वाकिफ हूं जबकि आप पैदा भी नहीं हुए थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो अब भी सदस्य हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाबी में एक कहावत है 'फत्ती रोवे यारानुं नाम ले माइयांनु" किसी फत्ती को अपने प्रेमी की याद आ रही है और अपने भाइयों का नाम ले लेकर रो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ की भी यही कहानी है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं आप तो कहे जाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं यह कहना चाहूंगा कि ट्रक ड्राईवर सभी गरीब हैं, जिसके पास 50 ट्रक हैं, और जो 70-70 हजार का मरसीडीज़ ट्रक है और जिसके पास 50 ट्रक हैं, 35 लाख की सम्पत्ति है, वह उनकी दृष्टि में बेचारा ट्रक वाला है, उसके साथ अन्याय नहीं किया जाय, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाय, तो टैक्स किस पर लगाया जाय, गिरधारी लाल जी?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप पर टैक्स लगाया जाय। जिन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ की लड़ाई में सारा सामान ढोया है तो टैक्स लगाते समय उस चीज को न भूलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : न तो गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का मालिक, न ईगल ट्रक कम्पनी का मालिक सामान ढोने गया था और न दौलत बहादुर सामान ढोने गया था और न कोई ट्रकों के बड़े-बड़े मालिक सामान ढोने गये थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : युद्ध के समय ट्रक वालों ने सेवा की है। उन ट्रक वालों को सेवा के बदले में उन पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था फिर आप क्यों बार बार यह कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने गाली नहीं दी कोई।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ट्रकों से सामान ढोया तो ड्राईवर ने ढोया, कन्डक्टर ने ढोया। वह ड्राईवर और कन्डक्टर मशक्कत सर्वहारा वर्ग के आदमी थे जो कि गोलियों के आगे गये। न कोई ट्रक का सेठ गया वहां गोलियों के सामने, और न कोई बड़ा ट्रक का मालिक...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उन पर भी असर पड़ेगा इसका।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ··· न कोई गिरधारी लाल जी वहां गये भार ढोने के लिए जो मशक्कत···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप भी नहीं गये थे। यह जो टैक्स मालिक पर पड़ेगा तो उसके साथ साथ ही चालक है, खल्लासी है, उन पर भी पड़ेगा। इन सारो बातों पर विचार करना चाहिये। इसलिए एमेंडमेंट की बात की है। न मैं मालिकों की वकालात करता हूं और न इनकी वकालत करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं तो जो आपने अध्यादेश में भूल की है उसके लिए इंगित कर रहा हूँ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष, दोनों माननीय सदस्य विषय से अलग हो हो रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ट्रक ड्राइवर और क्लीनर्स का प्रोटेक्शन लेकर 50–50 ट्रकों के मालिकों को टैक्स से बचाने की दलील मेरी समझ में नहीं आती है और न किसी के समझ में आती है। ट्रक मजदूर ही चलाएगा और मजदूर मिस्त्री ही उसको ठीक करेगा, न कि गद्दी पर बैठने वाला सेठ जो 70-70 हजार की ट्रक खरीदता है वह चलायेगा और न ही वह चला सकता है। न वह जयपुर से लेकर बम्बई तक 80 घण्टों की यात्रा कर सकता है या यहां से लेकर चण्डीगढ़ की 30 घण्टों की यात्रा कर सकता है। यह तो वही आदमी जो खेत का बेटा है और जो फैक्ट्री के आंगन में पैदा हुआ है जो कि सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, काम करेगा। गिरधारीलालजी, इस टैक्स का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है···

श्री हरिदेव जोशी : एक्जेक्टली।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, में एक बात और कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस रूप में सारे राज्य का सर्वेक्षण करवायें विशेष रूप से ट्रकों के सम्बन्ध में कि किस किस मालिक के पास कितने कितने ट्रक हैं। मुझे कोई ग्रज नहीं है कि 4–5 आदमियों ने मिलकर एक ट्रक खरीदा है, मीडियम वर्ग के वह लोग हैं उन्होंने अपनी पूंजी एक ट्रक में डाल दी है या कोआपरेटिव सोसायटी बनाकर किसी ने एक ट्रक खरीद लिया तो ऐसे ट्रक्स के बारे में पहले भी एक्जेम्पशन है। इस प्रकार के जो ट्रक हैं उनका सर्वेक्षण कराकर जो इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने मिलकर या सहकारिता के माध्यम से कोई ट्रक इस प्रकार से खरीदा है उसको बिल्कुल ही टैक्स फ्री कर देना चाहिए ताकि राज्य सरकार की नीति उभरकर सामने आये और यह बात स्पष्ट हो जाय कि राज्य सरकार किस दिशा में बढ़ रही है। माननीय मंत्रीजी ने इस वेट के रिग स्लेब सिस्टम के आधार पर जो टक्स का आरोपण किया है वह इस दिशा के अन्दर एक कदम है, और मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय यहीं पर नहीं रुकेंगे और इस कदम को और आगे ले जायेंगे, और वह सारी जो जनता से ताल्लुक रखने वाली वहीकल्स हैं, जो जनता के मीडियम वर्ग की सहूलियत के लिए हैं, जैसे टैम्पोज हैं या स्कूटर्स हैं या इस प्रकार की दूसरी वेहिकल्स हैं उनके ऊपर या तो न्यूनतम टैक्स हों या उनको टैक्स फ्री किया जाय इस प्रकार से जो सिंगल ओनर ट्रक हैं या

(योगेन्द्रनाथ हांडा)

एक ही ट्रक के मालिक हैं उनके ऊपर टैक्स का स्लेब कम किया जाय और जितने ज्यादा ट्रकों के मालिक हैं उनके ऊपर आमदनी के हिसाब से टैक्स लगायें। उनके इस कदम में मैं और मेरी पार्टी उनके साथ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री केशवदेव।

(अनुपस्थित)

माननीय मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हाण्डा जी ने मेरे काम को बहुत सरल कर दिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गाली देना पड़ी आपको।

श्री हरिदेव जोशी : जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि इन दो आर्डिनेन्सेज पर विचार करने में मेरा और राज्य सरकार का यही दृष्टिकोण रहा है और वह दृष्टिकोण है पिछले सत्र में जो बढ़ी हुई दरों से टैक्स लगाया था और जो टैक्स छोटे लोगों पर लग गया था उसमें रिलीफ दें। और जैसा कि मैंने स्वीकार किया है कि इस आर्डिनेन्स में मैंने जहां छोटे लोगों को रिलीफ दी है वहां जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा टैक्स बढ़ाया है। उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर हमारे काम का एक तरीका है। आने वाले वर्ष में जैसा कि बजट बन रहा है तो आने वाले वर्ष में प्लान सीलिंग क्या होगा? अगर हम उस प्लान सीलिंग को देख कर रुपया रखते हैं तो उसके लिए जो गैप है उस गैप को मीट करना होगा और उस गैप को मीट करने के लिए आपको नये रिसोर्सेज ढूंढने होंगे। उस समय नये रिसोर्सेज ढूंढने में ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट का अमुक कमिटमेंट था। शिकायत यह आई कि जो नया टैक्स लगाया है उससे गरीब आदमियों पर वजन जादा चढ़ गया है। हमने यह किया कि गरीब आदमियों का बजन घटा दिया और बड़े लोगों पर वापिस डाल दिया। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, विश्वास कीजिये कि सैकण्ड आर्डिनेन्स के निकलने के बाद में एक भी ट्रक आपरेटर शिकायत लेकर नहीं आया है कि आपने अन्याय किया है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि कुछ लोगों पर वजन बढ़ा है, मगर इस वजन को कौन उठायेगा? किसको उठाना चाहिए? उसको उठाना चाहिए जिसकी क्षमता है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा :** हियर, हियर।

श्री **हरिदेव जोशी :** अगर आप छोटे आदमी पर वजन डाल देते हैं तो वह गिरकर दब जायगा, इसलिए छोटे लोगों को रिलीफ दिया गया है बड़े लोगों पर वजन डालकर, जो कि उठा सकते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि वह उठा रहे हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के ऊपर टैक्स बढा है वे तो ऐसे लोग हैं जिनमें बुद्धि है, क्षमता है और बड़े हैं। उनके ऊपर वजन ज्यादा पड़ता है तो वे

Page No 64

(64)

(श्री हरि देव जोशी)

रिप्रेजेन्ट कर सकते हैं और दूसरे तरीके से वह कर सकते हैं लेकिन छोटे आदमी तो बेचारे इस हैसियत में भी नहीं हैं कि अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकें। वह यह भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे ऊपर वजन बढ़ गया है। यह कहने की भाषा भी उनके पास में नहीं है। इसलिये यह एकदम छोटे लोगों के लिये किया गया है। मेरा ऐसा ख्याल है। मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दूसरी बात सोच कर आया था कि सदन में माननीय सदस्य जो इसमें बढ़ाने का दृष्टिकोण रहा है, उसको एप्रिशियेट करेंगे ··

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : जनसंघ से आपको यह उम्मीद थी क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप से ज्यादा हम राष्ट्रीय आधार पर बात करते हैं। आप तो तोड़फोड़ में विश्वास करने वाले हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आन्ध्र में तोडफोड आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप भारत के आदमियों को भारत का नहीं समझते और भारत की सम्पत्ति को भारतीय नहीं समझते हैं। हमारा तो फिर भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण है।

एक माननीय सदस्य : यह व्यवस्था का प्रश्न है इसलिये नहीं बोल सकते।

श्री हरिदेव जोशी : दूसरी चीज इस बिल में सिर्फ रिलीफ का है। टैक्सेबल प्रोपोजल पर जो मुझे निवेदन करना है वह यह है कि टैक्सेबल प्रोपजल्स कैसे होने चाहिये ट्रान्सपोर्ट की पालिसी क्या होना चाहिये उसके सबके बारे में एक दूसरा बिल जो मेरा आ रहा है, किसी समय में अधिक विशेष रूप से कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय। यहां पर बिल को जो प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय गिरधारी लालजी अपने इस प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत लेना उचित समझेंगे।

श्री गिरधारी लाल : नहीं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हाण्डा साहब अपने प्रस्ताव को वापिस लेना उचित समझेंगे।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री हाण्डा को उनका प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973

पर विचार एवं उसका पारण

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 विचारार्थ लिया जावे ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ तो आ चुका है। प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन को विचारार्थ लिया गया।

अमेण्डमेण्ट कोई नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक...

श्री हरिदेव जोशी : पुरःस्थापित हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव का इस पर परिनियत संकल्प है। आपने संशोधन नहीं रखा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यादेश के बारे में था कि अस्वीकार किया जाये।

श्री हरिदेव जोशी : वह तो हो गया न पास।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फिर तो और भी लें।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह अलग है।

मोटरगाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री गिरधारीलाल भार्गव) तो मोटरगाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक पर रखे संकल्प को ले लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसके बाद में ले लीजिये। पहले नगरीय वाला ले लीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, नहीं। पहले टैक्सेशन वाला ले लिया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ठीक है। लेकिन आज की विचार सूची में यह नहीं था।

फिर भी मैं यह प्रस्ताव करता हूं "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दि. 4

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

फरवरी 1973 को प्रख्यापित मोटरगाड़ी (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश सं. 4 सन् 1973) को अस्वीकार करता है।" मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी कोई ऐसी जल्दी राज्य सरकार को नहीं करनी चाहिये थी। जो कुछ किया गया है, उसको भी मैं सही इसलिए नहीं मानता हूं कि यह जो घोषणा की गई है कि 55% जो रूट्स हैं, उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे और यह घोषणा अभी नहीं की गई। गत बजट सत्र में यह घोषणा की गई थी। खेद इस बात का है कि 72-73 में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया था और अब यह कहा गया है। जितने भी बस कम्पनी वाले आयेंगे, हर तीसरे महीने वह आयेंगे। तो आते ही जैसे 15 आदमी रिन्यूवल के लिए आये तो सरकार यह कहेगी कि इनमें से तीन तो हम ले लेते हैं, बाकी के तुम चलाओ। इसका मतलब यह होगा, जिनको आपको बचाये रखना है, वहां पर राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। जिन व्यक्तियों को आपको खत्म करना है, उन्हीं रूट्स का राष्ट्रीय करण होगा। माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि रोडवेज कारपोरेशन सरकार नहीं है। कम्पनी है। और, कम्पनी और आदमी में कोई अन्तर नहीं कर सकते हैं। एक कम्पनी में और आदमी में संविधान के अनुसार अन्तर नहीं कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कारपोरेशन सरकार का है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह कारपोरेशन है, सरकार नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसका नाम है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह सरकार नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन रास्तों को आप को नेशनलाईज करना है। सरकार को पहले स्कीम प्रकाशित करनी चाहिये। आपको स्कीम प्रकाशित करना है। स्कीम प्रकाशित हो गई है। मान लीजिये, इस रास्ते पर 15 बसें चल रही हैं। आप कहते हैं, हम इसको नेशनलाईज करेंगे। इसका मतलब है कि आप उनको रिन्यू नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि उन पर उनका एकाधिकार रह गया। आप रिन्यू भी नहीं करेंगे और जब तक आप चलायेंगे नहीं तब तक वह भी चलते रहेंगे। आप घोषणा मात्र करके रह गये। 3 वर्ष घोषणा के बाद भी निकाल दिये। दूसरा कोई बस आपरेटर उस पर आयेगा नहीं। दूसरे आदमी का रिन्यूअल होगा नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम्पनी और आदमी में कोई अन्तर नहीं है सरकार और आदमी में अन्तर कानून के आधार पर कर सकते हैं। आप कौनसा रूट नेशनलाईज करना चाहते हैं, यह घोषणा आप करते नहीं हैं। इस तरह से यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। आपने घोषणा करदी कि लोगों से आब्जेक्शन मांगे हैं। यह एक दूसरा पहलू है। आब्जेक्शन आ रहे हैं। आप आब्जेक्शन्स सुनने के लिए ज्वाइण्ट लीगल रिएम्बरेंसर का पद बनाकर रखते हैं। दो वर्ष तक यह स्थान खाली पड़ा रहे। खाली पड़ा रहे फिर आपत्ति कौन सुनेगा। फिर घोषणा करने से क्या मतलब है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसका लेखा जोखा नहीं है। आप कहेंगे कि हम फलां रास्ते का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। फिर आप के पास बस आपरेटर आयेंगे। वह कहेंगे मन्त्री महोदय, यह मत करो। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। फिर अगले साल यह घोषणा करेंगे कि हम इस रास्ते का राष्ट्रीयकरण नही करेंगे। ये दो तरीके हैं, भ्रष्टाचार करने के। ज्वाइंट लीगल रिमेम्बरेंसर फैसला कर दें तो आपके कानूनी लिकूना रखने के कारण हाईकोर्ट रिमेम्बरेंसर का फैसला रद्द कर देता है। फिर नये सिरे से इनरास्तों के राष्ट्रीयकरण की इस प्रकार घोषणा की जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप रोडवेज का हवाला दे रहे हैं, रोडवेज हमारी है, रोडवेज में कोई घाटा होता नहीं है। मैं फिर एक वार निवेदन करना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूं। आप यह सोचें कि आप राष्ट्रीयकरण किन चीजों का करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकरण को सारी चीजों का मूल मन्त्र आपने मान लिया है। रोडवेज का राष्ट्रीयकरण, महंगाई है तो खाद्यान्न का राष्ट्रीयकरण। आपने रोडवेज का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन जिस समय किया, उस समय जयपुर से अजमेर तक दो रुपये में जाते थे। मुझे पता है, जयपुर से लोग आठ आने के अन्दर पुष्कर की यात्रा करके आये हैं क्योंकि प्राइवेट बस चलती और सरकारी भी चलती थीं, प्राइवेट जो वस चलाते थे उन्होंने कहा बस में अखबार पढ़ने को मिलेगा, दूद और किशनगढ़ पर रसगुल्ले खिलाये जायें, और इस प्रकार लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। आज देखें, जयपुर से अजमेर वस जाती है उसकी हालत क्या है, आपने राष्ट्रीयकरण कर दिया इसलिए जयपुर से अजमेर का किराया छः रुपये और कुछ आने हो गया। बसें नाचती हुई चलती हैं, टनटनाती हुई चलती हैं। मैं मध्य प्रदेश गया था, वहां पर मैंने बसें देखीं मध्य प्रदेश की वसें, हरियाणा की वसें और पंजाव की वसें इनके सामने राजस्थान की वस को खड़ा कर दें। और फिर कहें यहां पर राजस्थान के विधायक को भी खड़ा कर दें वाह! भाई! राजस्थान के विधायक को राजस्थान रोडवेज की बस की हालत देख कर शर्म आयेगी। वस को ऊपर से रंग दिया गया है, बस ऐसी है कि कहीं भी उसका इंजन खराब हो जाय। नाचती हुई, टनटनाती हुई चलती हैं और कहां रुक जायं– इसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीयकरण करें, तो किसका करें, कैसे करें– इस पर विचार होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि प्राइवेट बसों को भी चलने दीजिये। आप कहते हैं, यह निगम की बसें हैं। यह निगम की बसें नहीं हैं, सरकार की वसें चल रही हैं, सरकार चलाने वाली है, बरकतुल्ला साहब बस चला रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कम्पटीशन में आ जायं। अजमेर को जयपुर से वस चलती है, या जयपुर से आगरा जाती है,– जयपुर से दिल्ली जाती है, जयपुर से ग्वालियर जाती है, तो इस पर प्राइवेट वस भी चलें और आपकी भी चलें। प्रतिस्पर्द्धा के रूप में चलें और फिर देखें, हम क्या किराया लेते हैं और वह क्या किराया लेते हैं। लेकिन यहां प्रतिस्पर्द्धा के रूप में, इस भावना से राष्ट्रीयकरण करने वाली वात नहीं है। इस रूप में राष्ट्रीयकरण किया है कि सरकार खुले रूप में सामने आयी है। खाद्यान्न के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया है तो अनाज ब्लैक मार्केटिंग में वेचा जायगा। खाद्य निगम में वेईमानी होती है,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

खाद्यान्न के व्यापार में भी बेईमानी होगी। गेहूं के व्यापार में मुनाफा करेंगे, चने में करेंगे। राष्ट्रीयकरण करेंगे तो उसका इन्तजाम भी करना पड़ेगा। आखिर कौन इन्सपेक्टर होगा, कौन लेने वाला होगा। इन्सपेक्टर चोरी करेगा, लेने वाला चोरी करेगा...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। दिस इज नोट दी मैटर आफ डिस्कशन।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : राष्ट्रीयकरण के नाम पर आप डिक्टेटरशिप पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के आधार पर डिक्टेटरशिप पैदा कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान रोडवेज का हवाला दे रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा सबमिशन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त सदन में फूड ग्रेन के नेशनलाईजेशन का सवाल पेश नहीं है इसलिये इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करना चाहता हूं हो गया साहब, पाइन्ट आफ आर्डर और बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सुनिये तसल्ली रखिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तसल्ली मुझे तो है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप तो चना खरीदने बेचने लग गये, गिरधारी लाल जी, यह बसेज के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पाइन्ट आफ आर्डर और उठा लें। पाइन्ट आफ आर्डर ऐसा हथियार है कि किसी को भी बीच में रोक दिया जाय।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप जिक्र कर रहे थे उसका।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1972-73 में राजस्थान की रोडवेज कार्पोरेशन के लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया था, 32 लाख रोडवेज कारपोरेशन को लाभ होगा वह लाभ नहीं हुआ और जो 32 लाख का लाभ करने जा रहे थे, उसके बजाय घाटा हो गया और यह बीस लाख का घाटा हो गया। प्रति किलोमीटर पर होने वाली आमदनी गिर गई। आप कहते हैं कि घाटा नहीं हुआ। घाटा हुआ है यह मेरा आरोप है। इस आरोप के बाद मेरा निवेदन है कि घाटे की पूर्ति के लिये रोडवेज क्या कर रहा है। पुरानी बसों को बेच रहा है। जो स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं, जो बसों में लगाने के लिये दूसरा सामान होता है, टायर, ट्यूब, इंजिन के पुर्जे, और दूसरा सामान उसके पास पड़ा हुआ है, उस सामान को बेच कर, पुरानी बसों को बेच कर राजस्थान स्टेट रोडवेज कारपोरेशन यह सिद्ध करना चाहता है कि घाटा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि राजस्थान रोडवेज कारपोरेशन को घाटा हुआ है। घाटा हुआ है

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसलिये मेरा आपसे अन्त में यह निवेदन है कि यह राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के द्वारा आप पच्चीस पर्सेन्ट रूट नेशनलाइज करेंगे-इससे भ्रष्टाचार फैलेगा कोई आदमी दर्ख्वास्त देगा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी), आप देखेंगे कि कौनसे का राष्ट्रीयकरण करना है, कौनसे का राष्ट्रीयकरण नहीं करना है इससे भ्रष्टाचार फैलेगा दूसरा मेरा निवेदन करना है कि कौनसे रूट्स को नेशनलाइज करना है–इसकी सरकार ने सूची दी है, इसकी घोषणा नहीं है, इसकी घोषणा नहीं की। इसकी आपको घोषणा करनी चाहिये। तीसरा मेरा निवेदन है कि जिन रूट्स का नेशनलाईजेशन हो जायगा या जिन्हें कर दिया गया तो नेशनलाइजेशन करने के बाद किनके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके लिये कौन अधिकारी होगा, क्या होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो लीगल रिमेम्बरेन्सर वहां नहीं हैं, मामलों पर फैसला नहीं हुआ तो लोग हाई कोर्ट में चले गये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूट्स को नेशनलाइज करके राजस्थान स्टेट रोडवेज कोर्पोरेशन को बस चलाने का अधिकार नहीं देना चाहिये। यह नहीं करके, प्रतिस्पर्द्धा के रूप में, खुले व्यापार के रूप में राजस्थान सरकार स्वयं बसेज चलाये और प्राइवेट बसों को भी चलने दे, इससे उनका कारोबार बन्द नहीं होगा। वरना सरकार ने जैसा कहा कि बेकारी मिट जायगी। मैं निवेदन कर दूं आप कहते हैं कि पांच साल में बेकारी नहीं रहेगी, तो फिर बेकार कहां जायेंगे। वह मर जायेंगे। आप कहेंगे, हमने कहा था बेकारी मिट जायगी, वह बेकारी मिट गई। लेकिन बेकार तो, जिनका स्वर्ग में नम्बर आयेगा, वह स्वर्ग में जायेंगे और जिनका नहीं वह नरक में जायेंगे। फिर कहां रहेंगे बेकार, बेकारी कहां रहेगी। बेकारी मिट जायगी (समय-समाप्ति सूचक घंटी) मेरा निवेदन है, यह सरकार बेकारी को नहीं मिटाना चाहती है, यह सरकार रूट्स को नेशनलाइज करेगी तो जो प्राईवेट बस वाले हैं, उनके कारोबार पर पानी फेरना चाहती है, उनसे कारोबार छुड़ाना चाहती है जो बसों को चलाने वालों के परिवार हैं, कन्डक्टर हैं, ड्राईवर हैं, खलासी हैं, हवा भरने वाला व्यक्ति है, काफी लोगों की इस प्रकार से आजीविका चलती है।

तो मेरी सबसे पहले तो कानूनी आपत्ति है, माननीय मंत्री जी, राजस्थान स्टेट ट्रान्सपोर्ट कोर्पोरेशन कम्पनी है, इसको संविधान के अन्तर्गत भंग नहीं कर सकते, इसलिए राज्यपाल महोदय ने यह अध्यादेश आपके कहने पर गलत निकाला है, आपके कानूनी विशेषज्ञों की गलत सलाह देने पर गलत अध्यादेश निकाला है, इसलिए इसको अस्वीकार किया जाय। यह मेरी पहली मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रान्सपोर्ट से सम्बन्धित मांग के सिलसिले में बजट के अवसर पर मैंने इस सदन को यह आश्वासन दिया था कि पैसेन्जर ट्रान्सपोर्ट को जल्दी से जल्दी नेशनलाइज किया जाय और इसके मार्ग में जो भी बाधायें होंगी, उन बाधाओं को दूर किया जायगा, वह बाधायें प्रशासनिक हों अथवा कानूनी हों। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे

(श्री हरिदेव जोशी)

उस आश्वासन का यह परिणाम है कि आर्डिनेन्स के रूप में इसका निकालना। उपाध्यक्ष महोदय, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत स्टेट कैरिज, कैरिअर्स को परमिट देने के लिए एक अमुक प्रकार की परिपाटी बनी हुई है, उस परिपाटी में रीजनल ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी अपने रीजन में और स्टेट ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी पूरे राज्य भर में परमिट्स देती है। किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा गया कि राज्य की नेशनलाइजेशन की पालिसी होते हुए भी यह आर. टी. ओ. और एस. टी. ए. इस प्रकार से काम करती थी कि जिससे बाद में उसका लाभ प्राइवेट ओनर्स को होता था और क्योंकि यह क्वासी जुडीशियल बोडीज समझी जाती थीं इसलिए इस संशोधन को लाना जरूरी हो गया। माननीय सदस्य ने संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की है। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं और वह यह कि भारत के नागरिक के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार बहस हो चुकी है। उसकी चर्चा को बार बार छेड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको अधिक शौक हो तो आप श्री पालकीवाला ने अपनी बात के सपोर्ट में जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं, उनका अध्ययन कर लीजिए। मगर उनके साथ ही साथ फैसलों को भी देख लीजिए। निश्चित रूप से यह सरकार जो जीवन की उपयोगी चीजें हैं और मनुष्य के जीवन से बहुत नजदीक के जो साधन हैं, उन साधनों के अन्दर, राष्ट्रीयकरण के अन्दर विश्वास करती है और जो कानून इस राष्ट्रीयकरण के मार्ग के अन्दर आएगा, उसको बदलना अगर जरूरी हुआ तो उसको बदला जाएगा। ऐसे मामलों में मुझे आर्डिनेन्स लाने में कोई संकोच नहीं होगा चाहे एक बार हो चाहे अनेक बार हो। राज्य सरकार कमिटेड है, 25 प्रतिशत नेशनलाइज करने के लिए, किन्तु उसके मार्ग में कुछ बाधायें थीं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए यह आर्डीनेन्स लाया गया है। माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान रोडवेज कारपोरेशन और एक इन्डवीज्यूजल में जो आप भेद करने की बात करते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यह निगम राजस्थान सरकार की चाइल्ड है और इस निगम को जो परमिट्स मिलते हैं वे एक प्रकार से राजस्थान की जनता को और सरकार को मिलते हैं। उसके मुकाबले में जो एक इन्डवीज्यूल को परमिट मिलता है, वह एक इकाई और व्यक्ति विशेष है उसका मुनाफा व्यक्ति विशेष को मिलता है, जबकि निगम का मुनाफा राजस्थान की जनता को जाता है। इस भेद को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य के इस तर्क से सहमत नहीं हूं। अलबत्ता रोडवेज की बसेज अच्छी तरह से नहीं चलती हैं, उनको ठीक ढंग से चलाया जाना चाहिए, निगम के काम काज में कहीं कोई शिथिलता है तो दूर किया जाना चाहिए....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : घाटा ?

श्री हरिदेव जोशी : मुनाफा कम है तो ज्यादा होना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि दौड़ने वाले घोड़े को रस्सी बांधी जाए और चाबुक मारा जाए, उसके सामने 10 काम्पीटीटर्स खड़े किए जायं और 11वीं गाड़ी निगम

(श्री हरिदेव जोशी)

की हो और प्राइवेट काम्पीटीटर्स के साथ में चलें तब आप सर्टीफिकेट देंगे, क्षमा करें मैं आपके सर्टीफिकेट लेने की ख्वाहिश नहीं रखता। मैं पसंद करूंगा कि पूरे के पूरे रूट को नेशनलाइज किया जाए।

जिस रूट को रोडवेज निगम लेना चाहता है उसकी स्कीम तैयार की जाती है और प्रायः प्रकाशित की जाती है। उसके बाद में निगम अपना एप्लीकेशन पुट अप करता है। इसलिए यह कहना कि आपके दोस्त रह जायेंगे और दूसरों को हो जाएगा, यह जुमा जुमा 8 दिन की बात है। 25 प्रतिशत आज हो रहा है। जब 25 प्रतिशत एक साल में कर रहे हैं तो 100 प्रतिशत कितने समय में करेंगे, आप सोच सकते हैं, लम्बा समय नहीं है और इस क्षेत्र में जो भी प्राइवेट लोग हैं उनको जाना है–एक प्रकार से उन्हें राज्य की नीति मालूम हो जानी चाहिए-और सारे ही रूट्स पर चाहे 'ए' क्लास हों, चाहें 'बी' क्लास हों, चाहे 'सी' क्लास हों, प्रत्येक रूट का राष्ट्रीयकरण होगा, यह एक दुरूह तथ्य है। मेरा भी रूट होगा तो चला जाएगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो बस से जाते नहीं, आपको क्या जोर आता है ?

श्री हरिदेव जोशी : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार एक फेज्ड प्रोग्राम बनाना चाहती है राष्ट्रीयकरण के बारे में। फर्स्ट स्टेज में 25 प्रतिशत है, सैकेंड स्टेज क्या होगी और थर्ड स्टेज क्या होगी, यह बहुत ही जल्दी मालूम हो जाएगा और कोई मुगालते में नहीं रहेगा, किसी को भ्रम नहीं होगा कि मुझको कब जाना है। टोटल नेशनलाइजेशन अगर स्पीडी हो सकता है तो आज ही करना चाहता हूं–बशर्ते के उतने व्हीकल्स हमें मिल सकें बशर्ते के राजकीय साधन मुहैया हो सकें। इसलिए राष्ट्रीयकरण अब विवाद का प्रश्न नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण के मार्ग में जो बाधायें हैं वे दूर करनी होंगी। राष्ट्रीयकरण से जो प्रभावित होते हैं उनके साथ मेरी सहानुभूति है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई राजस्थानी बेरोजगार रहे किन्तु जहां तक राज्य की नीति का प्रश्न है, नेशनलाइजेशन आफ रोड ट्रांस्पोर्ट एक प्रकार से फेट एकम्पली है। इसलिये माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष (श्री गिरधारी लाल भार्गव): क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना उचित समझते हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव नहीं है, अगर आज्ञा देंगे तो मैं दो मिनट के लिए बोलूंगा। जहां तक शासनारूढ दल की रीति और नीति का प्रश्न है, वह उनसे ताल्लुक रखती है। व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि आज जो संसार का ट्रेन्ड है, जो वातावरण है, वह निर्विवाद बात है कि राष्ट्रीयकरण की ओर है और मंत्री महोदय का जो डिक्लेरेशन है कि 25 प्रतिशत रूट्स को नेशनेलाइज किया जाए, उसका भी मैं स्वागत किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान की परिस्थिति क्या है ? उस पर भी गंभीरता पूर्वक और अनुदारता

Page No 72

(72)

(श्री लक्ष्मणसिंह)

के साथ नहीं, वास्तविकता के साथ, हमको विचार करना चाहिए। कोई 7 वर्ष पहले उदयपुर डिवीजन में नेशनलाइजेशन आफ रोडवेज के संबंध में मैंने बात की थी। और मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री भी यहां पर नहीं हैं और उस समय उदयपुर डिवीजन के रूट्स सब प्राइवेट बस ओनर्स के पास ही थे। अगर राष्ट्रीयकरण हो तो उसमें सबसे मोस्ट फंडामेंटल, सबसे अहमियत रखने वाली बात क्या है ? वह हैं जनहित अगर राष्ट्रीयकरण के द्वारा जनहित है तो फिर सरकार अवश्य उस रीति और नीति को अपनाए। अगर उसके अंदर वास्तविकता को देखते हुए जन हित नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने किराया बढ़ने के संबंध में कहा, जैसे रोडवेज निगम के अंदर स्पेयर पार्ट्स की चोरी अनियमिततायें और भ्रष्टाचार के लिए वहां मैं उस लंबी चौड़ी बात में नहीं पड़ना चाहता। उसके अंदर जनता का पैसा था, उसका दुरुपयोग हुआ। अगर बसें गन्दी हों। अगर बसें सुचारु रूप से चलती नहीं हों तो मेरे खयाल से इसमें एक हठधर्मी ही है, जनहित कम है। मैं जानता हूं कि राष्ट्रीयकरण करना अच्छा है। लेकिन राष्ट्रीयकरण करना उस वक्त अच्छा है जबकि उसमें जनहित हो। अगर मन्त्री महोदय सिर्फ नीति के नाते ही नेशनलाइजेशन करना चाहते हैं तो वह स्वागत योग्य नहीं है और जनहित में भी नहीं होगा मेरा इसमें सुझाव है कि इसे शनैः शनैः किया जाय अन्ततोगत्वा नेशनलाइजेशन तो होगा ही क्योंकि राज्य सरकार की नीति है। पर यह इवोल्यूशन से हो तो ठीक रहे। राज्य सरकार को चाहिये कि उतना ही नेशनलाइजेशन आफ रूट्स करे जितना कि वह आसानी से सम्भाल सके। एक दम से सभी रूट्स नेशनलाइज कर दिये जायेंगे तो इतनी बड़ी अमली व्यवस्था को यह कर नहीं सकेंगे। और फिर उसे राज्य सरकार कन्ट्रोल नहीं कर सकेगी। आज हमारे देश में हम देख रहे हैं कि कई जगह नेशनलाइजेशन किया जा रहा है पर उसमें आपको देखने में मिलेगा भ्रष्टाचार यह मन्त्री महोदय स्वयं भी जानते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण हो, जरूर हो पर ऐसा राष्ट्रीयकरण होना चाहिये जिसको करना हयूमनली पोसिबल हो। अगर आप वास्तविक रूप में राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीयकरण कीजिये लेकिन उसमें ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिये कि उसमें जनहित हो। आज आप नेशनलाइजेशन करते हैं उसमें किराया बढ़ा रहे हैं, उससे महंगाई बढ़ती है तो फिर उसमें जनहित क्या हुआ। आज आपने फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया को बनाया तो उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने रेलवेज का नेशनलाइजेशन किया। प्राइवेट कम्पनीज से रेलवे का काम अपने हाथ में लिया मैं यह नहीं कहता कि आप वापिस रेलवे कम्पनीज को ही सौंप दीजिये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पहले रेलवे से फायदा होता था अब नेशनलाइजेशन होने के बाद बजट डेफिसीट में जाता है। तो जो नेशनलाइजेशन का फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल है कि जनता का हित हो वह कहां हो रहा है ? राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे जनता का

(श्री लक्ष्मणसिंह)

अनहित नहीं हो। मेरे दल की नीति क्या है वह अलग है लेकिन मेरी मान्यता है कि अगर आप कम्पलीट नेशनलाइजेशन करते और आप कम्पलीट नेशनलाइजेशन को वास्तविकता में करना चाहते हैं तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे भ्रष्टाचार नहीं पनपे, महंगाई नहीं बढ़े, और आपाधापी नहीं हो। मैं यह भी मानने को तैयार हूं कि चाहे मन्त्रीजी का उद्देश्य चाहे जितना साफ हो चाहे जितना जनता के वास्तविक हित में हो लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं कि वह सफलतापूर्वक चल सकेगा। सरकार उसे सफलता से कभी नहीं चला सकेगी। और अगर उसे सफलतापूर्वक चला सकेगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा। अब मैं समझता हूं कि श्री गिरधारीलाल भार्गव अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : अभी हमारे नेता महोदय ने फरमाया है इसलिये मैं इसे वापिस लेने को तैयार हूं। लेकिन आप राष्ट्रीयकरण उन चीजों का तो कर नहीं रहे हैं जिनका करना चाहिये। आप हमारे यहां पर राष्ट्रीयकरण अस्त्र शस्त्र का करिये लेकिन इसके बारे में कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि आप अपने संकल्प को वापिस लेते हैं क्या ?

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट ही कहना चाहूंगा। जो चीज देश के लिये आवश्यक हो उसका नेशनलाइजेशन करते हैं तो अच्छा है। अस्त्र शस्त्र का नेशनलाइजेशन करते तो हैं अच्छा है। रेलवे का नेशनलाइजेशन किया है जिसके करने से हजारों इन्जीनियर्स और डाक्टर्स बेकार थे उनको काम मिलता है लेकिन दूसरी तरफ बसेज का नेशनलाइजेशन करके कई लोगों को बेकार कर देंगे। मैं इसके लिये स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जिनका रोजगार खतम हो जायेगा उनका क्या होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं सिर्फ आधा मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : काफी कहा जा चुका है।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : उपाध्यक्ष महोदय, आधा मिनट सिर्फ। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के राष्ट्रीयकरण करने से लोगों को कितनी तकलीफ हुई। प्राइवेट कम्पनी वाले जब बसेज चलाते थे तब कितना किराया था और उसके बाद में कितना बढ़ा। इसके अलावा भी राज्य सरकार नेशनलाइजेशन करने में कितना पक्षपात करती है। आज उदयपुर के अन्दर, बांसवाड़ा के अन्दर रूट्स का नेशनलाइजेशन नहीं किया जाता है। आज नेशनलाइजेशन किया जाता है जयपुर की सिटी बसेज का, जयपुर जिले के रूट्स का। इसके अलावा आपने बजट भाषण में पिछले साल कहा था कि हमें 20 लाख का प्रोफिट है और बाद में आपने 32 लाख रुपये का घाटा बताया है। इसके लिए आपने पुरानी गाड़ियां बेचकर व्यवस्था की। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि आप प्राइवेट कम्पनीज के कम्पीटीशन में ही क्यों नहीं गाड़ियां चलाते हैं। चाहे हमारे नेता महोदय के कहने से मैं वापिस ले लेता हूं मेरा संकल्प लेकिन मैं राज्य सरकार से इतना जरूर निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को चाहिये कि वह खुले व्यापार को

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बढ़ावा दे। और एक व्यापारी की हैसियत से सामने आये जिससे कि जनता को लाभ हो, सरकार को लाभ हो। आज सरकार को इसमें करेप्शन मिटाने की आवश्यकता है। इसके मिटाने से जनता को भी लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा। इस प्रकार से राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये। आज आपके यहां अगर नेशनलाइजेशन करना है तो आपको नेशनलाइजेशन आफ रूट्स करने में पक्षपात को खतम करना होगा, आपके यहां जो ट्रिब्यूनल बनी हुई है उसमें जो पक्षपात हो रहा है उसे समाप्त करना होगा। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे समाप्त करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनसंघ वाले काफी प्रगतिशील हो रहे हैं। जनसंघ की पॉलिसी में शायद तब्दीली आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प पर विचार।

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी विचार हो चुका है। सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राज्य सरकार का मन इसके बारे में बहुत साफ है। और हम उतने ही नेशनलाइजेशन आफ रूट करेंगे जितना करने के बाद भी राज्य सरकार अपना काम सुचारु रूप से कर सकें। ऐसी मेरी मान्यता है। हमें कितना रूट नेशनलाइज करना है यह सभी ध्यान करके किया जायेगा। इसके अलावा माननीय सदस्य ने कहा कि अगर आप नेशनलाइजेशन करेंगे तो उससे काफी लोग बेकार हो जायेंगे और उसके लिए राज्य सरकार को चाहिये कि जो लोग इसमें बेकार होते हैं उन्हें नौकरी दे दें। तो इसके लिये मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जब राज्य सरकार ने सिटी बसेज का नेशनलाइजेशन किया जिसमें भी काफी लोगों को जो कि इसमें बेकार होगये थे हमने उनको एम्पलोयमेन्ट दिया। इसके अलावा जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि नेशनलाइजेशन में पक्षपात हो रहा है रूट्स के नेशनलाइजेशन करने में। तो उसके लिए मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि हमने किसी प्रकार का पक्षपात इनमें नहीं किया है। मैं आपको उदाहरण के रूप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में हमने नेशनलाइजेशन किया है। हमारे यहां पर उदयपुर से बांसवाड़ा, उदयपुर से रतनपुर, डूंगरपुर से रतनपुर इन सभी रूट्स का नेशनलाइजेशन किया है। तो यह कहना कि उदयपुर या बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में नेशनलाइजेशन नहीं किया जाता है वह गलत है। राज्य सरकार की यह पोलिसी है कि रूट्स का नेशनलाइजेशन करने में यह ध्यान रखा जाय कि राजधानी को डिवीजनल हैडक्वार्टर्स से जोड़ा जाय, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को राजधानी से जोड़ा जाय। इसके साथ साथ ए. बी. सी. रूट्स हैं उनका नेशनलाइजेशन पहले किया जाय, इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हुआ है। राज्य सरकार का सदैव इस बात की ओर विशेष ध्यान रहता है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। और चूंकि राज्य सरकार की यह नीति है कि

(श्री हरिदेव जोशी)

नेशनलाइजेशन किया जाय। और चूंकि राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि नेशनलाइजेशन कर दिया जाय तो इसमें अब कोई भी बात में एड करने को या कम करने को तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : परिनियत संकल्प। श्री गिरधारीलाल भार्गव। क्या आप इस पर प्रेस कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वापिस लेता हूं।

श्री केदारनाथ : जनसंघ कितना डेमोक्रेट है ?

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मंत्री। श्री हरिदेव जोशी।

मोटरगाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 का विचारार्थ प्रस्तुतीकरण

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

मोटरगाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर विचार

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढा।

(अनुपस्थित)

श्री मालाराम।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मोटरगाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 विचारार्थ प्रस्तुत है। इससे पूर्व कि मैं इस विधेयक की भूमिका में जाऊं मेरी इस सम्बन्ध में कुछ लिमिटेशन्स हैं। चूंकि राजकीय उपक्रम

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
समिति का सदस्य होने के नाते बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनको मैं सदन के सामने लाना चाहता था लेकिन मेरी जबान बन्द है और मैं उनको सदन के सम्मुख नहीं ला सकता हूं। लेकिन जो कुछ बातें मैं कह सकता हूं वह मैं अर्ज करूंगा।

सबसे मुख्य चीज तो यह है कि आज इस विधेयक से एक दिशा मिलती है वह यह है कि राज्य सरकार की तैयारी नजर आती है कि वह बसों का राष्ट्रीयकरण करे। उसके साथ साथ इस विधेयक के जो क्लाजेज हैं और नये क्लाजेज प्रस्तुत कर दिये, उससे भी यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने यह बात महसूस की है कि नौकरशाही और नौकरशाही का लम्बा चौड़ा जाल हमारे राष्ट्रीयकरण और पब्लिक सैक्टर में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। अगर राजस्थान स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन की बसेज के राष्ट्रीयकरण के इतिहास में जाऊं तो यह स्पष्ट होगा कि एक ओर जहां पूंजीपतियों ने, बड़े बड़े बस प्लायर्स ने, दिग्गज से दिग्गज लोगों ने इसके रास्ते में रोड़े अटकाये हैं, वहां नौकरशाही इसके पक्ष में प्रतीत नहीं होती है। आई ए. एस. आफिसर्स के सम्बन्ध में आपको नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि उनके सम्बन्ध में बहुत अधिक इस सदन में कहा गया है और देश में कहा जा रहा है। पब्लिक सैक्टर के प्रति घृणा का एटीट्यूड नौकरशाही का है। मैं समझता हूं इस देश में पब्लिक सैक्टर के फेल्यौर का 90 परसेन्ट कारण वह है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में इस बात को स्वीकार किया गया है। रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी, लीगल रिमेम्ब्रेन्सर रोडवेज के एडवोकेट्स और उसके अगेंस्ट अपील दायर करने वाले एडवोकेट्स उन सारों का इतिहास देखिये तो सही। सन् 65 से पहले जहां 1500 किलोमीटर रोडवेज नेशनेलाइज हो चुकी उसके बाद बहुत कम किलोमीटर रोडवेज नेशनेलाइज हुई। रोडवेज के नेशनेलाइजेशन में यह जो हर्डल्स और रोक आई उनका मंत्री महोदय पूरी तरह से अध्ययन करें तो उनको इसकी पूरी जानकारी हो सकती है। रोडवेज के, ट्रान्सपोर्ट रीजनल अथोरिटी, लीगल रिमेम्ब्रेन्सर अधिकारी और अन्य अधिकारीगण इस प्रकार की स्थिति पैदा करते रहे कि जिससे उन केसेज में लंकुना रह जाय और वे हाई कोर्ट में जाय। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि इस विधेयक में क्लाज नं० 2 पुट अप करके इससे यह स्थिति पैदा की है कि स्टेट रोडवेज कारपोरेशन रूट्स के लिये एप्लाई करे तो किसी भी रूट को हाथ में ले सकता है। दूसरा रोडवेज के परमिट के रिन्यूअल की पोजिशन हो तो वह उन रूट्स में एक पार्टी बन सकता है। यह कदम निश्चित रूप से प्रगति की ओर लगता है और उन हर्डल्स को तोड़ने में मैं एक कदम मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 25 परसेन्ट राष्ट्रीयकरण की जो घोषणा माननीय मंत्री महोदय ने सदन में की है यह विधेयक उसकी एक व्यापक तैयारी प्रतीत होती है। लेकिन राजस्थान चारों तरफ से अन्य स्टेट्स से घिरा हुआ है जिनमें नेशनेलाइजेशन शत प्रतिशत पहुंच चुका है। चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो। आज

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पंजाब में भी 95 परसेन्ट से अबाऊ नेशने-लाइजेशन हो चुका है । यही स्थिति हरियाणा और गुजरात की है । अगर उन बसेज की नेशनेलाइज्ड सर्विस को देखा जाय तो जो इफिशियेन्सी गुजरात की रोडवेज प्रदान करती है वह सारे भारतवर्ष के लिये एक मिसाल है । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, 25 परसेन्ट का टारगेट वह चारों ओर घिरी हुई रियासतों के बीच राजस्थान में बहुत कम मानता हूँ । फिर भी राजस्थान की टोपोग्राफी की जो सिचुएशन है, राजस्थान के रूट्स जो दुर्लक्ष्यपूर्ण और भयानक इलाकों में से गुजरते हैं, उन सब को आप कन्सीडरेशन में लेते हैं तो 25 परसेन्ट का अचीवमेन्ट है. वह बहुत बड़ा अचीवमेन्ट मानकर नहीं चलता हूँ। लेकिन इस बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, प्रसन्नता जरूर व्यक्त करना चाहूँगा और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मंत्री महोदय के दिमाग में एक चित्र है ।

माननीय सदस्य जो स्वतन्त्र पार्टी से और जनसंघ से आते हैं वे एक बात को बार बार उपस्थित करते हैं । वह यह है कि प्राइवेट प्लायर्स को काम्पिटिटिव सेक्टर की तरह इसमें रखें । जिनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं यह उनके दिमाग में होना स्वाभाविक है । कैपेटेलिस्ट सिस्टम में कम्पीटिशन हो तो एक ही चीज है कि एक बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी तो कम्पीटिशन में मार्केट में छा जाता है और उसकी कब्र खोद देता है । वे बसों के राष्ट्रीयकरण का तो स्वागत करते हैं । स्वतन्त्र पार्टी से आने वाले सदन के वयोवृद्ध माननीय नेता और जनसंघ के माननीय सदस्य बार बार बस रूट्स के नेशनेलाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर, केपटलिस्ट्स को काम्पीटिटर के रूप में खड़ा रखना चाहते हैं क्योंकि वे केपिटल व्यवस्था के पूरी तरह से हामी हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज हम नेशनेलाइजेशन के पथ पर बढ़े लेकिन उसमें किसी काम्पीटिटर को बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए इस बात का रोना तो नहीं रोऊंगा कि बसों की क्या दुर्दशा है ?

श्री हरिदेव जोशी : ठीक कर देंगे सब ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : घाटे की बात है वह सही है ।

श्री हरिदेव जोशी : वह भी ठीक कर देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रजेन्ट मिक्स्ड इकोनोमी के सिस्टम में और एक्जिस्टिंग सिस्टम में भी मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि मैं यह नहीं कहता कि आज आप यह मिक्स्ड इकोनोमी के सिस्टम को बदल दीजिये, इसके ढांचे को बदल दीजिये । इस सिस्टम में भी बसेज अच्छी कन्डीशन्श में चल रही हैं । अच्छी तरह से चल रही हैं और अच्छी सर्विसेज प्रदान कर रही हैं । उनके टाइमिंग्स में इफिशियेन्सी है । वे लोगों को ट्रान्सपोर्ट के माने में राहत दे रहे हैं ।

अगर गुजरात की सर्विसेज का माननीय मंत्री महोदय अध्ययन करें तो माननीय मंत्री महोदय, मैं समझता हूँ कि राजस्थान की अर्थ व्यवस्था और गुजरात की अर्थ व्यवस्था में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
कोई मतभेद नहीं है। आज भारत सरकार का जो अर्थ नीति है उससे राजस्थान और गुजरात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज इस सिस्टम के नीचे भी बसेज़ के सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लाखों रुपयों का गबन है, स्टोर्स वेरीफिकेशन में लाखों रुपयों की राशि का गवन है। मेरी जवान सिली हुई है क्योंकि में उपक्रम समिति के सदस्य के नाते सदन के समक्ष कुछ प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं उसकी ओर संकेत कर सकता हूं कि बहुत अच्छा इतिहास नहीं है स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन का।

एक माननीय सदस्य : आप अकेले में कह देना।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : आज जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है इन लोगों की नीति के विरोध में आपको और हमारे सिद्धान्तों को एक होकर लड़ना होगा नहीं तो इनके इन्टरेस्ट को लाभ मिलेगा और सरकार को कोई लाभ नहीं होगा ...

एक माननीय सदस्य : इस नाटक से कोई काम चलने वाला नहीं है।

श्री **हरिदेव जोशी** (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी सिस्टम की खराबी हो उसको दूर किया जाना जाहिये चाहे वह रोडवेज कार्पोरेशन हो अथवा डिपार्टमेंट हो। जहां कहीं भी खराबी मालूम पड़े उस खराबी को दुरुस्त करना चाहिये। मैं नहीं जानता उपाध्यक्ष महोदय, कि नेशनलाइजेशन की प्रोग्रेस राजस्थान में धीमी है और ट्रक आनर्स की हरकतों के कारण ठीक नहीं रही है अथवा क्या कुछ थी किन्तु यह भी एक तथ्य है कि प्रोग्रेस ठीक नहीं थी। 25 परसेन्ट को नेशनलाइज करने का मैं कह चुका हूं। वह केवल इस प्रोसेस को ठीक से शुरू कर देना चाहता हूं मगर टोटल नेशनलाइज होगा, यह बात मैं कह चुका हूं। फिर प्रोग्राम मैं शीघ्र ही अनाउन्स करना चाहता हूँ और अधिक से अधिक रूट्स जिनको हम पब्लिश करना चाहते हैं वह आप लोगों के सामने आ जाय ताकि लोग अन–अवेयर नहीं रहें। इसलिये माननीय सदस्य ने सिस्टम को ठीक करने में जो सुझाव दिये हैं मैं उसका स्वागत करता हूं और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रोडवेज कार्पोरेशन की कहीं बुराई है उनको दुरुस्त किया जाय, कहीं ओवेज हों, उनको ठीक किया जाय। सर्विसेज अच्छी हों, यही बात कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं यह प्रस्ताव प्रवर समिति से वापिस लेना ही वाजिब है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 पर खण्ड शः विचार एवं उसका पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड–2।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय मैंने इसमें यह संशोधन रखा है : "In the proviso to sub-clause (2) of clause 2, delete the words 'as far as may be' occuring in line three".

श्री हरिदेव जोशी : आपको भाषण देना हो तो बात दूसरी है वरना मैं अक्सेप्ट करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है उसका बैक ग्राउन्ड अर्ज कर दूं। रोडवेज का नेशनलाइजेशन हो या और किसी प्रकार का नेशनलाइजेशन हो, इसका इतिहास बहुत पुराना है और इसमें जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं इसमें दिक्कतें करती रही हैं। वह भी तमाम लोगों को भलीभांति मालूम हैं। असल चीज यह है कि जब किसी चीज का राष्ट्रीयकरण का सवाल पैदा होता है तो उसमें दो सवाल पैदा हो जाते हैं खास तौर से एक तो यह, उसमें नुकसान हुआ और दूसरा यह है कि इसमें जनता का हित शामिल नहीं है तो मेरी गुजारिश यह है कि इन दो सवालों पर हमें गौर करना है और यह बताना कि आर्थिक तौर पर यह सवाल जनहित में है या नहीं मुश्किल हो जाता है। जनहित की दलील यह है कि रेल का किराया बढ़ गया, मोटर गाड़ी का किराया बढ़ गया तो माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये यह जितनी किराये की वृद्धि होती है इसमें अमेनिटीज को प्रोवाइड करने में, लोगों की तनख्वाह की बढ़ोतरी करने में और लोगों की सर्विसेज को इम्प्रूव करने में जो पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है उसमें इस किराये की वृद्धि होती है।

आज प्राइवेट बस ओनर्स अपने ट्रक ड्राइवर को 60–70 रुपया माहवार देते हैं जबकि हमारे रोडवेज कार्पोरेशन के ड्राइवर को 150–200 रुपया महीना देना पड़ता है तो यह जनहित में कहां रुकावट आई। दूसरे प्राइवेट रोडवेज जहां एक रूट पर 24 घन्टे लेती है वहां राजस्थान की रोडवेज 12 घंटे में पहुंचा देती है तो क्या यह जनहित में नहीं है। ड्राइवर्स को अच्छी तनख्वाह मिले और अच्छी सर्विसेज मिले यह बहुत अच्छी बात है। इस किस्म की दलीलें देना अगर किराया बढ़ाना है तो नहीं करना चाहिये और अगर किराया नहीं बढ़ाना है तो कर देना चाहिये, उचित नहीं है।

अब रह गया यह कि राष्ट्रीयकरण का तो इतिहास इसी तरह चला आया है। प्रिविपर्स अबोलिश करना पड़े तो राजा महाराजा दौड़कर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चले जायं। अब राजा महाराजाओं की क्या बात रही, उनके जमाने में जनता को कोई

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आराम नहीं था। इसी प्रकार अगर जागीरदारी खतम की जाय तो यह दिक्कत आ जाय और कह देते हैं कि इसमें फन्डामेन्टल हक आ जाता है। बुनियादी हक अगर शोषण करने का है तो वह नहीं रहेगा, चाहे कोई राजा महाराजा हो और चाहे कोई आथोरिटी हो और इसके लिये चाहे हाई कोर्ट का कानून बदला जाय, और चाहे कान्स्टीट्यूशन बदला जाय–फन्डामेन्टल राइट्स तस्लीम नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये मुझे आपसे अर्ज करना था असल में जो दिक्कतें पेश आती हैं वह यह आती हैं. दिक्कत जरूर है राजस्थान सरकार के लिये लेकिन यह जो पीस मील प्रोग्राम होता है इसमें नारा बुलन्दगी का आ जाता है। फलां रूट नेशनलाइज करना पड़े तो कहते हैं इसमें फलां इन्टरस्टेड है, फलां मंत्रीजी के रिश्तेदार इन्टरस्टेड हैं, सुखाड़िया साहब इन्टरेस्टेड हैं या और कोई मंत्री इन्टरेस्टेड हैं तो इसमें टार्गेट फिक्स करके चलें। अगर माननीय मंत्री महोदय एक स्कीम को कि यह रूट पूरा नेशनलाइज हो जायगा और इस प्रकार इस प्रोग्राम के मातहत हो जायेंगे, वह सिस्टम कर दिया जाय तो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है वह यह है कि 20 वर्ष में 25 परसेन्ट नेशनलाइज किया और अब आगे जाकर कितना परसेन्ट फरमायेंगे यह प्रश्न आता है इसलिये लोग भ्रष्टाचार का आक्षेप लगाते हैं और दूसरी कमजोरियां लगाते हैं तो मेरा खयाल यह है कि मंत्री महोदय हमको यह निश्चित करना चाहिये कि फलां तारीख तक तमाम रूट्स नेशनलाइज हो जायेंगे और तमाम प्रोग्राम पब्लिश करा दिये जायेंगे ताकि लोगों को यह कहने का अवसर बाकी न रहे कि फलां रूट्स को कर दिया जिसमें मंत्री जी इन्टरेस्टेड थे और फलां रूट नेगलेक्ट कर दिया गया। आप तय करेंगे उससे लोगों को मालूम हो जायेगा। उसके बाद मैंने जो संशोधन रखा है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं। उसके लिये मैं अपील करूंगा इनकारपोरेट किया जाय।

'In sub-clause (2) following second proviso be added to the proviso already suggested in the Bill:

'Provided further that the formalities prescribed in relation to the presentation of the application for a stage carriage permit under the Motor Vehicles Act or the rules made thereunder be dispensed in case the application is presented by the State Transport undertaking."

यह मेरा एक सुझाव इसलिए है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी कार्पोरेशन जो दरख्वास्त देती है उसको भी उतनी ही फार्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है जितनी कि एक प्राईवेट ओनर को। तो मैं समझता हूं कि इन फार्मेलिटीज की जो कि प्राइवेट अण्डरटेकिंग्स की और स्टेट अण्डरटेकिंग्स की हैं उनमें फर्क होना चाहिये। इसलिये जो प्रोवाइजो सजेस्ट किया गया है कि प्रिफरेन्स दिया जाये उसके आगे यह प्रोवाइजो जोड़ दिया जाये कि जो फार्मेलिटीज रूल्स में या एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड हैं प्रजेन्टेशन आफ एप्लीकेशन के सिलसिले में वह खतम कर दी जायें और अगर कोई पब्लिक अण्डर-

Page No 81

(81)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

टेकिंग अपना इन्टेन्शन शो कर दे कि हमें यह रूट लेना है तो वह काफी समझा जाये। यह मैंने प्रोवाइजो इसमें जोड़ने की दरख्वास्त की है और मैं समझता हूं कि इसमें नुक्सान नहीं होगा और जो फार्मेलिटीज में चले जाते हैं और नौकरशाही दिक्कतें पैदा कर देती हैं वह भी नहीं कर सकेंगे इसलिए इस प्रस्ताव को मैं पेश करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इसको माननीय मंत्री महोदय मन्जुर करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, एक संशोधन मैं स्वीकार कर चुका हूं मगर इसको जो माननीय गफ्फार अली ने पेश किया है मैं ऐसा समझता हूँ कि जल्दबाजी में उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। जहां तक उनकी मन्शा है उससे मैं सहमत हूं। मन्शा उनकी यह है कि जहां रोड़वेज कारपोरेशन की एप्लीकेशन हो वहां उसको प्रिफरेन्स दिया जाना चाहिये और अधिकारी रोड़वेज की एप्लीकेशन को टेक्नीकल ग्राउन्डस के ऊपर रिजेक्ट कर दे ऐसी स्थितियां नहीं बननी चाहिये। मैं इस इश्यू की स्टैडी करूंगा कि ऐसा होता है अथवा नहीं होता है और अगर होता है तो किन किन कारणों से ? और क्या किया जाना चाहिये इस बारे में मैं रोड़वेज कारपोरेशन के अधिकारियों से भी विचार विमर्श करूंगा और उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो मैं अपनी ओर से कोई अमेन्डमेन्ट लाने की कोशिश करूंगा। जहां तक उनकी मन्शा का सवाल है मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन आफहैंड किसी अमेन्डमेन्ट को बिल में स्वीकार करना उसमें ऐसी चीज डालना है जो कि कभी तकलीफ भी दे सकती है इसलिए मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि फिलहाल वह अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस ले लें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेता हूं इस एश्योरेन्स पर कि माननीय मंत्री महोदय इसका अध्ययन करेंगे और फिर इस पर अमेन्डमेन्ट लायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने देने की सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के उपखंड (2) में जो संशोधन श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा ने परन्तुक के अन्दर प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 2 को मय संशोधन के स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया

खण्ड 3 से 6 तक कोई अमेन्डमेन्ट्स नहीं है। प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 6 तक स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खंड 3 से 6 तक स्वीकार किये गये

प्रश्न यह है कि खंड 1 प्रस्तावना एवं मुख्य शीर्षक स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खंड 1, प्रस्तावना व मुख्य शीर्षक स्वीकार किये गये।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम नेशनेलाइजेशन करते हैं तो हमारी सरकार ने वादा किया था कि पब्लिक सैक्टर और कोग्रापरेटिव सैक्टर को सेक्सेसफुल करने के लिए कैडर को सलेक्ट करते समय बहुत सतर्कता बरतेंगे और उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट बनायेंगे ताकि वह उस कैडर के लायक बन सकें। दूसरी बात यह है कि कोई भी पब्लिक सैक्टर हो या कारपोरेशन हो, कोई भी इस प्रकार के नेशनल करेक्टर के इन्सटीट्यूट हों उसमें लेबर पार्टीसिपेशन के उसूल को हमें एडोप्ट करना पड़ेगा और जब तक हम इसको इम्पलीमेन्ट नहीं करते तब तक उसका फायदा नहीं होता और यह स्टेट कैपीटेलिज्म की शक्ल ले लेता है। अगर ऐसा होगा तो राष्ट्रीयकरण का बेसिक प्रिन्सिपल ही डिफीट हो जायेगा। तीसरी बात यह है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज कारपोरेशन, गंगानगर शुगर बोर्ड में दो दो नुमाइन्दे लेंगे और जब इसके बारे में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि अभी तक कोई रूल्स नहीं बने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार इस माने में शुरूआत करे। आप रूल्स फ्रेम करें। मैं तो यह जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एक ऐसा सैल होना चाहिये जिसमें एम. एल. ए. हों, लेबर के नुमाइन्दे हों, और दूसरे मैम्बर्स भी हों।

चौथी बात यह है कि आपने यह फैसला कर लिया कि हम 25 परसेन्ट नेशनेलाइज करेंगे फोर्थ प्लान में। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी जगह तो आप 75 परसेन्ट करेंगे और किसी जगह 5–6 परसेन्ट ही करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि आप इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो राष्ट्रीयकरण के बारे में कहा जा रहा है उसके लिए मेरा कहना यह है कि यह राष्ट्रीयकरण नहीं है बल्कि सरकारीकरण है···

श्री मोहम्मद गफ़ार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकरण का कोई इस समय बिल है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बसेज का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। मैं निवेदन कर दूं कि यह सरकारीकरण है और एक ही हाथ में सारी सत्ता का केन्द्रीयकरण है। इससे यह होगा कि जो लोगों को काम मिलता था वह नहीं मिलेगा और सरकार के हाथ सारा काम आ जायेगा। मैं समझता हूं कि दो हाथों को काम मिले इस प्रकार के कार्य सरकार को करने चाहिये···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : काम कहां चला जायेगा आसमान में या धरती में प्रवेश कर जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : • •इससे बेरोजगारी नहीं मिटेगी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बिल को जो पेश कर रहे हैं मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। राष्ट्रीयकरण किन चीजों का करना चाहिए यह मैंने बताया था ? बसेज का राष्ट्रीयकरण करना या ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना जिससे लोगों को रोजगार मिलता है यदि सरकार ऐसी चीजों का राष्ट्रीयकरण करती है तो मेरा दल जो यह पद्धति है इसका विरोध करता है और इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा विरोध नोट कर लिया जाये और मैं आपकी सरकारीकरण की नीति के विरुद्ध हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य के विरोध को मैंने नोट कर लिया है। माननीय सदस्य जो गंगानगर से आये हैं उन्होंने कुछ फण्डामेन्टल बातें कहीं। उनसे किसी का भी मतभेद का प्रश्न नहीं है। हम भी यह मानते है कि राजकीय उपक्रम में लेबर का पार्टीसिपेशन होना चाहिये, वह यह फील करें और महसूस करें कि मैं भी इसमें एक हूं। और उसका इनवाल्वमेन्ट नहीं है और वह अलग आइडेन्टिटी के रूप में रहेगा और उपक्रम को अपना उपक्रम नहीं मानेगा तो यहां तक कहने को तत्पर हूं कि अगर नेशनेलाइज्ड इन्डस्ट्रीज लेबर के सैन्टीमेन्ट्स को और उसकी जरूरियत को ध्यान में नहीं रखती है तो प्राईवेट इन्टरप्राइज में और स्टेट इन्टरप्राइज में कोई बड़ा फर्क नहीं रहेगा। मूल चीज पूंजी किसने लगाई है यह नहीं है। मूल चीज यह है कि जो पूंजी लगी है उसका मुनाफा किसको जाता है और दूसरे जो काम कर रहे हैं उन लोगों की लिविंग कन्डीशन कैसी हैं।

माननीय सदस्यों की सूचना के लिए निवेदन करूं कि सन् 1967 के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेरे पास आया था, उस समय यह कन्सेप्ट शुरू नहीं हुआ था कि लेबर पार्टीशिपेशन होना चाहिए, किन्तु 1967 के अन्दर मैंने लेबर का रिप्रजण्टेटिव बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में रखा था और अभी भी शायद कई महीने पहले की बात है फेडरेशन का प्रतिनिधि, चेयरमैन आफ दी फेडरेशन जो हैं वह बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैम्बर के रूप में हैं। इसलिए हमारी यह घोषित नीति है और मैं ऐसा समझता हूं कि हमको इसके लिए रिमाइन्ड कराने की आवश्यकता नहीं है।

रोडवेज में कोई आदमी इसलिए नहीं है कि कोरपोरेशन के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर दिया गया है और वहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है। जैसे ही फिर से बोर्ड आफ डायरेक्टर्स बनते हैं मैं यह आशा करके चलता हूं कि बातचीत के द्वारा हम कोई व्यक्ति बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में नोमिनेट कर सकेंगे।

मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि जो भी निर्णय लिए गए हैं यह गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती है।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता

(श्री हरिदेव जोशी)

हूं जो उन्होंने सुझाव दिये हैं उसके लिए, और निवेदन करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटर-गाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 को मय संशोधन के पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1973

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1973। प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ : मैं प्रेस करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी· · ·

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब क्यों बोलकर समय बर्बाद करते हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे अधिकार है। अगर नहीं बोलना है तो विधान सभा को चलाने की आवश्यकता ही क्या है। अपने घर में ही सब कुछ कर लो। छः महीने में भी क्यों बुलाते हो।

श्री लक्ष्मणसिंह : आप तो अपनी हूक भर लो अच्छी तरह से बोल कर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं हूक नहीं भरता मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा कर रहा हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भी टेका दे रहा हूं।

परिनियत संकल्प

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1972 को अस्वीकार करने सम्बन्धी

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि: "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 को प्रख्यापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश सं. 7 सन् 1972) को अस्वीकार करता हूं। मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्षजी कि नगर सुधार संशोधन बिल आप यहां पर लाए हैं कितने ही मामले ऐसे हैं जिनमें लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत कार्यवाही की गई और कितने ही मामले चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि इन सारे मामलों में यह नगर सुधार संशोधन लाकर आप उनको रेगुलराइज कराना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई हाईकोर्ट का फैसला हुआ है। अगर हुआ है तो उस हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी आप दीजिएगा। और फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नोटिफिकेशन किसने किया। इन सब गलत कार्यवाहियों का जिम्मेदार कौन है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वह राज्य सरकार है। आपके पास बड़े 2 कानूनी विशेषज्ञ बैठे हैं उनका क्या उपयोग है। आपके पास टाऊन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसका क्या उपयोग है। यू. आई. टी. एक्ट के तहत एक्वीजिशन के अधिकार हैं और उसके तहत आपने कार्यवाही क्यों नहीं की यह जो आपने कार्यवाही गलत लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत की इन गलत कार्यवाहियों का कौन जिम्मेदार है ? सरकार जिम्मेदार है। सरकार के पास कानून विशेषज्ञ हैं, सरकार के नीचे टाऊन प्लानिंग डिपार्टमेंट है और ऐसा लगता है कि यह अयोग्य सरकार अपने गलत किए हुए कार्यों पर, यहां इस विधेयक को लाकर इन गलत कार्यों पर, सदन की मोहर लगवाना चाहती है। सरकार ने गल्ती की है, सदन ने गल्ती नहीं की और मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस सारी कार्यवाही के तहत आपने गरीब काश्तकारों की जमीनें एक्वायर की हैं। क्या आप वह सूची प्रस्तुत कर देंगे कि कितने मिनिस्टर और अफसरों की जमीनें एक्वायर की हैं। जमीन एक्वायर बड़े लोगों की नहीं की, नेताओं की नहीं की, अफसरों की नहीं की, जमीन एक्वायर की है गरीबों की। भूमिपतियों की जमीन एक्वायर नहीं की। आज लालकोठी की स्कीम जयपुर में जीता जागता प्रमाण है कि वहां पर जो किसान काश्तकार थे उन लोगों की आपने जमीन ली है और आपके जो मर्जीदान, चमचा एसोसियेशन के मेम्बर थे, उनकी जमीन छोड़ दी। छोड़ी है आपने टौंक रोड़ पर। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन नर्सरी के नाम पर आपने उनकी जमीनें छोड़ दी हैं। गुलाब पैदा करते हैं कोट में लगाने के लिए, उनकी जमीन क्यों छोड़ दी है।

एक माननीय सदस्य : चमचा एसोसियेशन कब बनी ?

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इन काश्तकारों की जमीनें क्यों लीं ? जो लालकोठी में काश्तकारी करते थे उनकी जमीनें आपने ले लीं पर अपने मर्जीदानों की और चमचा एसोसियेशन के मेम्बरों की जमीन, चाहे वह गुलाब की खेती के नाम पर ही हो, छोड़ दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका यह टाऊन प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है। जयपुर शहर के लिए मास्टर प्लान बना दिया। लम्बा चौड़ा, इसमें क्या क्या होगा। जिला और जिले का उपजिला और उपजिला का भी उपजिला। जैसे मोहम्मद तुगलक की योजनाएं थी। वह विज्ञान था, खगोल शास्त्र और भूगोल का जानकार था। उसी तरह से आपने भी लम्बा चोड़ा यह जयपुर का मास्टर प्लान बना कर घोषणा कर दी। लेकिन कौन से जोन होंगे, छोटे जोन होंगे या बड़े जोन होंगे, उप जिले होंगे उसमें भी उपजिले में होंगे, उनमें आप स्कूल खोलेंगे, कितने औषधालय खोलेंगे, कहां 2 सड़कें बनेंगी, कहां पार्क बनेंगे, उनकी बात आपने नहीं कही और मास्टर प्लान पर आपत्तियां आमंत्रित कर लीं। आपत्तियां हम तब दें जब कि आप पूरे आठ जोनों के बारे में बतायें कि कौन 2 सी सुविधाएं देना चाहते हैं। इस भारत की जनता को, इसका विवेचन इसमें करते।

आज मैं पूछना चाहता हूं कि गलत कार्यवाहियां हो रही हैं और आप रोक नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सकते। आज उसी जयपुर शहर में इस राजस्थान विधान सभा के नीचे, दिए तले अंधेरा, जयपुर नगर परिषद् मौजूद है माननीय मंत्रीजी। यहां पर टाऊन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी और दूसरे बड़े 2 अधिकारी बैठे हैं, आमेर रोड पर कालटैक्स पेट्रोल पम्प के बिल्कुल बराबर फुटपाथ की जमीन पर एक कांग्रेस के पार्षद ने अपना मकान बना लिया। आमेर का फुटपाथ, दोनों के बीच की जमीन, इधर पुराना आमेर और उधर नया आमेर और उसके बीच के फुटपाथ की जमीन वहां पर तामीरात होने जा रही है। गंगापोल का दरवाजा जिसे कभी मिर्जा इस्माइल ने, इन पार्कों में, इन खुले मैदान में घास लगाने के लिए उसके बाहर की जमीन को एक्वायर किया था, वहां पर नगर परिषद् के कांग्रेस के पार्षदों ने मकान बना लिए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से कच्चे बंधे पर लोगों ने मकान बना लिए। जयपुर में स्थित चौकड़ी गंगापोल और उसमें खण्डार का रास्ता जिनके नाम का उल्लेख मैं यहां पर नहीं करना चाहता हूं, वह लम्बी चौड़ी सड़क, आधी डामर की सड़क, उस डामर की सड़क को तोड़ कर पाइप लाइन के ऊपर, उस वाटर लाइन पर मकान बन रहे हैं। आधी सड़क पर मकान बन रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अजमेरी गेट पर जो परकोटा है उसमें जमीन दे दी जाय।

जयपुर की भूमि बेचने का म्युनिसिपैलिटी को कोई अधिकार नहीं है। वह इस जमीन को बेच नहीं सकती है। इसके लिए नियम है, उसकी ओर मन्त्री महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या इसके लिए आपके विभाग ने कोई योजना बनाई है। बिना टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट की स्वीकृति के म्युनिसिपैलिटी कोई भूमि को नहीं बेच सकती है। बेचेगी तो किस प्रकार से इसके लिए कोई योजना बनेगी और जो लेण्ड चार दिवारी के भीतर भी है, तो या किसी मकान से मिलती हुई है भी तो नगर परिषद् उस भूमि को नगर आयोजना विभाग से पूछ कर कार्यवाही करेगी, नगर आयोजना विभाग और नगर परिषद् में मतभेद है तो उसका निर्णय सरकार करेगी। परन्तु इसकी ओर कोई कार्यवाही आज यह राज्य सरकार नहीं कर रही है। नगर परिषद् की जो 133 पक्की बीघा और 15 बिस्वा जमीन है, उस भूमि की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसकी ओर आप कब कार्यवाही करेंगे। इस भूमि पर गटर का पानी बह कर आता है, उसको काम में लिया जा रहा है, यह म्युनिसिपैलिटी की सम्पत्ति है परन्तु उस पर ट्रेसपासर होकर खेती की जा रही है और ट्रेसपासर होने के नाते बाद में उनको खातेदारी के राइट्स मिल जायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट इस सम्बन्ध में क्या कर रहा है। क्या वह सो रहा है। आपकी नाक के नीचे जयपुर नगर परिषद् अवैध रूप से जमीन को बेच रही है, पक्षपात कर रही है। इस 133 बिघा 15 बिस्वा जमीन पर अवैध रूप से, अनधिकृत रूप से खेती हो रही है और आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आज म्युनिसिपैलिटी में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको रहने के लिये मकान नहीं है। फिर यहां पर मंत्री महोदय कहते हैं कि लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतन्त्र की हत्या तो आप कर रहे हैं। मैं पूछता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हूं कि हत्या करने वाले कौन हैं ? यह जो सारी घटनायें आपके सामने हो रही हैं उनके प्रति आप यह रवैया क्यों अपना रहे हैं। आप इस प्रकार कान में तेल डालकर क्यों बैठे हुए हैं। आपने जांच करने का ढोंग मचा रखा है। जांच किस से करवा रहे हैं डिप्टी डाइरेक्टर से। वह क्या जांच करेगा ? मैंने आपके सामने इतने उदाहरण दिये हैं। जयपुर के विकास के लिए जो कमेटी बनी हुई है उसके अन्दर भी प्रमाण दिये हैं। अखबारों में जो समाचार निकले हैं वह भी आपको बताये हैं, आपको ज्ञापन दिया है परन्तु मन्त्रीजी ने अभी तक इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट के तहत ····

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का अमेन्डमेन्ट अरबन इम्प्रूवमेन्ट के बिल पर है और यहां पर नगर परिषद् की बात कह रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपके टाउन प्लानिंग विभाग ने जो गलत काम किये हैं और जो कर रहा है उसके उदाहरण मैं यहां पर दे रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप नोटिस देते हैं–तेरी जमीन एक्वायर कर ली जायेगी और कुछ को आप छोड़ देते हैं। जिनकी जमीनें आपने छोड़ी हैं उनके नाम मेरे पास में हैं। जयपुर के नेताओं की, मिनिस्टर्स की, जमीनें आपने एक्वायर नहीं की हैं। जिस मिनिस्टर के पास मकान नहीं है उसके लिए मकान होना चाहिये। नगर परिषद् के कर्मचारियों के पास मकान नहीं है, आपकी विधान सभा के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके पास मकान नहीं है, राजस्थान के जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है। परन्तु यहां जयपुर शहर के एक एक नेता के पास बंगला है, आठ आठ बंगले हैं और फिर कहते हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं। यह आपका झूठा समाजवाद है। दिल्ली में यह समाजवाद आया है। किस प्रकार है–एक नगरी बसी है जिसमें बड़े बड़े आफिसरों और मन्त्रियों के लिए मकान बनाये गये हैं, एक दूसरी नगरी बसी है विनय नगर जो क्लर्क्स के लिये बनाई गई है और तीसरी नगरी बसी है जो कि सेवा नगरी कहलाती है और यह चपरासियों के लिये है। यह आपका समाजवाद है। ऊपर से समाजवाद आ रहा है। ऊपर रहेंगे ऑफिसर मन्त्रीगण, फिर बीच में होंगे क्लर्क्स और नीचे रहेंगे चपरासी। क्या यही आपका समाजवाद रहेगा। समाजवाद की बात वह होती जब पहले चपरासी, बीच में क्लर्क और नीचे ही नीचे आपके नेता और मंत्रीगण और ऑफिसर रहते। यह जो आपका समाजवाद है वह समाजवाद नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जयपुर शहर के आस पास नेताओं के बड़े बड़े फार्म हैं। आप आज अजमेर रोड पर चले जाइये। वहां श्री हरिदेव जोशी का फार्म है, जो कि बहुत बड़ा फार्म है। श्री व्यास जी का फार्म आपको वहां पर मिलेगा श्री भीखा भाई का फार्म वहीं पर है। श्री पी. के. चौधरी का फार्म वहीं पर है। कहीं श्री रामचन्द्र चौधरी का फार्म है तो कही श्री नाथूराम मिर्धा का फार्म है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया की धर्म पत्नी के नाम पर बगर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रोड़ पर फार्म बना हुआ है। ये फार्म कहीं पत्नियों के नाम पर है, पुत्रों के नाम पर है, उनकी पुत्र वधुओं की नाम पर है और इनके नाम से आपसे ट्रैक्टर का आवंटन करा लिया है। इस प्रकार आप कहते हैं हम समाजवाद ला रहे हैं। यह तो आपके घर पर ही समाजवाद आ रहा है। आपके ये ट्रैक्टर आज जयपुर शहर में बोझा ढो रहे हैं जो काम तांगे वालों को, ठेले वालों को करना चाहिये था वह कमाई आज आप कर रहे हैं। आप आज अपने ट्रैक्टर को सामान ढोने के लिये किराये पर उठा रहे हैं और इसी जयपुर शहर में किराया कमा रहे हैं। यह कोई आपका समाजवाद नहीं है ? यह तो लूट है लूट। पैसों की लूट मचा रखी है आपने।

श्री **विजय सिंह** : माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से गलत ढंग से एक्वीजीशन की कार्यवाही की जा रही है लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत. यू. आई. टी. के एक्ट के तहत कार्यवाही किन पर की गई है–बड़े बड़े आफिसरों की जो जमीनें थीं, मिनिस्टरों की जो जमीनें थीं, उनको तो छोड़ दिया गया है, यह आपने गलत कार्यवाही की है और जो कार्यवाही की है वह किन के खिलाफ की है, उन गरीब किसानों के खिलाफ जो कि खेती करके अपना निर्वाह करते थे। उन गरीब किसानों की जमीनें आपने एक्वायर की है और बड़े लोगों को आपने छूट दे दी है। और जो बिल इसके लिए आप लाये हैं वह भी चोर दरवाजे से लाये हैं। सीधे सीधे लाते, अधिवेशन बुलाते और इस पर विधान सभा में आकर बैठकर विचार करते। सुखाड़िया साहब भी अधिवेशन से कतरा कर चले गये और जो अब नये बरकतुल्ला खां साहब हैं वे भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। क्योंकि आप आज की संख्या में 145 हैं और एक चले गये अध्यक्ष तो रह गये 144 यह जो 144 की धारा है वह आपने इस विधानसभा में आकर लगा दी है। आपको अधिवेशन बराबर बुलाना चाहिए था, शीतकालीन अधिवेशन बुलाना चाहिये था। पहले सुनते थे कि विधान सभा में बहुत बातें होती हैं परन्तु यहां आकर देखा इस राजस्थान का विधानसभा का वही हाल है जो कि जयपुर नगर परिषद् का है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं.........

श्री **खेतसिंह** : आप जैसे सदस्य आने के कारण यह हालत हो गई है।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव**: मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो गलत कार्यवाही की गई है उनको रोका जाना चाहिये और सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री जोगेन्द्रपालसिंह ने उनके आदेश से यह जो आर्डिनेन्स निकाला गया है (हंसी).......क्या नाम गलत है....

श्री **लक्ष्मणसिंह** : आप तो बोलते रहिये.......

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : यह जो बिल है उसको अस्वीकार किया जाये ....

श्री **राजेन्द्र भारतीय** : नाम तो सही कहिये............

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : माननीय सदस्य आपके क्षेत्र के लोग मुझे मिले थे। वे आपकी प्रशंसा कर रहे थे कह रहे थे। हमने हमारे क्षेत्र

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

से जो एम. एल. ए. चुना है क्या उसका काम टोका टोकी करना रह गया है। मैंने उनसे कहा कि वे हमारे सम्माननीय सदस्य हैं। इस तरह मैंने आपके क्षेत्र के समक्ष आपकी प्रशंसा की है। मैंने उन्हें कहा कि आप लोगों को इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। मैंने पहले भी यहां पर निवेदन किया है कि जहां तक राजस्थान का प्रश्न है हम आपके साथ ही पौंग बांध, राजस्थान नहर या किसी प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार से लड़ने का प्रश्न है तो हम आपके साथ हैं। हम सब एक हैं परन्तु यहां इस विधान सभा में जो बात गलत की गई है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का, बोलने का हमारा अधिकार है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिये मेरा निवेदन है कि सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश जारी किया है उसको इस सदन द्वारा अस्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, नगर आयोजन) : उपाध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके जरिये उन्होंने कुछ मुद्दे यहां पर उठाये हैं। उन्होंने यह बात कही है कि ऐसे कितने मामले हैं जो लैन्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत चल रहे हैं और कितने ऐसे मामले हैं जिनकी इसकी तहत एक्वीजिशन की प्रोसिडिंग्स चल रही है। जयपुर शहर के अभी तक अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के लिये जितनी भी लैंड ली गई है; जयपुर शहर के विकास के लिये जितनी जमीन की आवश्यकता थी, वह सब इसी लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत ली गई है और सारी प्रोसीडिंग्स इसी एक्ट के तहत हो रही है। यह तब से हो रही है जब से कि यू. आई. टी. बनी है और ऐसे बहुत से मामले हैं जिनकी संख्या तो मैं यहां पर नहीं दे सकता हूं लेकिन ट्रस्ट के लिये जमीन एक्वायर की गई है। इस एक्ट के तहत जो कार्यवाही हो रही थी उस पर हाईकोर्ट का एक जजमेन्ट ऐसा हो गया है जैसा कि मैंने आपको इसके आब्जेक्ट में रीजन्स बताये हैं। हाईकोर्ट के जजमेन्ट के फलस्वरूप एक ऐसा स्टेगनेन्स आ गया जिसके कारण से सारी प्रोसिडिंग्स पेंडिग पड़ी है। इसलिये उसको वेलीडियेट करने के लिये यह अधिनियम लाया गया। उसको इस अधिनियम के नीचे रखा गया है। हाई कोर्ट के जजमेन्ट पर यह जो बिल लाया गया है, उसमें हाईकोर्ट के माननीय जज इस तरह से आब्जर्व करते हैं लैन्ड एक्वीजीशन के बारे में : आइ त ड नाट

"I need not reproduce other grounds of attack as this writ petition can be disposed of on this ground alone that after the scheme under the 1959 Act was framed by the Urban Improvement Trust and approved by the State Government the only provision under which acquisition proceedings could take place were the provisions of the 1959 Act and since the State Government choose to acquire the land of the petitioner by taking resort to the provisions of the 1953 Act, the land acquisition proceedings are vitiated. This court in Mastimal and others Vs. The State

(श्री परसराम मदेरणा)

of Rajasthan and others (S B Civil writ Petition No. 587 of 1968 decided on 13th May 1971) and in Messrs Prakash Mehra and others V. State of Rajasthan and others (S. B. Civil writ Petition No. 1381 of 1969 decided on 13th Sept. 1970) has held that if the land is sought to be acquired for the purpose of implementing a scheme framed under the 1959 Act, then the only provisions that can be made available to the State Government for acquiring such land are the provisions of the 1959 Act. If the State Government have started acquisition under the Act of 1953 after the scheme was duly framed and approved, then it is likely to create discremination and therefore the acquisition proceedings are vitiated. Since, in the present case the scheme was framed in the year 1961 and the notifications issued by the State Government under Section 4 and 6 of the Act speak about this scheme, the acquisition of the petitioner's land under the provisions of the Act of 1953 cannot be sustained."

यह केस है मन मोहन वर्सेस स्टेट ओफ राजस्थान।

मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि एक ही केस नहीं है। हाई कोर्ट का जजमेंट होने के बाद में बहुत से और व्यक्ति जिनकी जमीनें एक्वायर की जा रही है या एक्वीजीशन हो चुकी है हाई कोर्ट में रिट में गये। तो कानून स्टेगनेन्सी खड़ी हो गई थी। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के नीचे जो जमीनें हमने एक्वायर करली है या लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के नीचे जो प्रोसीडिंग्स पैंडिंग्स हैं जिसमें काफी कार्यवाही की जा चुकी है अगर उसको एक्वायर नहीं करते हैं तो शहरों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिये यह ठीक समझा गया कि जो लेकूना हाईकोर्ट ने पाईंट आउट किया है उस लेकूना के साथ में अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट के अन्दर जो लार्ज स्केल पर मास्टर प्लान के अन्तर्गत जमीनें एक्वायर करना है उसमें भी कुछ लेकूनाज हैं। तो उन लेकूनाज को दूर करने के लिए कुछ एमेंडमेंट रेलेवेन्ट सैक्शन में लाने हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया और हाई कोर्ट ने एक दूसरा जजमेंट भी दिया जिसके अन्दर इस बात का उल्लेख है कि जो कुछ भी अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट के नीचे भी जो कार्यवाही अब तक की जा रही उसमें भी खामियां हैं। वह खामियां यह है कि जो लैण्ड एक्वीजिशन की अभी तक जो कार्यवाही कर रहे हैं और जिसमें अभी फाइनल डिसीजन स्टेट को लेना है उसमें भी आब्जेक्शन सुनने का अवसर देने की या जांच करने का प्रावधान नहीं है। इसलिये यह जो इस एक्ट में खामी है को दूर करने के लिये यह वेलिडेटिंग बिल लाना पड़ा, और वेलिडेटिंग बिल लाने से पहले जो कुछ भी एक्वीजीशन

(श्री परसराम मदेरणा)
हो चुका है इस राजस्थान के अन्दर अलग अलग शहरों के अन्दर इन दोनों ही एक्ट्स के नीचे अगर मैं यहां पर यह बिल न लाऊं तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहां पर एक्वीजिशन हो चुका है और यू. आई. टी. ने सजेशन ले लिया है और यू. आई. टी. ने विकास कर लिया है वह उस व्यक्ति को हैण्ड ओवर करना होती जो कि रिट कर चुका है या जिसकी रिट पैंडिग है। इसलिये हम संविधान के आर्टीकल 213 के अन्दर जिसमें असेम्बली का सैशन न हो तो राज्यपाल को लेजिस्लेचर के पावर कान्स्टीट्यूशन में इसलिये दिये गये हैं कि अगर ऐसे सर्कम्सटान्सेज खड़े हो जायं कि जिसमें राज्य सरकार को सैशन के बीच में किसी कानून की अत्यन्त आवश्यकता हो तो इन प्रावधानों का उपयोग करके राज्यपाल महोदय आर्डिनेन्स प्रोमलगेट करने की इजाजत दे सकते हैं।

मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि माननीय सदस्य ने यहां पर गंगापोल दरवाजे के ऊपर और उसके साथ ही जल महल में जो खेती हो रही है। जिसमें गटर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है उन पर कुछ ट्रेसपास की बात कही है। दूसरे किसी के बारे में जो म्युनिसिपल कौन्सिल के द्वारा किया गया है उसके सभी के संबंध में माननीय सदस्य ने मुझे भी शिकायत की है और माननीय सदस्य को यह विश्वास रखना चाहिये कि मैंने इसकी एन्क्वायरी करवाई है और मैं सभी संबंधित फाइले जांच एन्क्वायरी के लिये मंगवा रहा हूं, और मैं यह निश्चित विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार को किसी प्रकार का भी स्टेप लेना पड़े तो उसमें राज्य सरकार हिचकिचायेगी नहीं। इसमें राज्य सरकार ने जिस तरह की कार्यवाही की है उसके लिये राज्य सरकार पर ट्रस्ट किया जाना चाहिये। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आपके कहने से मैं फाइलों को मंगा रहा हूं और एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति की है जो कि एन्क्वायरी की कार्यवाही कर रहा है, और राज्य सरकार के ध्यान में जांच होने के बाद कोई मामला आया हो तब तो माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार जानबूझ कर अवहेलना कर रही है या टालमटौल कर रही है उसका कोई प्रश्न खडा नहीं होता है। जांच के बाद जो कुछ भी जांच का नतीजा होगा उसके बाद में जो एक्शन लिया जायगा उससे आपको सन्तोष होगा।

आपने कुछ फाईलों की बात कही है...

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री महोदय से मेरा एक निवेदन है कि justice delayed is justice denied. आपकी सरकार कुछ करना चाहती है लेकिन जो देरी हो जाती है और फिर करती है तो बिल्कुल लीपा-पोती सा नजर आता है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि सभी मामले 2-3 हफ्ते के हैं और अभी इस सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद इस सत्र के अन्दर भी माननीय सदस्यों को जाना था सदन से वहां...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ऐसा नहीं था। मैं गया हूं। आज भी साढे चार बजे बुलाया है। मैं कभी अनुपस्थित नहीं रहा हूं मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने एक दिसम्बर से बनने वाली बात कही है तो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
मैं फिर सदन की मारफत और, माननीय उपाध्यक्ष आपकी मारफत निवेदन करूंगा कि सम्पूर्ण फाइलों की जांच होना चाहिए। यह मैंने आपसे मांग वहां भी की थी और यहां पर भी कर रहा हूं। इसका आश्वासन दिला दें।

श्री खेतसिंह : आप मीटिंग में लेट हो जायेंगे। पधारो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : साढ़े चार बजे तक बोलूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए पहले भी मैं जैसा कि निवेदन कर चुका हूं इस आर्डिनेन्स में जो कुछ भी एमेंडमेंट किये जा रहे हैं उनसे इस बात का कतई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में यह मामला था और जो कुछ भी राज्य सरकार ने किया है सदन इस बात का अहसास कर सकता है। माननीय सदस्य को चार बजे जाना है इसलिए किसी प्रकार से देरी नहीं कर रहा हूं। राज्य सरकार के पास जांच रिपोर्ट पहुंचने पर जल्दी से जल्दी वह सदन के पटल पर रख दी जायगी।

यहां पर कांग्रेसी नेताओं के सम्बन्ध में आपने बात कही है। उससे इसका क्या सम्बन्ध था मैं समझा नहीं। किसी के 8 बंगले हैं, किसी के 10 बंगले हैं मेरे पास तो कोई इसकी लिस्ट है नहीं। लेकिन माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान के किसी शहर में मेरे पास तो एक झोंपड़ा भी नहीं है, न कोई मकान है। गांव में मेरा एन्सेस्ट्रल मकान है जो कि मेरे ग्राण्ड फादर का बनाया हुआ है गांव में कच्चा मकान है झोंपड़ा भी है और मकान भी है, उसके अलावा एक झोंपड़ा भी राजस्थान के अन्दर नहीं है। इसलिए यह कहना कि मकान है, क्या मकान है, इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना चाहता। अगर हो तो एक्वायर करके आप दे दें। 8 बंगले या 10 बंगले का इस बिल से कोई सम्बन्ध है यह मेरी समझ में नहीं आता है। कांग्रेस नेताओं पर गलत आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर जनरल कन्डेम्नेशन करें तो उसको मैं रिफ्यूट करता हूं विद आल एम्फेसिस एट माई कमाण्ड।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने जिन जिन के बारे में कहा है उसकी आप जांच करवाइये ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके पास मकान नहीं है इसलिए आप यह करवाना चाहते हैं। मैंने नाम दिये हैं। यहां पर आपके झोंपड़ी नहीं है तो मैं आपको झोंपड़ी भी दिलवा दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप क्या दिलवा देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने आरोप लगाया है तो मेरे पास नाम है। आपके पास झोंपड़ी नहीं है तो मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया है। जिनके बारे में मैंने आरोप लगाये हैं उन पर सप्रमाण आरोप लगाये हैं। आप जांच करा लें।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : यह भी गुमानमलजी की तरफ बह जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किसी का नाम न लें। जो कुछ कहना हो मुझसे कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : यह वेलिडेटिंग बिल नहीं लाते या विकास नहीं निकालते तो जो लीगल स्टेण्ड की स्थिति होती तो उसमें जो लैण्ड एक्वायर किया हुआ है उसको डिए-क्वायर करना पड़ता, और जो कम्पेन्सेशन 15 साल पहले या 10 साल पहले दे दिया गया है वह डिएक्वीजिशन के बाद जो कि मौजूदा रेट है उस पर कम्पेन्सेशन देना पड़ता। नतीजा यह होता कि जिन शहरों का विकास करना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ी अड़चन पड़ जाती।

जो कुछ हम आर्डिनेंस लाये हैं, वह चोर दरवाजे से नहीं। भारत का जो कान्स्टीट्यूशन है, जिस कान्स्टीट्यूशन ने गवर्नर को पावर दी है, उनको इन्वोक करते हुए आर्डिनेंस आया है। विधान सभा में लाते तो इस प्रकार की स्थिति खड़ी हो जाती। तो इस प्रमोलगेशन आफ आर्डिनेंस के खिलाफ यह जो माननीय सदस्य के द्वारा लाया गया है, कि इस आर्डिनेंस को अस्वीकार किया जाये। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई कारण नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य प्रस्ताव को वापिस लेना उचित समझते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति हो तो वापिस लेने की अनुमति दे दी जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1973 का विचारार्थ प्रस्तुतीकरण

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1973 विचारार्थ लिया जाये।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधि-मान्यकरण) विधेयक, 1973 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : जनमत जानने के लिए....

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा....

कुछ माननीय सदस्य : फिर वही बात।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वही बात नहीं कहूंगा।

मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह चोर दरवाजे से नहीं आया है। तो फिर यह क्या है इसको असेम्बली में न लाकर, जो हमारे वयोवृद्ध हैं राज्यपाल महोदय जोगेन्द्रसिंह जी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
उनको बीच में लाकर, उनके जरिये से निकाला है।

(3.03 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

फिर तो यह जनतन्त्र नहीं है। यह अध्यादेशों की सरकार है। राजस्थान की जनता ने आप को एक मौका दिया है। इतना भारी स्पष्ट बहुमत दिया है। जैसे एक भिखारी बराबर पीछे पड़ा रहे और किसी के घर तक पीछे पीछे चला जाये तो वह आदमी आखिरकार गुस्से में जेब के सारे पैसे भिखारी को दे दे और कहे कि अब तो पीछा छोड़। इस तरह से राजस्थान की जनता ने अपनी जेब के सारे पैसे आप को दे दिये हैं। यदि अब भी बेकारी नहीं मिटी और समाजवाद नहीं आया तो आप तो सोच सकते हैं। अभी कलकत्ता के अधिवेशन में यह कहा गया कि अभी तक भी बेकारी नहीं मिटी है। तो यह कहा गया है कि यह कोई जादू का दीया थोड़े ही है। आप समाजवाद की परिभाषा तो करें। खलियान से लेकर, बूट बनाने से लेकर हलवाई की दूकान तक उनसे ले ली जायेगी। समाजवाद की यह व्याख्या तो कर दो। आपकी व्याख्या सही है कि सभी गरीब अमीर बन जायेंगे। यानि उनके लंगोटी लग जायेगी। हाथ में कमण्डल आ जायेगा। परमिट उन्हीं को मिलेगा जो आपको वोट डलवायेगा। वह आपके हाथ जोड़ेगा। वह वहां मुनीम बनने के लिए हाथ जोड़ेगा। जिसे आप चाहेंगे, दूकान खोलने के लिए उसी को मिलेगी। जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी बराबर अपनी मांग सरकार से करते हैं, इण्टीरियम राहत के बारे में। आप उसी तरह से उनको परेशान करना चाहते हैं। यह राष्ट्रीयकरण नहीं है, सरकारी करण है। चोर दरवाजे की बात फिर मैं कहता हूं। ऐसे अध्यादेश निकलवाना कोई अच्छी बात नहीं है। आप ने यह बात कही है, कि जयपुर में नेताओं के मकान नहीं हैं। मैंने मकान गिनाये हैं। जगह गिनाई है। मैं समझता हूं कि आगामी और आने वाले बिल हैं। मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से लोगों का सौदा हुआ। किस प्रकार से बेचे गये हैं। मुझे अभी साढ़े 4 बजे जाना है। आप भी चाहेंगे कि मैं जाऊं। मैं सूची रखी है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं। आपने कहा है कि आपके पास झोंपड़ा भी नही है। तो मैं समझता हूं कि आपके सम्मान के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। जिनका सार्वजनिक जीवन जितना शुद्ध है, उनकी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मैं यहां भी आपका सम्मान करता हूं और बाहर भी करता हूं। इसलिए इस बिल में जो बड़ों बड़ों को छूट है, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। बड़े बड़े लोगों के लिए आपने लालकोठी के गरीब किसानों को नोटिस देकर आपने उनकी जमीन अवाप्त करली। बड़े बड़े फार्म छोड़ दिये गये। मैं समझता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण नही है। हां, पक्ष जीता, हां पक्ष जीता यह तो यहां पर हो जायेगा, मैं हार जाऊंगा। लेकिन यह वोटिंग किसी प्रकार की ईमानदारी को साबित नहीं करती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये। जनमत ही सबसे बड़ी चीज है। जनता जनार्दन है। जनता की खुली अदालत में है, जनता की जो अदालत है, वह भगवान है। वह जनता,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

न्याय करेगी। इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप भारतीय हैं, यह भारतीय करण है। आप इनको समझा सकते हैं।

श्री सभापति : श्री भानुकुमार शास्त्री

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, जहां तक इस बिल की मन्शा है, इसकी मन्शा के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है। लैंड एक्वीजीशन एक्ट (नं. 24) 1953 और राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट 1959, दोनों ही जमीनों को एक्वायर करने को प्रयोग में लाये जाते रहे हैं। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में एक रिट हुई, जिसने कि इस बात को माना कि केवल लैंड एक्वीजीशन एक्ट, 1959 ही एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत जमीनें एक्वायर हो सकती हैं। उन्होंने जो स्पेशल आफिसर आन ड्यूटी हैं, जिसके पास सेक्शन 52 लैंड एक्वीजीशन एक्ट, 1953 के तहत और अर्बन इम्प्रूवमेंट, 1959 के तहत आब्जेक्शन इन्वाइट किये जाते थे उसको भी इनवेलिड कर दिया, नल एण्ड वोइड कर दिया। स्पष्ट है कि इससे स्थिति काफी गम्भीर हो गई और ऐसे प्लाट्स जो सरकार ने इसके बियोण्ड एक्वायर कर लिये, उस सारे के सम्बन्ध में एक स्थिति का जन्म हुआ कि उन्हें रीएक्वायर किया जाय, रीएक्वायरिंग स्टेज पर एक फाइनेंशियल लोड निश्चित रूप से सरकार पर आने वाला था क्योंकि कीमतें 1959 के मुकाबले में 1973 में काफी बढ़ गई हैं। जहां तक इस बिल की मन्शा है, यह तो ठीक है। आज जब हम मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं तो हमें फौरन धरती एक्वायर करनी होगी इसलिए सारे हर्डल जो हमारे रास्ते में आते हैं उनको हटाना भी आवश्यक है।

सभापति महोदय, अब यह बिल प्रस्तुत होता है तो इस बिल के परव्यू के बाहर यह नहीं है कि पड़ी हुई लैंड को एक्वायर करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति कहीं दुर्लक्ष्यपूर्ण तो नहीं है? कहीं लैंड एक्वायर करने के सिलसिले के अन्दर सरकार और उसकी एजेंसी यू. आई. टी. इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रही हैं? अगर दुरुपयोग कर रही हैं तो इस बिल की मन्शा डिफीट हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो जयपुर के हवामहल की हवा खाते आते हैं, वह उपाध्यक्ष को तो मानते ही नहीं हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वह कहते हैं 145 सदस्यों में से एक अध्यक्ष निकल गये, उपाध्यक्ष निकले नहीं हैं। सभापति महोदय आकर बैठ गये हैं क्योंकि वह उपाध्यक्ष को स्वीकार नहीं करते, उनके आंकड़े में उपाध्यक्ष फिट नहीं हुए, इसलिये उपाध्यक्ष सदन से गायब हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसका सदुपयोग कई स्थानों पर नहीं हुआ। आप कोकाकोला और कैपस्टन फैक्ट्री तो देख लें। उन्हें देख कर दुःख होता है। उन्होंने तो छोटे मोटों, सब पर चोट कर दी लेकिन मैं कैपिटलिस्ट्स की बात करता हूं। एक कोकाकोला, गोल्ड स्पोट और कैपस्टन फैक्ट्री हैं, इन तीनों के लिए सैकड़ों बीघा जमीन एक्वायर करके करोड़ों रुपये की सम्पत्ति इनके सुपुर्द कर दी जब कि दो बीघा में कोकाकोला फैक्ट्री, कैपस्टन फैक्ट्री खड़ी हैं, बाकी पर जो किसानों की खेती होती है उससे उन्हें वंचित कर दिया, जबकि कोई मास्टर प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, अनेक एकड़ धरती को एक्वायर करके जयपुरिया को अर्पण कर दी। उस धरती पर किसानों की खेती नहीं होती लेकिन मटर पैदा होती है, वह जयपुरिया के लिए जाती है हरी मटर। उनके भाई धोरिया की गोल्ड स्पोट फैक्ट्री देखिये, 68 बीघा फैक्ट्री को अर्पण कर दी, जब कि दो बीघा में फैक्ट्री का निर्माण हो सकता है। उससे बड़ी फैक्ट्री नहीं है। लेकिन लार्ज स्केल पर जमीन को एक्वायर करके करोड़ों रुपये की धरती इन पूंजीपतियों और इजारेदारों के सुपुर्द कर दी। उदयपुर की यू आई टी का हाल ले लीजिये। सारी दुनियां में इसका हल्ला है, इसकी अपने आप में एक कहानी है। यू आई टी भंग हो गई, लेकिन रात दिन एलाटमेंट की कार्यवाही चल रही है। कलेक्टर ने प्लाट ले लिया, ए. डी. एम. ने प्लाट ले लिया, एस.पी. ने प्लाट ले लिया, और मेरे बहुत सारे राजनैतिक बन्धुओं ने इस वक्त हाथ रंग लिये। और को तो छोड़िये, पोलो का ग्राउण्ड जिसकी विशेष कीमती धरती है, उसके प्लाट यू. आई. टी. ने काटे और इन अधिकारियों के सुपुर्द कर दिये। गंगानगर में यू आई टी नहीं बना, लेकिन डिक्लेअर कर दिया है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। गंगानगर शहर देखिये, गंगानगर को कैदनगर कहा जा सकता है। कैदनगर इसलिए कि जितने राजा-महाराजा, करोड़पति हैं वह शहर के चारों तरफ घेरा डाले बैठे हैं। गंगानगर म्युनीसिपल बोर्ड के चुनाव साल में दो दफा होते हैं, और जितने दफा भी होना सम्भव है, तब वोट आफ नो कान्फीडेंस आता है। इसके पीछे एक राजनीति है, शहर के चारों तरफ की धरती एक्वायर न करने की। उमराव एण्ड कम्पनी का पचास करोड़ का फार्म है। महाराजा करणी सिंह का फार्म है। लेकिन महाराजा करणी सिंह के फार्म को कौन छूए। लीलाधर का फार्म है, लच्छीराम सेठ का फार्म है, विष्णु नर्सरी है, और कई ऐसे करोड़पति हैं जिन्होंने धरती पर फार्म बनाये हैं। बहुत शोर मचाने के बाद जब वहां की म्युनीसिपल बोर्ड ने यह अनुभव किया कि अब जमीन एक्वायर करनी ही पड़ेगी क्योंकि चारों तरफ भयंकर गड्ढे हैं, एक तरफ शुगर मिल का पानी गिरता है, जिससे इतनी बदबू उठती है कि सारा शहर बदबू से भर जाता है, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मोलेसेज की बदबू को सहन कर मिल के चारों तरफ अपना जीवन निर्वाह कर रहे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है। म्युनीसिपल बोर्ड ने दो सौ मुरब्बे जमीन एक्वायर करने की योजना बनाई है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जिस वक्त के अन्तर्गत एक्वीजीशन होता है, चाहे लैंड एक्वीजीशन एक्ट हो, इस दो सौ मुरब्बे जमीन में न करणी सिंह की जमीन को एक्वायर करने का प्लान है, न उमराव सिंह की जमीन को एक्वायर करने का प्लान है, न लीलाधर की जमीन को एक्वायर करने का प्लान बना था; विष्णु गार्डन को एक्वायर करने की योजना बनाई। लायलपुरिया, जो सबसे बड़े भूमिपति हैं, उनकी जमीन को भी एक्वायर करने की योजना नहीं बनाई। योजना बनाई गई तो उनके लिए जो दस बीघा, बीस बीघा जमीन के मालिक हैं, उनकी जमीन की तरफ अंगुली उठी जो दस बीघा, बीस बीघा जमीन के मालिक थे, उस जमीन की तरफ अंगुली नहीं उठी, जो उमराव एण्ड कम्पनी की पचास करोड़ की जमीन है। सारे यू आई टी के लैंड एक्वीजीजन की कहानी कहने लगूं, तो सभापति महोदय, समय काफी हो जायगा, लेकिन निश्चित रूप से बड़े बड़े पूंजीपतियों की जमीन को एक्वायर नहीं किया गया। दुर्गापुरा में एक दिग्गज राजनेता का फार्म हैं उसको एक्वायर नहीं किया गया। यह बात, मंत्री महोदय, सही है। मैं गवर्नमेंट के लक्ष्य को और दिशा को तभी सही मानूंगा, जब जयपुर के मास्टर प्लान के लिए बड़े बड़े मंत्रियों की जमीन को एक्वायर किया जाय। दिग्गज राजनेता का फार्म मास्टर प्लान के रास्ते में आता है तो वह एक्वायर किया जाय, किसी की जमीन रास्ते में आती हो, उसके लिए मंत्री महोदय एस्योर करें कि उसको एक्वायर कर लिया जायगा और शहर के विकास के लिए और मास्टर प्लान को कामयाब करने के लिए उसमें किसी प्रकार की झिझक और राजनैतिक रुकावट नहीं होगी।

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि·······

एक माननीय सदस्य : आपका अंत।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा तो कभी अंत नहीं हुआ है। मेरा तो आरम्भ हुआ है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : ऐसा चाहते नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अब आपका होना है और होता जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भारतीया जी का।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : भारतीयकरण है।

मैं अंत में कहूंगा, जिस लैंड एक्वीजीशन के प्रासीजर और किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से न प्रयोग में लाते हुए शहर के विकास में प्रयोग में लाया जाय। आज मास्टर प्लान के तहत हमने तीन चार नगर लिये हैं जिनमें, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और कोटा है। यह चार पांच नगर हमने मास्टर प्लान के तहत लिये हैं और इसके बाद हम और भी नगर मास्टर प्लान के तहत लेना चाहते हैं। जोधपुर की भी कहानी देखिये तो वहां पर लैंड सारा का सारा इस प्रकार से स्केटर्ड हैं, एक

Page No 98

(98)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

तरफ गणेशी राम का माडर्न फार्म है, और जो कि जवाई डेम से जोधपुर को पानी देने के लिए नहर आती है उस पर वह फार्म स्थित है। मैं कहना नहीं चाहूंगा नाम, नाम नहीं कहना चाहूंगा, वहां पर पुल है, जिस पर पी. डब्ल्यू. डी. की सड़क है, उस पुल के नीचे एक दिग्गज राजनेता का एक पिगनी फार्म है, पाल्ट्री फार्म है चाहे जोधपुर शहर के अन्दर गर्मी के दिनों में नल के ऊपर घड़ों की कतार लगी हो, और शाम तक एक घड़ा पानी भरने को नहीं मिला हो, नहर से इस गणेशीराम फार्म और इससे मिले हुए एक दिग्गज राजनेता के फार्म और उनके एक रिश्तेदार के फार्म की धरती का सिंचन जरूर होता रहता है। तो मैं मंत्री महोदय को इस लैंड एक्वीजीशन के प्रोसेस जो कि एक तलवार की तेज धार है, उससे सावधान करता हूं। मेरी मन्शा किसी की आलोचना करना निगेटिव दृष्टि से नहीं है। मैं तो इस बात को कहता हूं कि जहां लैंड एक्वीजीशन के प्रश्न आते हैं वहां पर केवल एक ही चीज का दृष्टिकोण रखना चाहिए। वह है हमारा मास्टर प्लान कामयाब हो, हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए हम सस्ते प्लाट्स जनता को मुहैया कर सकें। आज हाउसिंग बोर्ड के तहत हमने दो हजार प्लाट्स कन्सट्रक्ट किए हैं और इन दो हजार प्लाटों के संबंध में राष्ट्रपति गिरि का कहना है अगर इसी स्पीड से आप प्लाट्स कन्सट्रक्ट करेंगे तो राजस्थान के आवासहीन लोगों को कब तक आवास दे सकेंगे और प्लाट्स की जो आपने कीमत रखी है, उसमें कोई मिडिल क्लास आदमी नहीं ले सकता। उन्होंने केरल की तरफ संकेत किया है और यहां के मुख्यमंत्री से कहा है कि आप गोविंदा नायर से मिलने का कष्ट करें और देखें कि केरल वालों ने टाउन्स के अन्दर किस प्रकार 1500 या 2000 तक के मकान कन्सट्रक्ट किए हैं जिनको निम्न वर्ग के आदमी भी ले सकते हैं। मैं आज कामना करके चलता हूं कि लैंड एक्वीजीशन हो और उस पर आवास का प्रबंध किया जाए, लैंड एक्वीजीशन के जरिए हमारी मास्टर प्लान का एक्सटेन्शन हो। कोई दिक्कत नहीं अगर किसी लैंड एक्वीजीशन के लिए ऐतराज है। मेरी आलोचना के अन्दर रत्ती भर लैंड एक्वीजीशन करने के संबंध में आलोचना नहीं है, उसको रोकने के लिए आलोचना नहीं है। इसलिए सारे राजनैतिक दृष्टिकोण से परे रहते हुए मंत्री महोदय का जो पिछला कार्य रहा है, मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूं कि इस प्रकार जो गलत एक्वीजीशन हुए हैं, उनकी पूरी तरह से एन्क्वायरी करवायेंगे चाहे उदयपुर की है चाहे जयपुर की है, चाहे गंगानगर के अन्दर होने जा रहा है। भविष्य में मैं मानकर चलता हूं कि इस दिशा में जो ये कदम उठायेंगे उनसे मुझे पूरी आशा है।

श्री सभापति : श्री केशरीमल

(अनुपस्थित)

मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (नगर आयोजना मंत्री) : सभापति महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इस विधेयक को जानने हेतु प्रचालित कर दिया जाए और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं दोनों ही प्रस्तावों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि जो हालात पैदा हो गई थीं उनको श्रोवरकम करने के लिए अध्यादेश लाए और वह आज विधेयक के रूप में सदन के समक्ष है। अगर इसको जनमत जानने के लिए प्रचलित किया जाता है या प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि 6 सप्ताह के बीच में हम इस विधेयक को पारित नहीं कर सकेंगे क्योंकि मार्च महीना पूरा बजट चलेगा और बजट के बीच में कोई दूसरा बिजनेस नहीं लिया जा सकता। इस विधेयक को पारित करने से जो लैकोना हैं वे दूर हो सकेंगे जहां अभी भी भूमि एक्वायर की जा रही थी। जहां तक वैलिडेशन का प्रश्न है, उन पुराने मामलों में जहां एक्वीजीशन हो गया है या पेंडिंग है, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां के मास्टर प्लान बन गए हैं या मास्टर प्लान बनाने की कार्यवाही चल रही है और जहां यू. आई. टीज. बने हुए हैं उन्होंने स्केची मास्टर प्लान्स बनाए हैं, उन्हीं के अनुरूप है। हम अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट के विशेष प्रावधान लैंड एक्वीजीशन में इन्वोक करेंगे, लैंड एक्वीजीशन के प्रावधानों को नहीं। वह प्रोसीजर भी सिम्पल है, काम्पेन्सेशन भी कम है और साथ ही साथ उसमें जमीन को जल्दी से जल्दी एक्वायर किया जा सकता है। जैसे कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य खास तौर से जानते हैं जयपुर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए लैंड एक्वीजीशन का जो पेस रहा है, वह धीमा रहा है।

(3.25 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नतीजा यह हुआ है कि बहुत लोगों ने सहकारी समितियां बनाकर खेती की जमीन को खरीद कर मकानों का निर्माण किया है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव भी है जिसका उत्तर मैं 28 तारीख को दे रहा हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जमीन को एक्वायर करना बहुत आवश्यक हो गया है, यहां तक कि हाऊसिंग बोर्ड के लिए जमीन चाहिए। हाऊसिंग बोर्ड के लिए लंबा प्रोसीजर है। इसलिए मैंने नेगोसिएशन्स से जमीन लेकर जो छोटी आय के लोग हैं उनके लिए मकान की कार्यवाही अजमेर वगैरह स्थानों में प्रारम्भ करवा दी।

जहां तक हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य का यह आरोप है कि पूर्व में कौन कौन से मामले हैं जिनमें बड़े बड़े भूमिपति थे, उनकी जमीन नहीं ली गई या जमीन का नोटिस देने के बाद उनको डीएक्वीजीशन कर दिया गया? मुझे सब मामले ध्यान में नहीं लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता।

हूं कि जबसे यह विभाग मेरे पास आया है, साल भर होने को है तब से कोई नोटिस देने के बाद किसी व्यक्ति की इस तरह से डिएक्वीजीशन की कार्यवाही की जाय या प्रोसीडिंग्स ड्राप की जाय, ऐसा एक केस भी नहीं है।

गंगानगर के संबंध में एक बात कहूं। यू. आई. टी. का गठन हुआ है उसके बाद मैं उस शहर के विकास के लिए और शहर के अन्दर जो निर्धन आवासहीन लोग हैं उनको

(श्री परसराम मदेरणा)

भूमि उपलब्ध हो, इसलिए कौनसी जमीन शहर के पास में आई है, क्या मास्टर प्लान होगा उसके लिए सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कई लोगों के पास ज्यादा जमीन है। यह बात गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जिनको वहां की हालत की ज्यादा जानकारी है वे स्वयं जानते होंगे, मुझे वहां की ज्योग्राफी की जानकारी नहीं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कोई मैं आश्वासन दूं यह संभव नहीं कि कौन सी जमीन ले ली जाएगी, कौनसी मास्टर प्लान के अन्दर किस कार्य के लिए आवश्यक है, पब्लिक पर्पजिज के लिए आवास के लिए कौनसी जगह आवश्यक है, शहर का विकास कैसे हो सकता है। आप जोधपुर को लीजिए। जोधपुर शहर के विकास की कोई संभावना नहीं रही है। केवल एक ही तरफ रहा है। एक तरफ आर्मी, दूसरी तरफ एयर फोर्स है, तीसरी तरफ बी. एस. एफ. आ गई है। इन तीनों के आने के बाद आगे एक पार्क आ गया है। इस तरह तीन डाइरेक्शन्स से विकास करने कोई संभावना नहीं है केवल एक दिशा है पश्चिम, जहां विकास किया जा सकता है। गंगानगर के बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय कि जो कुछ भी किया जा रहा है या किया जायेगा वह उचित ही किया जाएगा। यहां पर यह भी बात कही गयी कि यू. आई. टीज. के बारे में राज्य सरकार की नीति तो ठीक है लेकिन सरकार ने कुछ ऐसी कार्यवाही करदी वह ठीक नहीं है। तो इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सिर्फ इतना ही आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य सरकार पहले सभी पहलुओं पर विचार करती है और बाद में एक्शन लेती है। यहां पर यह भी पूछा गया कि यू. आई. टीज. के चेअरमैन जो नोन आफिशियल्स थे उन्हें क्यों हटाया गया। तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से यह महसूस किया कि यू. आई. टीज. जिस काम के लिए बनाया गया था उनका काम उसके अनुसार नहीं हो रहा और इसके लिये राज्य सरकार ने उन्हें हटा दिया। राज्य सरकार ने यू आई. टीज. को ट्रस्टीज के माफिक काम करने के लिए कहा था पर उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया इसके लिए यह अनिवार्य हो गया था कि नोन आफिशियल्स को वहां से हटाया जाय। उनके बारे में शिकायतें बहुत आईं, और चूंकि राज्य सरकार यह चाहती थी और चाहती है कि उनका काम सुनियोजित ढंग से चले इसलिए ऐसा एक्शन लेना पड़ा। यू. आई. टीज का काम सुनियोजित ढंग से चले उसके लिए राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को उनका चेयरमैन बनाया। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि यू. आई. टीज. में दो सदस्य म्युनिसिपैलिटीज के होने चाहिए। तो हमने उसमें वह भी रिप्रेजेन्टेशन करा दिया है एक्ट में। अभी राज्य सरकार का ध्यान गंगानगर में जो यू. आई. टी. बनी है उसके बारे में आकर्षित किया गया था। उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि वहां पर फिलहाल कलेक्टर ही उसका चेयरमैन बनेगा। नोन आफिशियल अभी चेयरमैन नहीं बनेगा। ताकि गंगानगर की यू. आई. टी. ठीक तरह से अपना काम कर सके और उसका विकास हो सके। और जो

(श्री परसराम मदेरणा)

मास्टर प्लान बना है उसके अनुसार ही काम हो सके। मैं यह नहीं कह सकता कि कब नोन आफिशियल चेअरमैन बनेंगे। पर अभी तक तो इतना ही कह सकता हूं कि राज्य सरकार की मन्शा अभी नोन आफिशियल चेअरमैन बनाने की फिलहाल नहीं है हो सकता है आगे हो जावे। बस इन्हीं शब्दों के साथ की यू. आई. टीज. का काम ठीक ढंग से चले और उनके जरिये विकास कार्यक्रम ठीक तरह से हो मैं यही कहूंगा कि जो दूसरे माननीय सदस्यों ने इसके लिए अमेन्डमेंट रखे हैं मैं उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गिरधारीलाल भार्गव आपने जो राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1973 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के लिए जो प्रस्ताव किया है उसको आप वापिस ले रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय में एक आधा मिनट का समय लेना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय आज हजारों गरीबों को इसमें बेदखल किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने प्रस्ताव को वापिस ले रहे हैं या नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष जी आज स्थिति ऐसी है कि सभी जगह पर बेईमानी ही बेईमानी छा रही है। आज तो यहां ना इज्जत की चिन्ता, न फिकर कोई अपमान की और जय बोलो बेईमान की। यह तो गाना बन गया है तो उपाध्यक्ष महोदय बेईमानी की जय बोली जा रही है।

(घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने प्रस्ताव को वापिस ले रहे हैं कि प्रेश कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं इसे वापिस लेने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1973 पर जो संशोधन प्रस्ताव भार्गव ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं इसे वापिस लेता हूं। श्री हांडा साहब नहीं है।

एक माननीय सदस्य : प्रोक्सी नहीं चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो संशोधन श्री हांडा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री जी।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधि-मान्यकरण) विधेयक, 1973 का पारण

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, नगर आयोजन) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान नगरीय (सम्पत्ति अन्तरण पर निर्बन्धन) अध्यादेश, 1973 को अस्वीकार करने सम्बन्धी परिनियत संकल्प

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) अध्यादेश, 1973 अध्यादेश संख्या 5 सन् 1973 पर परिनियमत संकल्प पर विचार। श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 1973 को प्रख्यापित राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1973) को अस्वीकार करता है।" मेरा इसमें यह ध्येय नहीं है कि जो बिल पेश हुआ है उसे किसी प्रकार से डिले किया जाय या उस बिल को डेफर किया जाय। मान्यवर एक साल पहले हमने एक बिल इस सदन में पास किया था मगर अभी तक उस बिल पर ऐसेन्ट प्राप्त नहीं हो सकी है। मैं नहीं समझता कि इसके बिहाइन्ड में क्या रीजन्स हो सकते हैं। हमने यहां पर जो शहरी सम्पत्ति का सीलिंग बिल पास किया था मगर बड़े खेद की बात है कि मान्यवर पिछले तीन चार सालों से यह आवाज आ रही थी कि शहरी सम्पत्ति पर बिल आ रहा है तो लोगों को बहुत ही मौका मिल गया था जिससे कि वे अपनी सम्पत्ति को इधर उधर ट्रांसफर कर दें। कइयों ने अपनी सम्पत्ति को बेच दिया। इसका कारण सभी को मालूम ही होगा। मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसका मेन रीजन्स यह है कि जो इसमें लेक्यूनाज हैं उन्हें पहले ठीक किये जायं। और अगर मन्त्री महोदय सही माने में चाहते हैं कि यह बिल पास हो और बाद में इसको प्रोपर धे में लोगों का ला मिले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि जितने भी लोगों को आज तक एग्जम्पशन ग्रान्ट्स हुए हैं उन्हें कैन्सल किये जायं। और मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि पहले जितने भी मन्त्री लोग हैं और जिनके पास शहरी सम्पत्ति से ज्यादा जमीन है उन्हें राज्य सरकार को देने की घोषणा करें। मान्यवर मैं तो यह चाहता हूं कि चेरिटी बिग्न्स फ्रोम होम वाले प्रिन्सीपल को एप्लाई करे। और आपके जितने भी बड़े बड़े आफिशियल्स हैं जिनके पास भी जितनी शहरी सम्पत्ति से ज्यादा जमीन है उसे राज्य सरकार को देने की घोषणा करे और फिर आप उसे लेण्ड लेस लोगों में प्रोपरली बांट दें। मान्यवर मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि जितना भी ब्लैक मनी आज बड़े बड़े नेताओं के पास है और बड़े कैपीटलिस्टों के पास है तथा बड़े बड़े आफिशियल्स के पास हैं उन्हें भी अगर

(श्री केदारनाथ)

ये लोग बाहर निकाल दें तो मैं समझता हूं कि देश का बहुत बड़ा काम उससे हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक लोगों में इस प्रकार की पोलीटिकिल विल्ड पैदा नहीं हुई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सीलिंग बिल पास किया उसके अनुसार कलेक्टर्स को विल फाईनृड आउट कि कितनी जमीन शहरी सम्पत्ति में आयेगी यह भी पता नहीं है न कोई ऊपर के लेवल से प्रेशर है, न नीचे के लेवल से कोई प्रेशर विशेष काम कर रहा है। इसके अलावा मैं यह भी मानता हूं कि इसमें काफी दिक्कतें आयेंगी कुछ लोगों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट भी कर रक्खी हैं जिससे कि स्टे आ गया है तो वो भी एक कारण हो सकता है देरी का। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो इसके देरी का हो रहा है वह है कि अभी राज्य सरकार इसका सर्वे नहीं कर सकी है कितनी सम्पत्ति, कितनी प्रोपर्टी इससे हमें मिलेगी। और उस प्रोपर्टी को किस प्रकार डिस्ट्रिब्यूट किया जायेगा यह भी तय नहीं है। यह भी तय नहीं हुआ है कि वह प्रोपर्टी कहां कहां पर है। इसके अलावा आजकल कुछ जमीन जो कि एग्रीकल्चर लैण्ड थी जो कि शहरी सम्पत्ति की सीमा में आ सकती थी उसको लोगों ने हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाली है वहां पर बिना पैसे ही यानि मान्यवर बिना एग्रीकल्चरल लैण्ड को कनवर्जन कराये ही मकानात उस पर बना लिये हैं। आज हमारे जयपुर के पास ही बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं, और कुछ एग्रीकल्चरल लैण्ड जिस पर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज ने इल्लीगली लोगों को जमीन बेच दी है मैं समझता हूं कि वह करीब 3 या चार लाख बीघा जमीन होगी और आज उस जमीन की कीमत पहले जो कि एक हजार रुपये बीघा थी वह अब बढ़ कर सात से लेकर दस हजार रुपये बीघा हो गया न सरकार फायदा उठाये और न ही हाउसलेस लोग उठाये। केवल बीच के लोग राज्य सरकार की मार्फत कानून में लेकुनीज की मार्फत, ये इन्टरमीजियरीज उसका फायदा उठायें।

123 सोसाइटीज जयपुर में एक साल में रजिस्टर हुई हैं। इनमें कौन हैं? एक्स ऑफिसर्स, कान्ट्रैक्टर्स और बड़े बड़े लोग। ये ज्यादा इन्हीं की सोसाइटीज हैं। खेती बाड़ी की जमीनों को न कनवरशन कराया न ही अन्य चार्जेज दिये। स्टाम्प ड्यूटी की चोरी से कितना बड़ा सरकार को नुकसान हुआ। आप मान्यवर कहेंगे तीन महीने के बाद बिल आयेगा और तब मन्त्रीजी यह घोषणा कर देंगे कि इस प्रकार जो अवैध जमीनो पर कब्जे हुए हैं उनको रेगुलेराइज कर दिये जायं अगर ये सोसाइटीज शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं तो उसको मान्यता देने के लिये तैयार हूं। ऐसे लोगों ने कोई हाउसिंग सोसाइटी बनायी हो और उन्होंने खेती बाड़ी की जमीन लेकर मकान बना लिये हों तो मैं कहूंगा कि उनको रेगुलराइज कर दिया जाय। यदि छोटे मोटे तबके के लोगों के पास हो, चपरासी अहलकार इन लोगों के पास यह जमीन हो तो मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिव आफिशियल्स आदि हैं जिन्होने सोसाइटीज की मार्फत जमीनें लेकर मकानात खड़े कर दिये और इस प्रकार जो कार्यवाही की उनको एक्जम्पशन नहीं दिया जा सकता। यदि इस प्रकार आप एक्जम्पशन्स देने लगे तो फिर तो

(श्री केदारनाथ)

प्रोपर्टी पर सीलिंग लगाना ही बेकार है। आपको कोई भी प्रोपर्टी मिलने वाली नहीं है।

मेरा निवेदन है कि जो पीनल क्लाज आपने लगाया है, मेरा यह कहना है, अगर आप किसी की प्रोपटी एक्वायर करते हैं तो उसको आप मार्केट वेल्यू से मत करो। जमीन की कीमत किस प्रकार से बढ़ी उसको देखो। उस जमीन पर फैसेलिटिज आपने प्रोवाइड की, पानी आपने दिया, ड्रेनेज आपने दीं, बिजली आपने दीं सड़कें दीं, उसको टाउनशिप में आपने कन्वर्ट किया उस सब को देखते हुए उस जमीन की कीमत क्या हो गयी। आपने अधिक से अधिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जो कि प्रोवाइड की जा सकती है आप उसके उनको कन्स्ट्रक्शन की कीमत दे दीजिये। जब उसने मकान बनाया हो, उसके साथ डेप्रिशियेशन चार्जेज दे दो। एक दो परसेन्ट और दे दो। मार्केट वेल्यू किस पर ? यदि कम्पन्सेशन को इस प्रकार रखेंगे तो इस तरह की स्टेजेजपैदा होंगी।

एजुकेशन इन्स्टीचुशन और ट्रस्ट को छूट दे दी गई। टिनेन्ट्स हैं और उनको इजेक्टमेन्ट की छूट दे दी तो बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस ने एक प्रोग्राम बनाया था कि हम बिना मकान के नहीं रहेंगे देंगे लोगों को चाहे वह गांव हों या शहर। 74 तक लिमिट बांध दी थी उसके सारे के सारे परपज को डिफीट कर रहे हैं।

एक्स रूलर्स जागीरदार और जमींदार ट्रांसफर कर रहे हैं जमीनों को। उस वक्त पीनल क्लाज लग जाता तो काफी प्रोपर्टी बचत में होती। खेती बाड़ी की जमीनों को मान लेंगे और लीगल करार दे देंगे। कौनसा बोना फाइड ट्रान्सफर और कौनसा नहीं यह भी ऑफिसर्स के ऊपर है। वे लोग पैसा कमायेंगे और सारे के सारे को रेगुलेराइज कर देंगे। जमीन आपके पास बचेगी नहीं। उसमें यह भी कहा गया है कि कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है और दोनों ही सजा हो सकती हैं। ऐसे मामलों में कैद की सजा कम होती है। डिक्लेरेशन नहीं भरता है खेती बाड़ी के मामले में तो वहां कैद है। जिसके पास सरप्लस है वह डिक्लेरेशन फार्म नहीं भरता है वह गलती करता है। यह बड़ा ही ही नयस आफेन्स है।

यहां एक गोविन्द गृह निर्माण सोसाइटी है। आप ताज्जुब करेंगे कि इसके जो कर्णधार हैं वह टोप ओफिशियल हैं। उसने अपने नाम, अपनी वाइफ के नाम, अपने लड़के के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम इतनी जमीन ग्रेब की है कम से कम इसका अन्दाजा लगाऊं तो इसमें दो हजार वर्ग गज जमीन आती है जो इस परिवार के पास है। आपके कन्डक्ट रूल्स हैं। स्टाम्प ड्यूटी की चोरी और शहर में बड़ी भारी प्रोपर्टी हो, इस प्रकार लैंड ग्रेब कर लें और आप सोसाइटी की दृष्टि से छुट्टी दे दें। आप जांच करें कि ये सोसाइटीज किसकी हैं। केवल लेने देने के लिए बनी सोसाइटीज हैं उनको आपको मंजूर नहीं करना चाहिये। इनकी जांच के लिये आप एक विजिलेंस कमेटी बनाइये। हम आप से आशा भी करते हैं। उन लोगों को दें जिनको यह सरप्लस लैंड मिलने वाली हैं। उनके दिमाग में सोशियल आब्जेक्टिव पैदा करेंगे तब ही मोबिलाइज होंगे। यह प्रेशर पड़ा। कानून में अमेन्डमेन्ट आये। तब

(श्री केदारनाथ)

जाकर सही सोसाइटीज का निर्माण हो और मकान बनकर रेगुलेराइज हों। अगर आपने सारे इस प्रकार के ट्रान्सफर्स को वायड नहीं किया तो शहर में जमीन बचने वाली नहीं है।

गोविन्द गृह निर्माण सोसाइटी जिन्होंने बनाई हैं वे हैं आपके सरकारी अधिकारी पशु विभाग के श्री विमल चन्दजी जैन। किसी अफसर के खिलाफ मुझे बोलते हुए बहुत संकोच होता है। मिसाल इसलिए पेश कर रहा हूं कि एक की जांच करा लेंगे तो 75 परसेन्ट ऐसी सोसाइटीज बनी हुई हैं उनका भी आपको मालूम हो जायेगा कि किस प्रकार की सोसाइटीज हैं।

मास्टर प्लान के सम्बन्ध में 17 फरवरी को मीटिंग हुई। जो इस प्रकार के ट्रांसफर्स हुए हैं खेती बाड़ी की जमीनों का और मकान बन गये हैं उनके सम्बन्ध में राजस्थान के व्यापार उद्योग मण्डल और इस प्रकार की सोसायटीज के लोग आकर यह कहते हैं कि इनको रेगुलेराइज कर दो। भूमिका इसकी क्या है यह आपको ज्ञात हो जाय इसलिए इसको रेफर करना चाहता हूं। मैं आपके दिमाग में जानकारी के तौर पर ला देना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या बैक ग्राउण्ड है। ऐसे ट्रांसफर्स को यदि वेलिडेट कर देंगे, रेगुलेराइज कर देंगे तो इसका फायदा छोटे तबके के लोगों को, छोटे 2 कर्मचारी, शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, मिलने वाला नहीं है और केवल बड़े-बड़े लोगों को ही इसका फायदा मिलने वाला है। जो आज भी समाज में बड़े बने हुए हैं, जिनके पास खेती बाड़ी के फार्म्स हैं, पैलेशियल बिल्डिंग्स हैं और सब तरह से साधन सम्पन्न हैं।

श्रीमन् इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान नगरीय सम्पत्ति विधेयक यहां पर लाया गया है। मैं पहली बात तो यह कहूंगा कि जो राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश निकाला है उसमें केवल परिभाषा ही थी फिर यह जो बिल लाया गया है इस बिल में कई धारायें हैं और कई धाराओं में भी संशोधन लाया गया है तो अध्यादेश और बिल दोनों में बड़ा भारी अन्तर है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जब आपने पहले बिल पास करवाया था वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये गया और वे हस्ताक्षर करते तो वह कानून बनता तो उसमें आप यह क्यों नहीं लाये कि ट्रांसफर होने पर आप रोक लगाना चाहते हैं। सैन्टर कानून बनायेगा। राज्य ने कानून बनाया उसकी स्वीकृति नहीं दी गई। सैन्टर कानून बनायेगा और फिर राज्य बनायेगा। उसी बीच में नगरीय सम्पत्ति बिल लाने वाली बात पर मेरा यह आरोप है कि राजस्थान सरकार की कोई वाहवाही लूटने की नीति है कि यह सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर रोक लगा रही है इससे अधिक कुछ नहीं है। भारत के राष्ट्रपति से स्वीकृति क्यों नहीं मिली ? आपने इसके तहत रूल्स बनाये या नहीं बनाये और अब यह ला

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रहे हैं तो मेरा सीधा आरोप यह है कि ये लोग ट्रांसफर कर लें।

इसके बाद हम फिर यह कानून विधान सभा में लायेंगे। आपने जान बूझकर चहेते लोगों ने जब ट्रान्सफर कर लिया उसके बाद अध्यादेश लाये और अब कानून बनाने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा– रामबाग का निवेदन करूंगा– मुख्य मंत्री जी मौजूद, आप भी मौजूद। रामबाग की तीन लाख की जगह सौमानी जी को दे दी। वहां पर प्लाट काटे जायेंगे। लोगों को, अपने चहते लोगों को प्लाट अलाट होंगे। क्या मैं पूछना चाहता हूं उसका नक्शा बना लिया और क्या उसको स्वीकार कर दिया। आखिरकार इतने बड़े ट्रान्सफर हो जायं और सोमानी को प्लाट कट जाय और उसके बाद नक्शा पास हो जाय।

अब उसके बाद मैं आलोक उद्योग का जिक्र करूंगा। सेक्रेटेरियट के आसपास ए.जी. आफिस के पास, जयपुर स्टेट के जमाने में यह जमीन उनको कन्सेशनल रेट पर मिली थी और वह जमीन रेजीडेन्शियल पर-पज के लिये थी और आज वह कार्मसियल के काम में आ रही है। वहां पर प्लाट काट कर समृद्धिशाली लोग उसे बेचना चाहते हैं और आप उस पर कार्यवाही नहीं करते हैं। इस सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री से कांग्रेस के लोगों को चुनाव में पैसा मिलता है, चुनाव का चन्दा मिलता है इसलिये कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं वरना रेजीडेन्शियल परपज के लिए जमीन मिली हो और कार्मशियल परपज के काम में ले और प्लाट काटकर बेचें क्योंकि उसमें कांग्रेस के लोग और बड़े बड़े लोग शामिल हैं।

तीसरी बात जे. के. हाउस, बांगड़ हाउस वहां पर है, बिड़ला हाउस वहां पर है। एक पोद्दार पार्क, यह पार्क चार लाख में बिका है। मैं सरकार की घाटा पूर्ति करने को तैयार हूं। 10 लाख की जमीन चार लाख में बिकी। मैं 6 लाख का चन्दा सरकार को लाकर दूंगा। 10 लाख की जमीन की रजिस्ट्री 4 लाख में कर दी। यह रजिस्ट्रार महोदय ने कैसे कर दी। रजिस्ट्रेशन स्टाम्प एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रार मना कर सकता था। रजिस्ट्रार उन सब केसेज को कलक्टर के पास भेज सकता था, पर वह रजिस्ट्री हो रही है। मंत्री महोदय वह आली-शान बना हुआ मकान जहां सजावट के लिए पेड़ पौधों पर लाइट लगाई जाती है। मैं समझता हूं 50 लाख से कम की जमीन नहीं है और राजस्थान की सरकार अब ला रही है नगरीय सम्पत्ति कर। अपने चहते के काम हो जाने पर अब कानून लाया जा रहा है। रजिस्ट्री की चोरी हो रही है। और अन्त में अब अधिक समय न लेकर चार बज रहे हैं मुझे अपने कर्तव्य की ओर जाना है वरना मंत्री महोदय कह देंगे आप गये नहीं और भाषण देते रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान का एक लैटर है Secretary Urban Improvement Trust Jaipur ka No.F. 3 (90)/70 dt. 1-6-70 का लेटर है। इसमें लिखा है—reg. allotment of plots to Shri Ajit Bharadwaj.

....

I am directed to send herewith an application dated nil.

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
that Shri Ajit Bharadwaj has married to a scheduled caste. This case for allotment of plot is very desirable. It is therefore requested that the allotment of plot to Shri Ajit Bharadwaj may be considered very sympathetically and a suitable plot be allotted immediately.

Sd/- R. R. Garg.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : फिर तो ठीक है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह आप सुन तो लें पहले।

एक माननीय सदस्य : आप भी शादी कर लो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश प्रसारित किया कि डा. अजित भारद्वाज जिन्होंने अनुसूचित जाति की लड़की से विवाह किया, उसे शीघ्र भूमि आवंटित की जाय। माननीय मंत्री महोदय जरा गौर फरमायें राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य तत्कालीन अमृत लाल यादव ने तत्कालीन मुख्य मंत्री के पास से फाइल अपने पास मंगवा ली क्योंकि विभाग उनके पास था और उसे नष्ट-भ्रष्ट करवा दिया। अब डा. भारद्वाज ने अपनी पुत्री कुसुमलता के नाम से नगर विकास न्यास से वह जमीन ट्रांसफर करवा ली अब शादी किस किस के बीच में हुई, कौन लड़का था—आप जानें, कौन लड़की थी, आप जानें परन्तु तत्कालीन मुख्यमंत्री की सहमति नहीं हुई और उन्होंने नये मुख्यमंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) के समक्ष फाइल भेज दी उस समय अमृत लाल जी ने आफिशियली अपने पास मंगवा ली थी। अब यह फाइल कहां है, इसका कोई पता नहीं है।

इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव 10 नवम्बर, 1971 को माननीय सतीश चन्द्र जी तत्कालीन विधायक ने रखा था। अब वह फाइल कहां है। वर्तमान मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं वह लड़का कहां है और वह लड़की कहां है—किसके साथ शादी होगी और किसके साथ शादी नहीं होगी।

एक दूसरा उदाहरण पेश है न्यायालय एडीशनल मुन्सिफ कोर्ट नं. 2, जयपुर घनश्याम दास बनाम अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, केस नं. 317, 66 तारीख पेशी 10-3-72 यह राज्य सरकार और यू. आई. टी. के बीच में फैसला हुआ। आज यह देखने को नहीं मिला होगा जिससे झगड़ा है, उससे राजीनामा हो जाय। अलाटमेंट केवल व्यक्ति को मिलता है परन्तु यहां क्या हुआ है राजीनामा एक व्यक्ति से हुआ है और उसके सब भाई भतीजों को अलाटमेंट हो गया और इसमें लिखा है उपरोक्त मुकदमें में तारीख पेशी 10 मार्च सन् 1972 वास्ते शहादत वादी नियुक्त है। उपरोक्त मुकदमें में बाहमी फरीकेन तारीख 3-1-72 को राजीनामा निम्नलिखित शर्तों पर तय हुआ है... और मैं आपका समय अधिक न लेकर इसमें जो अन्य प्लाट है प्लाट नं. बी—172 घनश्याम दास पुत्र श्री पूरन मल बी—171 राम नारायण पुत्र श्री पूरनमल बी—170 श्री मोहनलाल पुत्र श्री पूरनमल प्लाट नं. 203 ताराचन्द पुत्र चन्दनमल बी—204 राजेशकुमार पुत्र

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
श्री मोहनलाल प्लाट नं. 291 श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री महावीर प्रसाद बी–292 श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी श्री प्रकाशचन्द्र उपरोक्त भू-खण्ड इन व्यक्तियों को अलाटमेंट हेतु कार्यालय को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

एक नया उदाहरण है मुकदमा चले एक से और राजीनामा हो चार से, आठ से। 15 व्यक्तियों को प्लाट मिल जाय और वह यह कहें यह मेरा भाई है, इसको प्लाट दे दो। यह मेरा भतीजा है इसको प्लाट दे दो और जो आपने आज्ञा दी है जो केस मैंने रखा है उसमें कई बातें रखी हैं। समय हो रहा है। आपकी कृपा से मुझे बोलने का मौका और मिलेगा और सब बातों को सप्रमाण रखूंगा। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा जनतन्त्र में जन प्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया है मैंने उस प्रस्ताव को वापिस नहीं लिया है। लेने की परम्परा है, वह एक बात है लेकिन मैं अच्छी बात कहूं यह भी नहीं मानना और जैसे निवेदन किया....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पाइन्ट ग्राफ इनफर्मेशन सर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं अगर आप आज्ञा दें तो। बाहर कुछ महिलायें बैठी हुई हैं जो कि हजारों की तादाद में महिलाओं के हस्ताक्षर लाई हैं यह सारा मंहगाई और राशन का नहीं मिलना आदि समस्याओं से संबंधित है। इस सम्बन्ध में वह सुबह से ही भूखी सदन के बाहर बैठी हुई हैं। माननीय मंत्री महोदय जो कि खाद्य विभाग से संबंधित हैं वह बिल को पायलेट भी कर रहे हैं या तो महिलाओं को यहां बुला लिया जाये या फिर मंत्री महोदय श्री मूलचन्द जी जो कि एक भद्र पुरुष हैं वह वहां पर पधारें और बाहर जाकर उनकी बातें सुन लें। दोनों में से किसी से प्रार्थना करूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री हांडा जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बिल्कुल ठीक है। मंहगाई और वितरण व्यवस्था की ऐसी हालत है कि आज राशन कार्ड बनने में कितनी दिक्कतें आती हैं राशन कार्ड बनवाने में 2 रुपये का कागज, 4 आने का फार्म, 1½ रुपये का एफेडेविट, 1 रुपये हस्ताक्षर के इस तरह से करीब 8 रुपये खर्च करने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बनते हैं। लड़के की शादी हो जाये। बनारस। तो बनारस से लड़की आई तो वहां उसका नाम कटवाकर लायें। इसलिए मैं मेरे विचार प्रकट करना बन्द करता हूं और हांडा जी ने जो बात कही है उसकी पुष्टि करता हुआ महिलाओं को बुलाकर उनसे बात की जाये और मंहगाई और वितरण व्यवस्था सरकार ठीक नहीं कर सकती उसके बारे में मंत्री महोदय को अपना उत्तर देना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सन्दर्भ प्रस्तुत किये हैं कि इस आर्डीनेन्स को अस्वीकार किया जाये, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने तर्क को प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि राज्य सरकार में पालिटिकल विल का अभाव है। इसलिए इस प्रकार के सोशियेइकानामिक रिफार्म्स के जितने भी कानून सदन में लाये गये हैं या सदन में पेश किये

(श्री परसराम मदेरणा)

या कानून बने उनका क्रियान्वयन इस पालिटिकल विल के अभाव में ठीक तरह से नहीं किया गया है इसलिए उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है।

मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करूं कि अर्बन प्रापर्टी की सीलिंग लगाने का जो विधेयक इस सदन ने पास किया था वह प्रेसीडेन्ट की असेन्ट के लिए अभी भी वहां पेन्डिग है और प्रेसीडेन्ट ने जब उस पर असेन्ट नहीं दी है तो माननीय उपाध्यक्ष जी उसके कई कारण हो सकते हैं। किसी विल पर असेन्ट लेने के लिए भारत के राष्ट्रपति से पूछा नहीं जा सकता कि आप हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में यूनीफार्म कोई कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत हो गयी है और वह इस सम्बन्ध में विचार कर रही है। इसी लिए अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग लगाने के जो भी कानून इस देश की अन्य विधान सभाओं ने पास किये उन पर किसी पर भी राष्ट्रपति महोदय ने अपनी असेन्ट नहीं दी है। इसलिये राजस्थान के विधेयक पर भी असेन्ट नहीं दी गयी जब उस पर असेन्ट नहीं दी गयी है और नहीं देने की वजह से वह केवल एक विल का रूप है। अब अर्बन प्रापर्टी का स्पेकुलेशन हो करके ट्रान्सफर्स हो रहे हैं इसलिए राज्य सरकार ने उचित समझा कि भारत सरकार से अनुमति लेकर इस प्रकार का कानून बनाया जाये जिससे प्रापर्टी की ट्रान्सफर पर पावन्दी लगे इसलिए हमने यह आर्डिनेन्स निकाला है और जैसा कि माननीय सदस्य हवा महल से आने वालों ने पिछले दरवाजे से चोरी वाली बात फिर कह दी तो पिछले दरवाजे की चोरी का तो प्रश्न नहीं है। यह आर्डिनेन्स जो लाया गया है इसको प्रोमलगेट राज्यपाल महोदय ने 13 फरवरी को किया है।

मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ट्रान्सफर्स हो रहे हैं, मैं यह भी जानता था कि सदन मीट हो रहा है तो गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए लेकिन क्योंकि प्रोग्रेसिव स्टेप तो नहीं मानता लेकिन वेस्टेड इन्टरेस्ट से और एक दिन की देरी से फायदा उठाने की आपार्चुनिटी मिलती है वह चैंक करने के लिए यह आर्डिनेन्स लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि प्रापर्टी के ट्रान्सफर्स के ऊपर पाबन्दी भी हिन्दुस्तान के अन्दर केवल जैसा कि मुझे 4 के लिए तो पूरी जानकारी है और हमारा मिलाकर 5 राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में ऐसा कानून नहीं है हमने यह कानून पहले भी बनाया था लेकिन भारत सरकार से प्रायर इन्सट्रक्शन्स प्राप्त करना जरूरी था और इसलिए लेना जरूरी था कि इस सम्बन्ध में सैन्टर का जो इन्वेस्टमेन्ट है उस सम्बन्ध में भी यहां हम विचार करने जा रहे हैं। इस लिए इसके अन्दर प्रायर इन्सट्रक्शन्स लेने के वाद ही उन्होंने कुछ क्लेरीफिकेशन्स मांगे थे हमने सुझाव दिये थे उनमें एक सुझाव यह भी था कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को आप एक्जम्पशन दें और हमने जो कोआपरेटिव सोसाइटीज को एग्जम्पशन दिया है मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूं कि हमने ओनरशिप के बारे में कोई नहीं किया और जो मार्टगेज करते हैं और लोन देते हैं तो उसको मार्टगेज करने के लिए एग्जम्पशन दिया

(श्री परसराम मदेरणा)

है। मैंने काफी विचार विमर्श के बाद यह प्रावधान रखा है। जिन सोसाइटीज के बारे में आप कह रहे थे उनके बारे में मुझे भी जानकारी है इसलिए यह कहना कि पालिटिकल विल के अभाव में प्रोग्रेसिव मेजर्स को जल्दी नहीं ले सके ऐसी बात है नहीं बल्कि हमने लिया है। हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में जो विधेयक लाया गया था वह पूरा का पूरा कनेक्टमेन्ट था और हम जो लाये हैं इसका लिमिटेड परपज है और एक स्पेसिफिक लिमिट रखी है कि 3 लाख की प्रापर्टी से ज्यादा की प्रापर्टी को कोई बेचेगा तो इस तारीख के बेचने के बाद उसको पनिशमेन्ट दिया जायेगा, उसको पीनल आफेन्स समझा जायेगा और इस प्रकार के ट्रान्सफर्स नल एण्ड वायड होंगे। हम यह मेन एक्ट के अनुरूप ही प्रोवीजन लाये हैं।

कोई पालिटिकल विल का अभाव नहीं है और पालिटिकल विल का इसलिए अभाव नहीं है कि जिस समय यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था 26 मई, 1972 को उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि राज्य सरकार का जो घोषित उद्देश्य है और जिस उद्देश्य के अनुसार जो शहरी सम्पत्ति है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रि-ब्यूशन हो और कन्सन्ट्रेशन आफ वैल्थ कुछ लोगों के हाथों में नहीं रहे इसलिए अर्बन प्रापर्टी की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जैसे कि कृषि पर निर्धारित की गई है और इसलिए वह बिल तो अभी तक पड़ा है। उस बिल के आने के बाद में या दूसरे अमेंडमेन्ट के फार्म में आने के बाद कम्पन्सेशन का प्रश्न आ जायेगा तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं कम्पन्सेशन किसी को भी और कहीं नहीं देने जा रहा हूं, मैं तो ट्रान्सफर्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कम्पन्सेशन मिल जायेगा तो कम्पन्सेशन का प्रावधान इस आर्डिनेन्स में या बिल के प्रावीजन में नहीं है हम केवल ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं।

गोविन्दगढ़ सहकारी समिति के सम्बन्ध में बात कही गई, इसके फैक्ट्स मुझे मालूम नहीं हैं और वास्तव में देखा जाय तो समिति क्या है, उसके कौन मेम्बर हैं, क्या करते हैं, इसका सम्बन्ध कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से है। एग्रीकल्चर लैंड को रेजीडेंशियल परप-जेज के लिए काम में ले सकते हैं या नहीं, क्या इल्लीगल है, उसकी कार्यवाही करने का प्रश्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। तो मैं जांच के आदेश दे रहा हूं कि कोई भी जायदाद या जमीन परिवार के लोगों के नाम से खरीदी है या नहीं। कोई भी राज्या-धिकारी इस प्रकार खरीद फरोख्त करता है तो उसके सर्विस रूल्स हैं और उसके प्रावधानों के तहत उसको राज्य सरकार को सूचना करनी चाहिए। सूचना की है या नहीं, मैं इस प्रकार के जांच के आदेश दे रहा हूं।

यहां पर हवामहल से आने वाले मान-नीय सदस्य·······

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : हवामहल वाले तो हवा हो गए।

श्री परसराम मदेरणा : राम बाग की ज़मीन के सम्बन्ध में कहा गया कि रामबाग

(श्री परसराम मदेरणा)

की जो जमीन है उसका कोई सब-डिविजन आफ प्लाट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है, यह सत्य नहीं है। यह बात सही है कि इस प्रापर्टी का ट्रांसफर हुआ है और इसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान के बाहर हुआ है? ऐसी सूचना राजस्थान सरकार को है। राज्य सरकार ने सब डिविजन आफ प्लाट्स की अनुमति नहीं दी है और सब डिविजन की अनुमति हुए बिना कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए जो कुछ तारीख 16 अगस्त, 1971 के बाद ट्रांसफर हुए हैं वे सब वोईड हैं। वे सब वोईड हैं जो आर्डिनेंस लाए हैं उसके तहत इस एक्ट के बनने के बाद अब भारत सरकार को प्रायर इंस्ट्रक्शन के बाद में हम इसको लाए हैं इसलिए कोई प्रश्न नहीं रहता कि यह कानून नहीं बने और इसके बाद जो कुछ भी ट्रांसफर हुए होंगे वे सब पैनल आफेंस में आयेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जो प्लाट की मंत्री वाली बात कही है वह निराधार है। अभी उस उद्योग को सब डिविजन आफ प्लाट की अनुमति नहीं दी है।

यह बात जरूर है कि बांगड का कुछ जो भी सब डिविजन आफ प्लाट्स हुआ है वह बहुत पहले हो गया है। यह कार्यवाही 1961 से पहले से चल रही थी। मैंने इसकी जानकारी की तो मेरे समक्ष यह बात ध्यान में आई कि यह सब डिविजन बहुत पहले हो गया था उस डेट पर जब कि मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम अरबन प्रोपर्टी की सीलिंग लगाना चाहते हैं, उसके पहले की बात है।

बिड़ला हाउस और पोद्दार हाउस के बारे में कहा गया कि चार लाख में बिका है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार कोई सब डिविजन आफ प्लाट चाहे कितना भी पूंजीपति, मल्टी मिलियोनर हो, पिछले साल भर में कोई प्लाट के सब डिविजन की अनुमति नहीं दी है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो बिल है इसका लिमिटेड परपरज है और लिमिटेड परपज के लिए ही यह आर्डिनेंस लाया गया है। यह केवल उस बिल में जो सुनिश्चित उद्देश्य है, प्रापर्टी का कण्ट्रोल और प्रापर्टी का कंस्ट्रक्शन, कण्ट्रोल राज्य के हाथ में रहे इस उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ उसका उपयोग सामूहिक हित में, पब्लिक परपज में हो यह एश्योर करने के लिए और इससे जो कुछ भी सम्पत्ति प्राप्त हो वह सम्पत्ति गृहहीन निर्धन व्यक्तियों जिनके पास प्लाट नहीं है या जिनके पास आवास के साधन नहीं हैं उनके काम में आवे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब तक उस बिल पर असेंट नहीं मिल जाती है, वह कानून का स्वरूप नहीं ले लेता है तब तक उसके प्रोविजन्स को डिफीट करने से बचाने के लिए यह सब कार्यवाही की गई है। इसका लिमिटेड परपज है और मैं समझता हूं कि प्रेसीडेंशल असेंट के नहीं मिलने के वांटिंग में राज्य सरकार के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि इस प्रकार का आर्डिनेंस निकालती।

इसलिए गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य और हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना संकल्प वापिस ले लें।

श्री **केदारनाथ** : आर्डिनेंस लाने के जो कारण दिए गए हैं और माननीय मंत्रीजी ने जो एश्योरेंस दिए हैं मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय उसको पूरा करेंगे, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य प्रो. केदार को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री **परसराम मदेरणा** : एक बात हवा-महल से आने वाले माननीय सदस्य ने किसी फाइल के गायब होने की कही थी। फाइल कहीं गायब नहीं हुई है वह शायद मेरे पास है।

श्री केदारनाथ : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्य नहीं हैं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव के अनुपस्थित रहने के कारण)

(विराम)

उचित यही होगा कि प्रश्न रखा जाय।

प्रश्न यह है कि :

यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 1973 को प्रख्यापित राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1973) को अस्वीकार करता है।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक 1973 का विचारार्थ प्रस्तुतीकरण

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1973 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री लक्ष्मण सिंह : जनमत जानने हेतु प्रस्ताव।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव जो जनमत जानने हेतु सदन के समक्ष रखा गया है उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि मंत्री महोदय ने इस अध्यादेश को लाने के सम्बन्ध में कारणों का विवरण दिया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो बहस हुई उसके दौरान मुख्य मंत्रीजी ने भी इसी बात को दोहराया कि अध्यादेश लाने का मूल कारण इन्तकाल, ट्रांसफर्स को रोकना है। मंत्री महोदय ने जो अभी कारण बताये उससे मुझे संतोष नहीं हुआ। मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा कि जब 13 फरवरी को अध्यादेश लाया गया और 6 फरवरी को सदन यहां पर बुलाया गया

(श्री लक्ष्मणसिंह)

तो मंत्री महोदय ने एक दिन की भी देरी होना अनुचित बताया इसके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है । लेकिन साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि गाढ़ी निद्रा के अन्दर इतने लम्बे अर्से तक क्यों सोये हुए थे ? आखिरकार अगस्त 1971 से आपने इस बिल को रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट दिया है तो मेरी समझ में नहीं आता, जब आप जान रहे थे और यह भी जान रहे थे, आपको आशंका थी, तो यह तो एक कामनसेंस की बात थी कि इस सम्बन्ध में ट्रान्सफर होंगे, ऐसी लूप होल को रोकना सरकार का कर्तव्य था तो आप को सन् 72 के अन्दर जब बजट का अधिवेशन हुआ उस समय आपने इस विधेयक को असेम्बली में लाने के पहले अध्यादेश निकाला और अब उस अध्यादेश के वैधकरण के लिये, इस बिल को पारित कराने के लिये इस सदन के अन्दर रखना और उसके सम्बन्ध में समालोचना सुनना और उसके साथ नेक नीयती सदन के अन्दर बताना कि सरकार कितनी ईमानदार है इन ट्रान्सफर को रोकने के लिये यह जो आपकी व्यवस्था है यह सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं है । इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कह दिया कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के अभाव में इन ट्रान्सफर को रोकना आवश्यक है, परमावश्यक था । मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार का यह सब मेरे ख्याल से एक नकली जामा है जो कि उसने पहिन रखा है । यह नकली जामा प्रोग्रेसिवनेस का, प्रगतिशीलता का है, यह मुझे आशंका होती है । क्या यह सरकार उस दल की नहीं है जिस दल की सरकार केन्द्रीय सरकार की है । क्या इस सरकार के बीच में और केन्द्रीय सरकार के बीच में ऐसी परिस्थिति के अन्दर सामंजस्य होना परमावश्यक नहीं है ? अगर सामंजस्य नहीं है तो इसका कोई न कोई ध्येय होना चाहिये और मैं यह आरोप लगाऊंगा कि आप यह समझते हैं कि हम एक्स्ट्रा प्रोग्रेसिव हैं कि आपने तीन लाख की सीमा निर्धारित की है और आप शनैः शनैः इस सीमा को ढ़ाई लाख, दो लाख तक घटा कर एक लाख की सीमा पर ले आवेंगे । जो भी हो वह केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ सामंजस्य के साथ लावें, यह एक हद तक समझ सकता हूं । अभी मेरे पूर्व वक्ता ने आपको कहा था कि आखिरकार इस विधेयक को पारित करने के पश्चात् कितने लाख, कितने करोड़ की सम्पत्ति, कितने मकानात आपको मिलेंगे इसका भी कोई अनुमान आपके पास में नहीं है । अनुमान तो यह है, हम सब जानते हैं कि 25 वर्ष के शासन के पश्चात् दिन-बदिन गरीबों की तादाद बढ़ रही है । बड़े बड़े शहरों के अन्दर हम क्या नजारा देख रहे हैं । हजारों आदमी बेघरबार, पटरियों के ऊपर क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बारिश के अन्दर पड़े हुए हैं । यह अमानवीय दृश्य एक तरफ हम देख रहे हैं । इसके उपरान्त यहां पर, सदन के बाहर महिलायें भूखी बैठी हुई हैं धरना देकर बैठी हुई हैं और यह कह रही हैं कि अनाज खाने को नहीं मिल रहा है । तो, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अदब के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सरकार गरीबों को खाने के लिए नहीं दे सकती है, जो सरकार गरीबों को मकान तक नहीं दे सकी, वही सरकार गरीबी हटाने का नारा और समाजवाद लाने का नारा लगाती है, अगर उसका ढ़िंढोरा पीटती है तो वह एक ।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

द्योतक मात्र है। मैं समझता हूं कि यह अवास्तविक है और यह सिर्फ ढोंग के लिए है। अगर यह कहा जाये कि देश हित के लिए त्याग किया जाये तो मैं समझता हूं कि बड़े से बड़ा त्याग भी करना परमावश्यक है लेकिन इसके विपरीत मैं क्या देखता हूं। मैं यह देखता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन एक बात दुःख के साथ कहनी पड़ती है। मैं यह देखता हूं कि मंत्रिगण किस तरह से रहते हैं। राजस्थान के मंत्रियों के बारे में मैं नहीं कहूंगा लेकिन केन्द्र के मन्त्री, एक मंत्री महोदय जिन्होंने मोनोपोली ले रखी है, 25, 27 साल से लगातार मंत्री बने हुए हैं जिन्होंने दस-दस साल तक टैक्स नहीं जमा कराया और जिनके सम्बन्ध में यह कहा गया, सरकारी पक्ष की ओर से यह कहा, अदा करना भूल गये। यहां पर कन्सन्ट्रेशन आफ वैल्थ का नारा लगाया जाता है। कन्सन्ट्रेशन आफ वैल्थ दूसरों के लिए वर्जित है लेकिन कन्सन्ट्रेशन आफ वैल्थ बड़े-बड़े कांग्रेस के नेताओं, दिग्गजों के लिए वर्जित नहीं है। उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सरकार का दावा है कि हम प्रगतिशील हैं, तो मैं यह कहूंगा कि यह प्रगतिशीलता की सीमा आपने बहुत रखी है जिस तरह से शेर के ऊपर भेड़ की खाल हो और अन्दर से वह शेर हो। तो आप जो कुछ भी प्रगतिशील हों और दूसरों को चाहे प्रतिक्रियावादी कहें लेकिन प्रतिक्रियावादी, मेरे ख्याल से, आप में भी अनेकों अनेक हैं और खास कर वे लोग जिन्होंने कि एक तरह से मोनोपोली बना रखी है 15 वर्ष से, 17 वर्ष से, 18 वर्ष से लगातार मंत्री रहने की, जो खाना बिल्कुल शानो शौकत से वातानुकूलित वातावरण के अन्दर खाते हैं, जो दिन और रात 70 हजार और एक लाख की मोटरों के अन्दर दौरा करते हैं उनके सामने तो भूतपूर्व राजा महाराजा क्या हैं। ये मंत्री तो उनसे भी बढ़ चढ़कर हैं और राजा महाराजाधिराज हो गये हैं। ऐसी स्थिति में क्या समाजवाद आयेगा ? यह तो एक मखौल है। यह एक थोथा नारा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन के अन्दर जो चर्चा हुई और उसमें जो यू. आई. टी. के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही गई हैं, अनियमितताओं के बारे में कहा गया है और मंत्री महोदय यहां पर ट्रांसफर को रोकने के लिये इस विधेयक को लाये हैं। इसका मैं स्वागत करता हूं। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह ठीक है। परन्तु यू. आई. टी. और सीलिंग कानून के सम्बन्ध में आपके आचरण और उसकी पृष्ठभूमि को देखा जाये तो आप इन सबको बाद में रेगुलराइज करेंगे। 90 परसेन्ट केसेज में आप रेगुलराइजेशन करते हैं और यहां पर कोई इस कटु सत्य को कहता है तो आपको बुरा लगता है। इसको आप पसन्द नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं। what progressive ? My foot ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है सिद्धान्ततः मैं यह मानूंगा कि कोई भी कानून जिसको आप रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं वह जनता के प्रति गद्दारी है। इट इज ए बेड पीस आफ लेजिस्लेशन। वह कानून अच्छा कानून नहीं है। अच्छे कानून और प्रगतिशील कानून की दृष्टि

(श्री लक्ष्मणसिंह)

में वह नहीं आता है। रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देकर जो प्रभावित लोग हैं उनको शिकंजे के अन्दर बांधा गया है। यह डेमोक्रेसी नहीं है। यह टेरेनी है। यह अत्याचार है। यह इन्साफ नहीं है। यह वाहिशाना तरीका है। यह मुंसिफाना तरीका नहीं है। और इसके अन्दर भी आप वैधकरण करेंगे। रेगुलराइजेशन करेंगे। और उस रेगुलराइजेशन के अन्दर भी आपाधापी होगी। उसके अन्दर पता नहीं क्या-क्या होगा। और आप इसको प्रगतिशील बनाते हैं। इस प्रकार आप लोगों को जान बूझकर झूठ बोलाना चाहते हैं। उनको झख मारना सिखा रहे हैं। आपको भी झूठ बोल कर झख मार कर इसका वैधकरण करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मूल्यांकन के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपका मापदण्ड क्या है। अगर किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन करेंगे तो वह बाजार भाव से करेंगे और अवाप्ति करेंगे तो मनमाने तरीके से। मैं समझता हूँ कि आप यह नहीं कर सकते हैं। आप इसमें बाजारू भाव का नाम क्यों लावें मूल्यांकन के वक्त बाजार भाव का नाम आप न लें। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप कोई कम्पन्सेशन नहीं देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहना क्या और करना क्या? और यह कृषि भूमि के सम्बन्ध में दो बातें। अगर अरबन एग्रीकल्चर लैण्ड और जो शहरी कृषि भूमि है...तो उसके ऊपर यह व्यवस्था और जो कृषि भूमि अरबन की है उसके ऊपर आपकी दूसरी व्यवस्था है। यह मेरे ख्याल में बैड पीस आफ लेजिस्लेशन है। यह अच्छा कानून नहीं है।

दो कानून आप विभिन्न तरीके के बनाते हैं एक ही तरीके की सम्पत्ति के ऊपर उसको लागू करते हैं तो इस रीति-नीति का मैं समर्थन नहीं कर सकता।

तो मैं विशेष चर्चा नहीं करते हुए सदन का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि यह विधेयक जो आपका है यह एक फालतू और निकम्मा सा विधेयक है और अनावश्यक विधेयक है और इससे कोई मकसद पूरा नहीं होता है। इससे लोगों का भी मकसद पूरा नहीं हो सकता है और सरकार का भी हित नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि कितने मकान आप अवाप्त करेंगे। मंत्री महोदय ने, उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह कहा कि गरीबों में वितरण करने के लिए यह मकान अवाप्त करेंगे तो कितने गरीबों को कितने मकान मिलेंगे? वह अवाप्त किये हुये मकान आपके चमचों और खुशामदखोरों को मिलेंगे और उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर ली है। आपने बड़ी-बड़ी कंपनियों हैं उनको कम्पनी लॉ के अन्दर एक्जेम्पशन दे दिया है और आप इस कानून को प्रगतिशील रूप में लाये हैं तो कितने बेघरबार वालों को आपने घरबार दे दिया है?....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चमचों के साथ में कढ़ाई, पतीली और कटोरियां भी हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : होंगी ही।

श्री लक्ष्मणसिंह : तो मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन प्रस्ताव को लाने में मुख्य लक्ष्य इस सदन के समक्ष उसकी चर्चा उठाना था। मैं इस विधेयक का सैद्धान्तिक रूप से विरोध तो नहीं करता, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि यह विधेयक यूजलेस है और यह विधेयक

(श्री लक्ष्मणसिंह)

जिस लक्ष्य से लाया गया है उसकी पूर्ति यह अभी नहीं करेगा। इसलिए चूंकि समालोचना के रूप में निवेदन करना था वह प्रस्तुत करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हमारे सामने आज प्रस्तुत किया गया है वह एक इन्टेरिम बिल है और एक्ट जो अब आने वाला है उसकी रूपरेखा क्या होगी पहले जो एक्ट हमने पास किया उस एक्ट को अभी तक एसेन्ट नहीं मिली और अब उस एक्ट के मातहत जो कदम उठाये जा सकते थे वह उठाये नहीं गये, इसलिए हमको यह बिल लाना पड़ा।

इस बिल के बारे में हमारी पार्टी की जो मान्यता पहले थी वही मान्यता आज भी है। हमारा कहना यह है कि जो सीमा निर्धारित की गई है तीन लाख की वह 3 लाख की सीमा जो है वह हकीकत में बहुत अधिक है और ऐसे बहुत कम मकानात होंगे कि जो इस सीमा के अन्तर्गत आते हों। तो ऐसा बिल लाने से कवर होने वाले, जिस बिल की सीमा में आने वाले बहुत मकानात हों कोई मकसद कोई उद्देश्य उससे पूरा नहीं हो सकता है। हमारी मान्यता यह है कि एक यूनिट के जो फेमिली की मानी गई है 5 आदमियों की वह 5 आदमियों की ही मानकर चला जाता है लेकिन असल में चीज यह है कि किसी परिवार में 5 व्यक्तियों से कम आदमी हों, एक-दो आदमी हों उन एक-दो आदमियों के लिए वही सीमा हो जो कि सीमा 5 आदमियों की यूनिट के लिये हो तो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। हमारा सुझाव यह है कि यह जो सीमा आपने निर्धारित की है इसको आप स्लेब सिस्टम के आधार पर निर्धारित करें और और जहां 5 आदमियों से कम का यूनिट हो वहां पर अधिक से अधिक डेढ़ लाख की सीमा होनी चाहिये। और 5 आदमियों के ऊपर जो है उसमें या 5 आदमियों की हो उसके लिए 2 लाख रुपये से ज्यादा की सीमा निर्धारित नहीं करना चाहिए हालांकि यह सीमा भी, मेरी मान्यता यह है कि बहुत काफी है। यह कहा जा सकता है कि यह एक्ट पास हो चुका है इसलिए इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन मैं यह गुजारिश करता हूं कि आप जो अध्यादेश लाये हैं अगर उस अध्यादेश में इस किस्म की गुंजायश रखते हैं कि अगर आप किसी वक्त इस बात को महसूस करें कि यह जो हमने सीमा निर्धारित की है वह बहुत ज्यादा है तो फिर आपको पछताना न पड़े कि सीमा ज्यादा निर्धारित कर दी तो एमेंडिंग बिल लायेंगे तो कोई उससे फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

यह गुजारिश है आपसे और मेरा यह सुझाव है कि जो चीज हम आज रख रहे हैं उसमें इस किस्म की गुन्जायश हमें रखना चाहिए कि आगे हम कोई परिवर्तन करें, कोई मूल्य में परिवर्तन करें तो उसमें वह कर सकें।

इसके अतिरिक्त जो चीजें, जो ट्रान्सफर्स हुए हैं उनके बारे में कोई तफसील, ब्योरा देने की आवश्यकता नहीं है, मगर मुझको यह जानकारी हुई है कि डेढ़ करोड़ की जमीन जोधपुर के महाराजा ने इस जमाने में मुन्तकिल की है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है कि यह जो जमीन बेची है डेढ़ करोड़ की वह एग्रीकलचर लैण्ड है और उसको आबादी लैण्ड कहकर 20-20, 25-25 लाख के बेनामे किये हैं और वे बेनामे मौजूद हैं। अब मैंने जो यह तजवीज आपके सामने रखी है और सर्क्यूलेट करने की बात कही है उसका उद्देश्य यह है इस बिल को टालना नहीं है, बल्कि यह ध्यान आकर्षित करना है कि जो डेढ़-दो करोड़ की जमीन महाराजा जयपुर ने मुन्तकिल की है, जोधपुर महाराजा ने मुन्तकिल की है और जिसके पास में आ रही है वह उसको बराबर मुन्तकिल कर रहे हैं, और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज तक उस मुन्तकिली के खिलाफ, उस तब्दीली के खिलाफ कोई कदम राज्य सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। इसने बड़े पैमाने के अन्दर इस कानून को समाप्त करने की कोशिश की गई है ऐसे लोगों द्वारा जो कि शक्ति में हैं, जिन लोगों के पास दौलत है, वह आज करोड़ों रुपया लोगों से फ्रॉड करके ले रहे हैं। मैं यह चाहूंगा कि इस किस्म का बिल पेश होना चाहिए कि जिन लोगों ने इस तरह के ट्रान्सफर किये हैं उनको राज्य सरकार इस बात के लिए मजबूर करे कि जो छोटे मोटे लोगों से बेजा तरीकों से उन्होंने पैसा हासिल किया है वह उनको लौटायें ताकि जिन गरीब लोगों ने जमीनें खरीदी हैं उनको नुकसान न हो। यहां पर जयपुर के महाराजा ने छोटे छोटे प्लाट कहीं आतिश में, कहीं ताल कटोरे में, कहीं रामबाग के गिर्द में बेच दिये हैं 10-10, 5-5 हजार में और वह मामूली हैसियत के लोग हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि इस किस्म का अध्यादेश, इस किस्म का कानून होना चाहिए कि जो इन राजा-महाराजाओं ने और जागीरदारों ने धोखा देकर जमीनें बेची हैं तो जिन लोगों ने ली हैं उनको नुकसान न हो और उनका पैसा उनको वापिस प्राप्त हो जाय इसलिए कि बहुत से तो ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि मुकदमा चलाकर कानून के खिलाफ मुन्तकिल की हुई जमीनों का पैसा वसूल कर सकें। तो यह चीज भी आपको देखनी होगी।

उसके बाद, यह जो आप अध्यादेश लाये हैं, जो उसमें आपने दफा 4 में एक्जेम्पशन रखे हैं, उसके बारे में मुझे कुछ आप से निवेदन करना है। मैं यह सुझाव रखूंगा कि आपने जो रिलीजियस ट्रस्ट और चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर जो चीज रखी है, उसके बारे में अर्ज करूंगा कि मैं कोई मजहब के खिलाफ जिहाद करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरी मान्यता है कि मजहब के नाम पर चेरिटी के नाम पर बहुत बड़ा सम्पत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, और उसका शोषण किया जा रहा है जिसको

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
किसी तरीके से जायज करार नहीं दिया जा सकता।

मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा, ये चेरिटेबिल ट्रस्ट जो इबादत के काम नहीं आती हैं, उनको चेरिटिबल ट्रस्ट से लेकर ऐसा कर दिया जाये कि गरीब आदमी हैं, वह गुजर बसर करते रहें। नहीं तो यह है कि एक महन्त के हाथ में या एक पुजारी के हाथ में वह होते हैं। बड़ी बड़ी जमीन हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है। यों ही पड़ी हुई हैं। आज बहुत सारी जगह हैं, जहां जयपुर महाराजा की प्राइवेट प्रापर्टी के बोर्ड लगे हुए देखेंगे। कई मन्दिर हैं जिनका दुरुपयोग होता है। जिन मन्दिरों में इबादत होती है उनको तो रहने देना चाहिये। लेकिन जो बड़े बड़े मकानात हैं, बड़े बड़े मन्दिर हैं, जिनका दुरुपयोग होता है। या खाली पड़े हुए हैं, जिनका फायदा एक दो आदमी ही उठा रहे हैं, उनका जो एग्जम्पशन है, उससे उनका दुरुपयोग हो रहा है। अगर आज सरकार इस मामले में नहीं सोचती है तो कल सरकार को सोचना होगा। यहां पर ऐसे स्कूलों की जमीनें पड़ी हुई हैं। जो स्कूलों के नाम पर, जो मजदूरों के नाम पर ऐसी जमीनें हासिल की गई हैं। चाहे वह मन्दिरों के जरिये से, मस्जिद के जरिये से हासिल की गई हो तो इस आर्डिनेन्स के जरिये से तब्दीली लाई जाये तो मैं समझता हूं कि यह एक्जम्पशन आप हटा दें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करूंगा कि 5 मिनट और दे दिये जायें। छोटा सा बिल है।

जो एज्युकेशन इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनके लिए यह कहा गया है कि वह रजिस्टर्ड हैं। ये ऐसी बातें हैं, आज स्कूलों के नाम से ऐसी जमीनें पड़ी हुई हैं, तीन साल से जिनका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। छोटे छोटे स्कूल, कोई कहता है, हम शिड्यूल्ड कास्ट की सेवा कर रहे हैं। उनकी खिदमत कर रहे हैं। वह जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने स्कूल को रजिस्टर्ड करा लेते हैं कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। तो यह नहीं होना चाहिये। जो इन्स्टीट्यूट गवर्नमेण्ट चला रही है, वह चल रहे हैं। वहां दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आपने जो एक्जम्पशन छोड़ा है। कहीं लाखों रुपयों की प्रापर्टी है। वहां पर इसका दुरुपयोग होता रहेगा। इसके अतिरिक्त आपने जो को-आपरेटिव सोसाइटीज को मुस्तस्ना किया है, मैं यह नहीं कहता हूं कि हर एक सोसाइटी को ले लीजिये। मैं कहना चाहूंगा कि अगर वह टीचर्स की सोसाइटी है, या मध्यम वर्गीय लोगों की सोसाइटी है, इसके लिए आपको यह फर्क करना होगा। कौन सी जेनुइन है, कौन सी महज जमीन हड़पने के लिए बनाई गई है। तो ऐसा आप कर देंगे, तो इन चीजों को आप को अपने सामने रखना है। यह भी मेरी गुजारिश है कि इण्डस्ट्रीज आनर्स को जो एक्जम्पशन किया है, उसमें यह बू आती है कि बिजनेस मैन और करोड़पतियों को एक्जम्पशन दिया है। आज स्टेच्यु सर्किल के चारों तरफ जो बिल्डिंग खड़ी हुई हैं, वह सब करोड़पति लोगों की हैं जो हमेशा खाली पड़ी रहती हैं। ऐसे लोगों के लिए 4–5 रूम का फ्लैट काफी है। इतनी बड़ी बड़ी जमीन क्यों दी गई हैं। यहां से गरीब लोगों को हटाया

(श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली)

गया । शिड्यूलकास्ट लोगों को हटाया गया है । गवर्नमेण्ट ग्रौर ग्राफिसरों का यही रवैया था कि डेढ़ डेढ़ रुपये में ऐसी जमीनें गरीबों को क्यों दे दी जायें । हमें कहा गया कि ग्राप यह क्यों सजेस्ट कर रहे हैं कि डेढ़ डेढ़ रुपयों में इन लोगों को जमीन दे दी जायें । ये तो भंगी है । शिड्यूलकास्ट है । मैंने कहा कि ग्राप जैसे ग्राफिसर इस समाजवादी सैटग्रप के काबिल नहीं हैं । बड़े ग्रादमी बैठे रहते हैं, उनको जमीन दे दी जाती है । इसीलिए मैं यह जानता हूं । यहां पर जनता कालोनी है, वहां पर 3-4 भट्टे चलते थे । मैंने कहा था कि इन लोगों को यहां बसा दिया जाये । तो ग्राई. ए.एस. ग्राफिसरों ने कहा कि इनको कैसे जमीन दी जा सकती है । फिर यह कहा गया कि ये यहां रहेंगे तो हमारे बच्चे खराब हो जायेंगे । ऐसे ग्राफिसर लोगों को राकेट में बैठकर चांद में भेज दिया जाना चाहिए । ऐसी स्थिति पैदा हो रही है । ग्राप को यहां इस को हल करने के लिए यह निहायत जरूरी है कि बिग बिजनेस मैनों के पास जयपुर के इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनको लिया जाये, मजदूरों को नहीं लिया जाये । जैसे मुकर्जी का कारखाना है; बहुत बड़ी जमीन उनको मजदूरों के मकान बनाने के लिए दी गई थी । वह कारखाना मुन्तकिल हो गया है । वह मुकर्जी की जमीन बेची जा रही है । मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । ग्राज वह गवर्नमेन्ट की जमीन बेची जा रही है । इस तरीके से गवर्नमेन्ट की नीयत पर शुबाह पैदा होता है । सरकार क्यों नहीं इस तरीके के कदम उठाना चाहती है । हजारों एकड़ जमीन जो मुकर्जी को मजदूरों के मकान बनाने के लिए दी गई थी, वह बेची जा रही है उनको कोई देखने वाला नहीं है । तो मेरा कहना यह है कि जो बिग बिजनेस मैन हैं उनको संरक्षण मत दीजिये । ग्राप समाजवाद का मजाक मत उड़वाइये । इसके बाद में सेविंग क्लास पर ग्राना चाहता हूं । जो ऐन्टी सोशल एलीमेन्ट है उसको तो एक साल की सजा होती है । लेकिन इन लोगों के लिए ग्रापने 5,000 रु. जुर्माना रखा है । जो 50 लाख की प्रापर्टी छुपा रहा है, उस पर 5,000 रु. का जुर्माना होना है तो हो जायेगा । इसके लिए मैं कहूंगा कि ग्राप दो महीने की सजा रख दें । तभी बिग बिजनेस मैन सोचेगा कि ग्रगर मैं छुपाऊंगा तो मारा जाऊंगा । यह काग्नीजीविल ग्रोफेंस हो । इस किस्म की गलत रिपोर्ट देता है तो उसके लिए ऐसा प्राविजन होना चाहिए ।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

लेकिन एक महीने की जेल जरूर होनी चाहिए । जो प्राविजन है वह सराहनीय है । इन्हीं सुझावों के साथ मैं समाप्त करूंगा । ग्रौर गुजारिश करूंगा कि जो ग्रमेंडमेन्ट रखे हैं, वह ग्रागे ग्राने वाली चीजों के सूचक हैं । इसीलिए इन पर ग़ौर करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (ग्रन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1972 प्रस्तुत है । एक्ट ग्राज से पहले प्रस्तुत हो चुका है लेकिन कब से एक्ट लागू होगा–इस सम्बन्ध में कोई घोषणा उस समय नहीं की गई ग्रौर ग्राज दलील के तौर पर यह कहा गया माननीय मंत्री द्वारा कि प्रेसीडेंट से कन्सेन्ट नहीं मिलने के कारण यह एक्ट इमीजियेटली फोर्स में नहीं ग्राया । ग्रब वस्तु स्थिति क्या

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है और सारे देश के अन्दर इस प्रकार के बिलों की स्थिति क्या है–वह स्पष्ट सामने है। इस सदन में हम लोगों ने बारम्बार मांग की थी कि आज आप एक्ट ला रहे हैं, आज ही इस एक्ट को लागू कीजिये। इसके अलावा, यह प्रश्न भी बारम्बर उठाया गया, एक्ट आ गया, इसके बावजूद अव्वल तो हम लोगों ने सबसे पहली बात तो यह रखी थी सदन में मैंने और मेरी पार्टी की ओर से, कि यह तीन लाख की सीलिंग कर रहे हैं इसमें सारे राजस्थान में सौ, डेढ़ सौ से ज्यादा केस नहीं आने वाले हैं। इस सारे दौर का विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं का असेसमेन्ट देखें, और मुख्य पत्रों का असेसमेंट देखें। उनका असेसमेन्ट यह है कि इस तीन लाख की सम्पत्ति के सीलिंग से कोई सौ डेढ़ सौ से ज्यादा घराने सारे राजस्थान के अन्दर प्रभावित नहीं होने वाले हैं। इसलिए मेरी पार्टी ने उस समय मांग की कि दो लाख की सम्पत्ति पर सीलिंग लागू की जाय तब तो कुछ सम्पत्ति प्राप्त हो सकती है सरकार को भूमि सम्पत्ति और दूसरी सम्पत्ति, नहीं तो और सम्पत्ति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है, बहुत नेगलीजेबल सम्पत्ति प्राप्त होगी। दूसरे उस समय यह मांग भी बारम्बार प्रस्तुत की, आज राजे-महाराजे बड़ी बड़ी जमीन बेच रहे हैं, बड़े बड़े लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं और जब यह लोग जमीन बेच देंगे, उसके बाद इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाने की क्या उपयोगिता होगी। माननीय मंत्रीजी ने कहा, हमने प्राविजन डाल दिया है। मैं प्राविजन पढ़ कर सुनाता हूं, जो उन्होंने उसमें रखा है और जिसे रख कर वह काफी संतुष्ट हो रहे हैं :

"If on or after the 16th August, 1971 any person has transferred any urban property owned by such person, such transfer shall be deemed to be a transfer made to defeat the provisions of this Act and the property so transferred shall, for the purposes of this Act, be deemed to be owned by such person."

अब महाराजा जयपुर ने दो करोड़ रुपये में प्लाट काट कर राम बाग की जमीन को बेच दिया। महाराजा जोधपुर ने डेढ़ करोड़ की सम्पत्ति बेच दी। बून्दी के महाराजा ने फूलसर का सारा का सारा जंगल ही बेच डाला। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह कहते हैं कि 16 अगस्त, 1971 से पहले यह सम्पत्ति है, यह राजा जयपुर की मान ली जायगी या उनके वारिस के नाम से मान ली जायगी। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से हजारों मध्यम वर्ग के लोग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग, जिनके हक के लिए हम पुकार रहे थे इस सदन में और जिन्होंने थोड़ी थोड़ी कीमत पर प्लाट ले लिये हैं, महाराजा जयपुर के वह प्लाट हो जाने के बाद वह कहां जायेंगे ? आखिर उन लोगों को कहां न्याय मिलेगा ? सैंकड़ों लोग हैं जिन्होंने राजा-महाराजा की थोड़ी थोड़ी कीमत पर जमीन ले ली है, क्या वे अदालतों के दर्वाजे खटखटाते फिरेंगे ? इन लोगों के प्रश्न को सामने रख कर कहा था कि तुरन्त ही सम्पत्ति की बिक्री पर रोक लगायी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जो एक्जेम्पशन प्रस्तुत किये हैं, कुछ एक्जेम्पशन

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

को न स्वीकार करें, और एक्जेम्प्शन्स को मेरे दल के चीफ व्हिप ने भी स्वीकार किया है, कुछ एक्जेम्प्शन हैं,

"....an industry, commerce, trade or business professional activity, hotel cinema, private hospital, educational, institution or public club, provided that the urban property may be so owned and used in accordance with all the laws rules, bye-laws, regulations orders etc...."

तो उपाध्यक्ष महोदय, आज महलों के दरवाजों पर होटल के पट्टे लग गये हैं। आज लालगढ़ पैलेस में जायें, दो तीन बीघा के क्षेत्र में महल बिखरा हुआ है लेकिन करणीसिंह होटल का पट्टा लग गया है। राम बाग होटल का मामला सदन के सामने प्रस्तुत हुआ था, इंडियन होटल कोर्पोरेशन ने राम बाग पैलेस को रहस्यमय तरीके से हजारों रुपये के स्टाम्प की सरकार को चोट देते हुए इस होटल को खरीदा और खरीददार थे टाटा, देश के सबसे बड़े करोड़पति। आज उन्होंने होटल को सम्पत्ति बना लिया। यह होटल चले या नहीं लेकिन करोड़ों रुपये की सम्पत्ति में टाटा आकर बैठ गये क्योंकि होटल को रिलेक्सेशन है, सरकार हाथ नहीं लगा सकती। फिर क्लब ! आखिर क्लब क्या बला है। बड़े आराम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लब क्लब हैं, लाइन क्लब, कोई टाइगर क्लब, कोई रोटरी क्लब तो कोई और क्लब। क्लब ही क्लब। कभी क्लब लाइफ को, आज जिसे गरीब कहा जाता है, जो झोंपड़ी और झुग्गी में रहता है, एन्जोय कर सकता है। लेकिन क्लब है, सम्पत्ति पर क्लब का पट्टा लगा दिया और क्लब का रजिस्ट्रेशन कराया और एक्जेम्प्शन में आ गये। कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज। ठीक है। कम्पनी के सम्बन्ध में निवेदन है, कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 756 के तहत जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको मान लेंगे। लेकिन इन्डस्ट्री कामर्स, विशेष कर कामर्स शब्द इतना वाइड है कि जो पूरी गुंजाइश देता है कि आप अपनी सम्पत्ति को कामर्स के नाम से प्रोटेक्ट कर लें। अभी थोड़ी देर पहले कोकाकोला, गोल्ड स्पोट कम्पनी का मसला आपके सामने प्रस्तुत किया। कोका-कोला, गोल्ड स्पोट फैक्ट्री सौ बीघा धरती पर है। कम्पनी की एक्चुअल कन्स्ट्रक्शन एक दो बीघा में है, बाकी 98 बीघा धरती या 38 बीघा धरती, जो इस देश के दिग्गज पूंजीपति इजारेदार जयपुर साहब हैं उनके पास है। धारिया साहब की इंडस्ट्री हो गई, वह इंडस्ट्री एक दो बीघा में है लेकिन 98 बीघा धरती, जिसमें शहर बस सकता है, उसको कैसे रिज्यूम करेंगे, कैसे लेंगे, धारिया साहब की जमीन को कैसे लेंगे। ऐसे लेकूनाज इसमें हैं। इसी तरह से रिलीजिअस इन्स्टीट्यूशन्स...

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, सदन का समय जब तक बिल पास न हो जाय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या विधेयक के पारित होने तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ा दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इससे बच कर निकलने का रास्ता इस बिल में मौजूद है। जहां तक रिलीजिअस इन्स्टीट्यूशन्स या धार्मिक संस्थायें हैं, उनकी सम्पत्ति पर हाथ डालने का प्रश्न नहीं पैदा होता, चाहे गुरुद्वारे की हो, चाहे मंदिर की हो, चाहे मन्दिर की हो लेकिन मंदिर जहां मंदिर है, गुरुद्वारा जहां गुरुद्वारा है, मस्जिद जहां मस्जिद है, यह नहीं कि पांच हजार बीघा जमीन गलता के महन्त के नाम पर हैं, तो गलता के महन्त की धरती मत लीजिये, वह धार्मिक संस्था है। बालेश्वर नाथद्वारा का महन्त है, उसके साथ सैकड़ों बीघा जमीन लगी हुई है, उसको नहीं लेंगे। यहां एक महन्त साहब के पास बीस इमारतें हैं और महन्त चौड़े हुए और बीस इमारतों में फैले हुए हैं, वह धरती मत लीजिये। यह स्पष्ट होना चाहिए, जिस स्थान पर मन्दिर हैं, पवित्र मन्दिर, जिस स्थान पर मस्जिद हैं, जिस स्थान पर गुरुद्वारा है, जिस स्थान पर गिरजाघर है उसको नहीं लेंगे, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई सम्पत्ति मन्दिर के नाम पर नहीं छोड़ी जा सकती है। इसकी आज का समाजवाद इजाजत नहीं दे सकता। आज प्रतिक्रियावादी तत्व के हथकण्डे हैं कि मन्दिर के नाम पर भूमि तथा सम्पत्ति को छोड़ दिया जाय। उसको अधिग्रहण किया जाना चाहिए सख्ती के साथ अधिग्रहण किया जाना चाहिये (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) अब मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए केवल एक बात अर्ज करना चाहूंगा। जो क्लाज इस बिल के अन्दर पैनल्टी लगाने के सम्बन्ध में है।

यह एक स्वागत योग्य क्लाज है और पहली बार आपने इसको पैनल आफेंस बनाया है, और आपने इसमें पनिशमेंट जो रखा है वह है पांच हजार रुपये का जुर्माना या एक साल की जेल या दोनों एक साथ। और सेक्शन पांच के अन्दर जो आफेंस करता है उसके लिए आपने एक हजार रुपये की पेनल्टी रखी है। हां, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पेनल्टी का सवाल है और पैसे का सवाल है, जिस आदमी ने करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बेच दी है, उसके लिए पांच हजार रुपये देने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली, और वह जिस मजिस्ट्रेट के पास जायेगा जिस मजिस्ट्रेट की अदालत में एक करोड़पति जाकर खड़ा होगा, तो वह मजिस्ट्रेट भी पांच हजार रुपया जुर्माना ही करेगा, जेल की सजा देना भूल जायेगा, इस समाज का ऐसा ही रवैया हमने देखा है और सुप्रीम कोर्ट तक ने भी हमको यही सबक सिखाया है। जहां राजाओं और महाराजाओं के केस सुप्रीम कोर्ट में गये हैं, उनकी जजमेंट ले लीजिये, नेशनेलाइज्ड बैंक्स के बारे में जजमेंट देख लीजिये, वहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनता के फैसले से टकराया है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा निकाल दीजिये और केवल जेल की सजा ही रखिये, इसको पेनल आफेंस बना दीजिये, कागनिजेबल आफेंस बनाइये, और नान कम्पाउन्डेबल आफेंस बनाईये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्लेरीफिकेशन बाद में, पहले मंत्री महोदय का जवाब आने दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं एक दो मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा।

(विराम)

मंत्रीजी ने इजाज़त दे दी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं केवल अमेंडमेंट्स पर सुन रहा हूं।

. . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : अमेंडमेंट्स पर ही खुलासा करना है।

मंत्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, और गुजरी दफा भी जब इस पर चर्चा हुई थी, तब मैंने निवेदन किया था कि जिस ढंग से हम इसका प्रभाव जनता के हित में उपयोग करना चाहते हैं और जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उसमें हम विफल हुए हैं। हमने यह तय किया था कि इसको 16-8-71 से लागू किया जाये, उस समय भी मैंने यह कहा था और उस समय भी माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उस तारीख के बाद जो बिक्री हुई है वह अवैध मानी जायेगी। अब मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जयपुर शहर के अन्दर करोड़ों रुपये की ट्रान्जेक्शन्स हुई हैं, मुझे उनकी कोई चिन्ता नहीं जो बड़े आदमी हैं, जैसे महाराजा ने एक करोड़पति को जमीन बेची। उसके लिए भी मैंने कहा था लेकिन उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं लिया गया, हां इतना जरूर हुआ कि उस जमीन का सब डिवीजन मन्जूर नहीं हुआ और आज वह करोड़पति और महाराजा दोनों बैठे हुए हैं। लेकिन एक चिन्ता है मुझे। दुर्गापुरा के अन्दर जमीन बेचने का अधिकार जो नहीं था, जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी इन्वेन्टरी पेश की थी और मैं पुनः मंत्री महोदय से कह देना चाहता हूं कि जमीन की बिक्री हुई है और सैकड़ों लोगों ने, जो निम्न और मध्यम वर्ग के थे, उन्होंने खरीदी है, उन्होंने रुपये दिये और रजिस्ट्रेशन हुआ और उन्होंने मकान बनाना भी चालू कर दिया। उसमें हुआ यह है कि जमीन तो पांच हजार में बेची गई, लेकिन रजिस्ट्री में दो हजार ही दिखाई गई, और तीन हजार रुपये बाहर ही बाहर विक्रेता के जेब में चले गये। आज जिस गरीब आदमी ने वह जमीन खरीदी है, उसको अगर आप अवैध करार देते हैं तो वह अगर मुकदमा करके विक्रेता से पैसे वापिस भी लेना चाहे तो उसे केवल दो हजार ही मिलेंगे, जब कि पहले तो उस गरीब आदमी के लिये मुकदमा लड़ना भी बहुत भारी पड़ जायेगा। एक तरफ तो जयपुर का महाराजा और दूसरी तरफ वह गरीब आदमी कैसे मुकदमा लड़ सकेगा? जिस गरीब आदमी ने नक्शे पास कराने के लिए भी काफी पैसा खर्च किया है, वह लोग मुकदमे लड़ने की हैसियत में नहीं हैं। पहले यह था कि जिस दिन राष्ट्रपति के दस्तखत होंगे उस दिन से वह लागू होगा, तो उन्होंने मकान भी बना लिये। अब उन लोगों की क्या स्थिति होगी? उन मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं?

आज जयपुर के अन्दर 125 एग्रीकल्चरल हाउसिंग सोसाइटीज के अन्दर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का कैपीटल उन लोगों का बन्द पड़ा हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि 25 या 30 रुपये लेकर उनको फ्री करेंगे। जयपुर के हजारों लोग इससे परेशान हैं। नगर विकास न्यास, जिसकी यह जिम्मेदारी थी कि उन लोगों को सस्ती दर से जमीन उपलब्ध कराये ताकि मध्यम और निम्न वर्ग के लोग अपना मकान बना कर रह सकें। आपने वहां

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पर दो दो आई. ए. एस. आफिसर्स बिठा रखे हैं, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से उन्होंने क्या किया 14 महीनों में। जगह जगह जमीन का भाव बढ़ा और जिन जागीरदारों और राजाओं के पास बड़े बड़े इलाके पड़े थे, वह उन्होंने बेच दिया, और खरीदा किसने ? मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों ने जो आज भी उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिये हमने क्या किया ? उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है और उनको प्रोटेक्ट करने की बात को लेकर ही हम यह सारा आधार बना रहे हैं।

परसों राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि हमारी कामनमैन के प्रति जिम्मेदारी है, उनको आवास देने की जिम्मेवारी है, लेकिन हमारा नगर विकास न्यास इन बारे में विफल रहा है। 15 वर्ष के अर्से में केवल 2000 भू-खंड उन्होंने वितरित किये हैं जबकि आबादी 6 लाख से बढ़कर 9 लाख हो गई है। और जो लोग इन बड़े आदमियों के चक्कर में फंस गये, आज उनके यहां न नल है, न बिजली है। हम लोगों की जिम्मेदारी है उन कामन आदमियों के प्रति, उनकी आवश्यकताओं के प्रति। उनके लिये सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है।

आज ताल कटोरा का मैदान जो विधान सभा के सामने है, वहां एक वर्ष के दौरान सैंकड़ों मकान के लिए आवास बने हैं, और वहां रहेगा वह गरीब जिसने पांच हजार दिये हैं लेकिन रसीद जिसको केवल दो हजार की ही प्राप्त है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसका कोई हल निकालें ताकि गरीब आदमी, कामन आदमी को राहत मिल सके। आज बड़े शहरों, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर में आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिये इस प्रकार की योजना बनायें कि जो बड़े बड़े भवन हैं, जिनको हम सीलिंग कानून में लेना चाहते हैं, उनको मुआवजा देकर ज्यादा से ज्यादा गरीब और कामन आदमियों को अलाट किया जाये ताकि उनकी आवासीय समस्या हल हो सके।

दुर्गापुरा का कृषि फार्म, जो 12 मील की परिधि में आता है, उसको बेचने का राइट नहीं था, लेकिन क्यों कि पुराने जमाने के महाराजा हैं इसलिये उसका स्थानान्तर किया गया। मैंने राजस्थान के मुख्य सचिव को भी लिखा कि करोड़ों रुपयों की जमीन हड़प हो रही है और उसको रोक लिया जाये और सही लोगों को बांट दी जाये, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हुआ। और अब वहां पर भी यही स्थिति आयेगी कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ही मरेंगे। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सैकण्ड जो आदमी वहां पर रह रहा है उसकी रहने की व्यवस्था वहां पर ही की जाये, और महाराजा ने जो रुपये लिये हैं, उनसे वह रुपये लेकर उन लोगों के लिये वहां पर सड़क और बिजली की व्यवस्था कर दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : नगर आयोजन मंत्री श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (नगर आयोजना मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी इसके ऊपर जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये जिसमें कुछ सदस्य अभी इस सदन में मौजूद नहीं हैं फिर भी मैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने अपनी शंकायें व्यक्त की हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि उन्होंने यह चार्ज गवर्नमेन्ट पर लगाया है कि गवर्नमेन्ट का इरादा पाक नहीं है। तो मैं उन माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का इरादा नापाक नहीं बल्कि पाक है। यहां पर यह भी कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि सीलिंग की लिमिट जो तीन लाख रखी है वह तीन लाख से कम की जाय। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार अपने कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोगों को फायदा पहुँचाए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर राज्य सरकार के आंखों के ऊपर तो वेस्टेड इन्टरेस्ट के चश्मे नहीं लगे हैं। परन्तु जिन्होंने यह शब्द कहे हैं उनके जरूर वेस्टेड इन्टरेस्ट के चश्मे लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने जो यह आर्डिनेन्स निकाला उसका मेन कारण यह है कि हमने इसी विधान सभा में नगरीय अधिकतम सीमा के बारे में एक बिल पास मई 72 में किया है। लेकिन चूं कि अभी तक उस पर एसेन्ट आई नहीं है इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग अपनी प्रोपर्टी को बेच दें या ट्रांसफर करदें उसके लिए यह आर्डिनेन्स लाया गया और उसी के ऊपर यह बिल लाया गया है। इस बिल के ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह साफ दिया हुआ है कि जो बिल हमने पास किया था उसके ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स डिफीट न हो। यहां पर यह भी बात कही गई है कि अभी तक यह भी पता नहीं लगाया गया है प्रोपर्टी के कितने मकानात इस शहरी सम्पत्ति के नीचे आयेंगे तो उसके बारे में आपको यह स्पष्ट निवेदन करदूं कि करीब 200–300 मकानात ऐसे होंगे जो कि इसके अन्तर्गत आयेंगे। इसके अलावा कुछ प्रोपर्टी म्यूनिसिपल टाउन के अलावा भी हो सकती है। पर चूं कि अभी तक प्रेसीडेंट की एसेन्ट पहले वाले बिल पर नहीं आयी इसका कारण यह भी हो सकता है कि भारत सरकार भी इस बारे में सोच रही होगी इसलिए ऐसेन्ट नहीं आयी है इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि उसमें क्या स्लेब रखी जाएगी। तो इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय हमने इसमें जो प्रोवीजन्स रखे हैं वे इस प्रकार रखे हैं कि वह मेन बिल्स के प्रोवीजन्स के एगेन्स्ट में हो जाय। इसके अलावा यहां पर कुछ जोधपुर के महाराजा के बारे में भी कहा गया है कि उन्होंने काफी जमीनें बेच दी हैं। तो इसके बारे में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्होंने भी उसके लिए दस्तावेज पेश किये हैं वह मामला रेवेन्यू विभाग के विचाराधीन है और वहां पर इस मामले की जांच हो रही है। उन्होंने कहा है कि हमने कोई सब डिविजन आफ प्लाट्स नहीं किये हैं। यहां पर यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार अपने ही लोगों को एगजम्पशन्स करने जा रही है लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं f राज्य सरकार किसी को भी एगजम्पशन देने नहीं जा रही है। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता हूं कि जिस दिन से हमने शहरी सम्पति विधेयक पास किया है उसके

(श्री परसराम मदेरणा)
बाद में किसी भी इन्डस्ट्रीयल हाउस को किसी भी प्रकार का एगजम्पशन नहीं किया गया है। हमने इस बिल में पहले वाले प्रोवीजन्स ही रखे हैं। आप इस बिल का क्लौज बार पढ़ कर देखिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस में बहुत ही वेग टर्म रखा है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर देता हूँ पढ़ कर माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिए:—

(b) any urban property or part of the property.

× × ×

(ii) owned and used by the owner him self for the exclusive purpose of an industry, commerce, trade or business, professional activity, hotel, cinema, private hospital, educational institution or public club provided that the urban property may be so owned and used in accordance with all the laws, rules, byelaws, regulations, orders etc., if any, made by the Central or the State Government, Municipality, Urban Impovement Trust or any other competent officer or authority;

Explanation:—The urban property or any part of it, for the purpose of clause (i) (b) shall also be deemed to be used for the exclusive purpose of an industry, commerce, trade or business professional activity, hotel, cinema, private hospital educational institution or public club, as the case may be, provided it is used for providing housing accommodation to its employees and labourers, not being its owners, partners directors, share-holders and the like and not used or kept for use as a guest house or the like."

इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ एम्पलोयी और मजदूरों को ही लिया गया है। उन्हें ही एगजम्पशन किया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसमें भी वेग टर्म रखा गया है साहब।

श्री परसराम मदेरणा : यह आपको वेग टर्म दिखता है लेकिन असलियत में वेग टर्म नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगा तो मैंने इसकी लीगल राय लॉ डिपार्टमेन्ट से ली तो यह वेग टर्म नहीं है। तो इसमें यह भी निवेदन कर दूं कि इसमें सजा का भी प्रावधान रखा गया है। अगर आपने पढ़ा हो तो...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सजा आपने जो रखी है वह कम है। एक महीने की रखी जानी चाहिये। कम्पलसरी।

श्री परसराम मदेरणा : दो साल की सजा है। सजा देना तो कम्पलसरी या नहीं देना तो डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज के हाथ में है। इन्क्वायरी होने पर ही कह सकते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं तो कह रहा हूं कि जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया है उनके लिये।

श्री परसराम मदेरणा : वो सजा नहीं है वैसे ट्रांसफरी के लिये रखी है लेकिन खरीददार के लिये नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके खयाल से गलत हो सकता है। मेरे खयाल से गलत नहीं है। यहां पर इसके अलावा यह बात भी कही गयी है कि काफी जमीनों पर मकानात बन रहे हैं और वे जमीनें एग्रीकल्चरल लैंड थीं बिना कनवर्शन के मकानात बन गये हैं और दूसरी जमीनों पर भी कन्स्ट्रक्शन्स हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैं उनको निवेदन करूं कि पहले भी ऐसा प्रावधान था। पुराने कानून के लागू होने यानि 16 अगस्त 1971 के बाद किसी प्रोपर्टी का ट्रान्सफर किया है तो वह वायड होगा। वह नहीं माना जावेगा और वह उसी व्यक्ति की प्रोपर्टी होगी और उसका डिटरमिनेशन वैसा ही होगा। आज भी ऐसा प्रावधान है। उस विधेयक के अन्तर्गत न मिली तो यह विधेयक तो उसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिये कदम है।

दूसरी ताल कटोरा वाली जमीन के लिये बात कही। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य यहां के निवासी हैं और वे सब ही गलियां मोहल्लों से वाकिफ हैं। मुझे ताल कटोरा कहां है मालूम नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सामने ही रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : सब बातें सामने हो रही हैं। ताल कटोरा को मेरे सामने कोई फैक्ट्स न हों तो मैं उत्तर नहीं दे सकता। एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं, आबादी लैंड थी और बेची, सीलिंग के परपज को डिफीट करने के लिये कर रहे हैं उनको लीगल करार न दें इसलिये तो यह बिल लाये हैं। प्रायर प्रेसिडेन्ट की सेन्क्शन के हमने यह आर्डिनेन्स लागू किया। इसलिये किया कि कोई इफाक्ट न हो। लागू तब से किया है जब से यह आर्डिनेन्स निकला है 13 फरवरी, 1973। उससे पूर्व 16 अगस्त, 1971 का है ही। 16 अगस्त, 1971 और 13 फरवरी, 1973 के बीच में जो ट्रान्सफर हुए हैं वे वायड हैं। ट्रान्सफरी की बात कर रहे थे अन्डर वेल्युएशन में लाकर बना लिये वे ट्रान्सफर्स लीगल करार हो जाते हैं, ट्रान्सफर्स जनाइन आदमी को है और उनकी पूर्ति के लिये उसके लिये कुछ करना चाहिये, यह प्रश्न आपके प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है। मकान बना लिये, प्लिन्थ लेवल तक बना लिये तो रेगुलेराइज हो गये कन्वर्शन चार्जेज भी ज्यादा बताये। एग्रीकल्चर लैंड जिन लोगों ने खरीद ली और प्लिन्थ लेवल तक नहीं बनाये और जिन्होंने बना लिये उनको तो कन्स्ट्रक्शन करने की इजाजत दी, काफी बड़े लोगों को नोटिस मिला और बना लिये तो डिमोलिश कर रहे हैं। 28 तारीख को इस पर मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं। मुझे किस प्रकार आदेश हुआ कि मैं इस पर वक्तव्य दूं जब कि इसका सम्बन्ध मेरे से नहीं है। 16 अगस्त, 1971 के बाद चीफ मिनिस्टर की घोषणा के बाद जो पजेशन है वह टाउन प्लानिंग में आता है। कन्वर्शन और एग्रीकल्चर का सवाल तो मेरे से सम्बन्धित है। तब

Page No 128

(128)

(श्री परसराम मदेरणा)

भी यह पोलिसी का सवाल है। मंत्रि मण्डल के विचाराधीन है। आपने जो विचार दिये हैं उनका ध्यान रखा जायगा।

विधेयक लाये हैं। वे रिपीट न हों। प्रोपर्टी का ट्रान्सफर करने जा रहे हैं इसके बाद कोई कानून बनाया जावेगा तो उसके उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1973 को जनमत जानने के लिये प्रचारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय ?

श्री केदार नाथ : एक बात है। रिलीजियस ट्रस्ट्स हैं उनके पास से सीलिंग से अधिक भूमि ले ली और एन्यूएटी दे दें। क्लाज 4 पर एक्जम्पशन्स हैं

Act not to apply to certain urban properties..........any public charitable or religious trust"

श्री परसराम मदेरणा : सुझाव क्या है ?

श्री केदार नाथ : सीलिंग से अधिक प्रोपर्टी है तो आप अपने हाथ में ले लें और एन्युएटी दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उस वक्त भी संशोधन आया था। यही प्रावधान आगे भी मैंने विधेयक में रखा है। और अब भी वैसा ही प्रावधान रखा गया है। ऐसी एक्टीविटीज जहां है वहां इनको एक्जम्पशन दिया जाना चाहिये। भारत सरकार ने भेजा है वहां। यूनिफार्म बेसिस बनेगा उसमें भी एक्जम्प्शन्स हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने तवज्जह दिलायी थी सैक्शन 8सब सैक्शन 2। डिक्लेयर और सैलर दोनों झूठे डिक्लेरेशन देते हैं, जैसा आपने प्रोवाइड किया है :—

"if any person who is under an obligation to file a declaration under section 6 makes any such declaration

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

which he knows or has reason to believe to be false, he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees."

मेरा अर्ज यह है कि फाल्स डिक्लेरेशन है तो जहां कोई रूरल प्रोपर्टी है तो आपने 6 महीने की सजा रखी है और अर्बन प्रोपर्टी है तो 1 हजार रुपया जुर्माना रखा है। सेलर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जैसा आपने फरमाया यदि इसमें भी सजा नहीं होगी और केवल जुर्माना ही होगा तो जुर्माना तो कोई भी अदा कर देगा।

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज 6 सब-क्लाज "(a) the transferor makes a declaration, in writing in such form as may be prescribed, and files it before such officer that he does not own urban property including the urban property which is being transferrerd in exess of the specified limit and the transfer so made is not in contravention of the provisions of this Act; and (b) the transferee makes a declaration in writing in such form as may be prescribed, and files before such officer, as to the total value of urban property owned by him and further makes a declaration in writing before such officer that the value of urban property already owned by him together with the value of urban property to be transferred to him will not exceed the specified limit."

डिक्लेरेशन दोनों को ही देना है। मैंने इसीलिये कहा था कि 6 (ए) ट्रांसफर के लिये है और 6 (बी ट्रांसफरी के लिये है। ट्रांसफरर ने ठीक डिक्लेरेशन नहीं दिया और वायोलेशन किया तो क्लाज 8 में से 2 लाख की सजा और 5 हजार रुपया जुर्माना रखा गया है जहां तक ट्रांसफरी का प्रश्न है उसमें रखा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : applies to both, transferor and transferee.

दूसरे वाले में आपने सजा नहीं रखी है उसको सजा हो ही नहीं सकती फाल्स डिक्लेरेशन पर भी। 1 हजार रुपया जुर्माना दे देगा।

श्री परसराम मदेरणा : ट्रान्सफरी को 1 हजार रुपया जुर्माना और if any person contravenes the provisions of section 5......"

इसका मतलब यह है कि उसमें वर्ड हमने रखा है सैक्शन 5 में ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जी।

श्री परसराम मदेरणा : जो सैलर है उसको कन्ट्रावीन करते हैं सैक्शन 5 को ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : After the commencement of this Act, no person owning urban property in excess of the specified limit shall transfer such property by way of sale, mortgage, gift or otherwise or effect a partition

Page No 130

(130)

श्री मोहमद गफ्फार अली : वह ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : He has committed an offence under sec. 5 of the Act.
इसलिए उसको यह रख दी गई, जो ट्रान्सफरी है ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा मतलब है, दोनों पर लागू होगा। फाल्स डिक्लेरेशन कर दिया और there must be a penal offence इसलिए मेरा निवेदन है यह दोनों पर लागू होना चाहिये....

श्री कँवार नाथ : चलो पारित करो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

[स्वीकृत]

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 5.32 बजे मंगलवार दिनांक 27 फरवरी, 1973 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

[तारांकित प्रश्न संख्या 121 की सूची]

सूची उन व्यक्तियों की : जिनकी आवंटन की पत्रावलियें राज्य सरकार को उचित आदेश हेतु प्रस्तुत की गई मुतलिक जिलाधीश, चित्तौड़गढ़

क्र. सं.	नाम आवंटी मय वल्दियत, कोमियत, सकूनत	भू आवंटन किया तारीख भू आवंटन	नाम गांव	रकबा
1.	श्री लादूराम पिता जानकीदास वैष्णव सा. चित्तौड़गढ़	17/11/68	सैंती	5)
2	श्री गहरीलाल पिता रखबदास नन्दवाना साकिन राजसमंद	„	„	5)
3.	श्री सज्जनसिंह पिता तखतसिंह राजपूत निवासी बान्सी	17/7/79	हमेपुर	12)
4.	श्री नानूराम पिता मोतीलाल भण्डारी साकिन चित्तौड़गढ़	7/3/69	आकोड़िया	5)
5.	श्रीमती धापूबाई बेवा मोहन नाई साकिन चित्तौड़गढ़	30/11/68	सेगवा	4)
6	श्री गोपाललाल पिता दुर्गाशंकर गौड निवासी उदयपुर	29/1/69	सूरजपोल	8)
7.	श्री ऊंकारलाल पिता शिवलाल बामन साकिन चित्तौडगढ़	29/2/69	सैंती	5)
8.	श्री, रूपसिंह पिता डाडमसिंह राजपूत निवासी मीठारामजी खेड़ा	21/7/69	घामटी का खेड़ा	4)

परिशिष्ट 2

(तारांकित-प्रश्न संख्या 124 की सूची)

गांधी आश्रम सुजानगढ़ द्वारा निर्मित भवनों की सूची

क. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	भवन सं.	विभाग का नाम	दी गई आर्थिक सहायता	स्वयं की पूंजी से खर्च	भवन पर कुल लागत
1	सुजानगढ़	सुजानगढ़	3	राजस्थान खादी तथा गामोद्योग बोर्ड	40,000	53780	93780
	,,	आबासर	1	ग्रामीण औद्योगिक परियोजना	3000	1625-59	4625-58
	,,	कातर	1	,,	,,	5095-53	8095-53
	,,	सांडवा	1	,,	,,	7249-21	10,249-21
2	श्री डूंगरगढ़	श्री डूंगरगढ़ आड़सर	2	,,	6000	10699-71	16699-71
3	चूरू	सातड़ा	1	,,	3000	3305-00	6305-00
4	सरदारशहर	पुलासर	1	,,	,,	1634-89	4634-89
5	तारानगर	मालेरी	1	,,	,,	3357-72	6357-72

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 125 की सूची)

सूची 'म'

नीम का थाना ग्राम तहसील के 10 ग्रामों में बिजली लगी हुई है इनमें कुल 331 कुओं को बिजली दी गई है जिसको ग्रामवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

1	नीम का थाना	142	61–62
2	गोडावास	15	66–67
3	भूवोली	45	66–67
4	सिरोही	29	66–67
5	निमोद	8	69–70
6	गुलाहू	39	69–70
7	गांवोरी	18	70–71
8	गाउन्डी	25	70–71
9	पीठानपुरी	9	70–71
10	मगेगा	1	70–71
		331	

Appendix 'B'

List of 36 villages sanctioned by R.E.C. for electrification.

(1) *Neem-ka-Thana Tehsil*

1. Patan
2. Khar Kher Pancho
3. Dalputpura
4. Meenaki Nagal
5. Mothoka
6. Kantali
7. Kishorepore
8. Dunga ki Nagal
9. Ram Singh ki Dhani
10. Salodra
11. Shimli
12. Bihar
13. Kunwar ki Nagal
14. Dabla
15. Dokan
16. Charanwas
17. Napawali
18. Natha ki Nagal
19. Lakha ki Nagal
20. Jhalra
21. Dayalki Nagal
22. Gaonli
23. Biharipura
24. Nawanda Kalan
25. Jeelo
26. Mankri
27. Mandholi
28. Mahawa
29. Bhagoth
30. Govindpura
31. Ghala
32. Theekriva
33. Harijanpura
34. Basri Khurd
35. Chhapar
36. Basri Kalan

(2) *Other villages surveyed*

1. Peethalsar
2. Byor
3. Sanwalpura
4. Raipura (Jagir)
5. Ajmeri
6. Kishorepura
7. Talera

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 133 की सूची)

क्षति ग्रस्त बंधों की सूची

1. उजान बंध
2. मोट बंध
3. चक्काजी बंध
4. दौलगढ़ बंध
5. बुन्डा वन्ध
6. वहनेराना बंध
7. चिकसाना बंध
8. डेडगांव बंध
9. नगला शेरसिंह बंध
10. मुरकी नं. 2
11. मुरकी नं. 3
12. सिधावली बंध
13. म्यूकानी बंध
14. बारेठा बंध एवं कैनाल
15. मेवला हैंड एफ्लक्स का बंध
16. कुरुका बंध एण्ड फीडर
17. दोरदा बंध
18. बोरोली बंध
19. कुन्दर बाधा बंध
20. महलपुर काछी बंध
21. कादोली बंध
22. शक्करपुर बंध
23. सज्जन वास बंध
24. समाध लोमर
25. खानुआ बंध

बान गंगा रिवर स्ट्रिम

26. वाली बंध
27. जहानपुर बंध
28. नेपाजी बंध
29. भेसाना बंध
30. नेबारा बंध
31. खदराया बंध
32. सरसेना बंध
33. खरोदा बंध
34. बानगंगा मारजन बंध
35. भुसावर बंध
36. घड़ी बंध
37. कोराज बंध
38. भटारीपुरा बंध
39. करोली बंध
40. लालपुर बंध
41. जीवत बंध
42. लोहासा बंध
43. बासी बंध
44. मजरोदा बंध
45. जटपुरा बंध
46. जकमोलापुरा बंध
47. मया बरखोरा बंध
48. मुठाकर बंध
49. खटनावली बंध
50. नगला छीतरिया बंध
51. दम दम बंध
52. परऊआ बंध
53. बगंरा बंध
54. हुड़ी बंध
55. जैसोरा बंध
56. वैसोरा बंध
57. सामन्त गढ़ बंध
58. कनावर बंध

SCHEDULE

S.No.	Name of the post	Source of recruitment with percentage.	Minimum qualifications and experience for direct recruitment.	post or posts which promotion is to be made	Minimum experience and qualifications for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
	Senior Posts		Group B			
*1	Lecturer	75% by promotion & 25% by direct recruitment	IInd Div. Bhisgacharya or its equivalent preference shall be given to the post-graduate.	Demonstrator	Five years experience on the post mentioned in Col. 5.	
	Junior Posts Demonstrator	100% by direct recruitment	IInd Division Bhisgacharya or its equivalent	..	..	..
			Group C			
	Senior Posts Compounders & Nurses Selection Grade.	100% by promotion	..	Compounders and Nurses Grade II	3 years experience on either the post mentioned in Col. 5 with departmental training.	
	Compounders & Nurses Grade I	100% by promotion	..	Compounders and Nurses Grade II	2 years experience on the post mentioned in Col. 5 with departmental training.	
	Junior Posts Compounders & Nurses Grade II	100% by direct recruitment		Bhishag or its equivalent or matric or its equivalent or Departmental training passed		

1	2	3	4	5	6	7
	Laboratory Asstt.	100% by direct recruitment	Matric with Science or its equivalent qualification recognised by the Govt.			
	Botany Asstt.	-do-	-do-			
	Machanic	-do-	Matric or its equivalent qualification recognised by Govt. with experience in Mechanical work			

Page No 139

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 148 की सूची)

1. श्री रिखबदास जैन
2. श्री भंवरलाल बोहरा
3. श्री नेमीचन्द गुलेचा व अन्य इस विभाग के कुछ पट्टाधारी ।

140.

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 134 की सूची)

वर्ष 1971–72 में उदयपुर जिले में खोले गए नवीन औषधालयों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील।पंचायत समिति
1.	गुडली	गिरवा
2.	घोड़च	नाथद्वारा
3.	परसाद	सराड़ा
4.	कारोकलां	सलुम्बर
5.	सिहाड़	वल्लभनगर
6.	वीर अवोलिया	मावली
7.	खरनौता	कुम्भलगढ़

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न संख्या 145 की सूची)

क्रम सं.	नाम परगना	संख्या मुकदमात	वर्ष जब से विचाराधीन है
1	2	3	4
1	परगना अधिकारी, जालौर	1	सन् 1972 से
2	परगना अधिकारी, भीनमाल	4	2 मुकदमात सन् 1959 से 1 मुकदमा सन् 1965 से 1 मुकदमा सन् 1972 से

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 61 की सूची)

आर. जे. वाई. 4538 दिनांक 20-7-70 को उदयपुर जिले में श्री मोती लाल पाठक पुत्र श्री गिरधारी लाल के नाम पंजीकृत किया गया।

आ. जे. वाई. 372 दिनांक 15-11-52 को वकील एण्ड कम्पनी के नाम से उदयपुर में पंजीकृत हुआ।

आर. आर. एल. 4449 दिनांक 10-3-70 को श्री सुरेश कुमार जोशी पुत्र श्री हरिदेव जोशी, फार्म, चौकी चुंगी के पास, अजमेर रोड़, जयपुर के नाम जयपुर जिले में पंजीकृत किया गया। दिनांक 26-6-72 को यह वाहन श्री पृथ्वी सिंह यादव पुत्र श्री बलदेव सिंह केयर आफ न्यू सेठी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी मोती डूंगरी रोड़, जयपुर के नाम हस्तान्तरित किया गया। 19-9-72 को यह वाहन पुनः श्री वेदभूषण सेठी पुत्र श्री बालमुकन्द सेठी, प्रोपराईटर सेठी ट्रान्सपोर्ट, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर के नाम हस्तान्तरित किया गया।

आर. आर. एल. 2355 दिनांक 4-10-69 को प्रभाशंकर सुरेश एण्ड कम्पनी, चौकी चुंगी अजमेर रोड, के नाम जयपुर जिले में पंजीकृत किया गया। दिनांक 17-11-71 को यह वाहन श्री ग्यारसी राम पुत्र श्री पांचराम निवासी ग्राम बैंगाना जिला जयपुर के नाम हस्तान्तरित किया गया।

आर. आर.एल. 2898 दिनांक 5-11-69 को श्री दिनेश कुमार जोशी पुत्र श्री हरिदेव जोशी केयर आफ यूनाईटेड, डिस्टीब्यूटर्स ए-3।सी सवाई जयसिंह हाईवे, बनी पार्क जयपुर के नाम जयपुर जिले में पंजीकृत किया गया। 21-7-72 को यह मैसर्स राजस्थान बिल्डिंग उद्योग, हल्दियों का रास्ता, दरोगा जी की हवेली जयपुर के नाम हस्तान्तरित किया गया।

आर. आर. एल. 1661 दिनांक 6-2-69 को मैसर्स यूनाईटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स ए-3/सी सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर के नाम, जयपुर में पंजीकृत हुआ।

आर. आर. एल. 4311 श्री प्रकाश चन्द निवासी ए-3, सवाई जयसिंह हाईवे जयपुर के नाम 16-4-70 को जयपुर जिले में पंजीकृत हुआ है।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न सं· 68 की सूची)

खेरवाडा तहसील में निम्न तालाब बनाये गये

क.सं.	नाम तालाब	सर्वे के अनुसार सिंचाई आंकड़े (एकड़ में)	मौजूदा सिंचाई (एकड़ में)	लागत (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	लावर गोड़ी	780	249	9.30
2.	हाथियों का नाका	158	123	0.57
3.	भुदर तालाव	500	574	3.81
4.	सीम पिकअपवियर	1300	1365	8.22
5.	गोदावरी का नाका	5.17	125	1.50
		3255	2436	23.40

ऊपर दिए गए तालाब बनाए गए हैं। कोई भी ऐनिकट नहीं बनाया गया है। मौजूदा सिंचाई तीन तालावों पर जो क्रम संख्या 2, 3, 4 पर हैं, अच्छी है। लोवर गोड़ी पर सिंचाई कम होने का मुख्य कारण नहर में ज्यादा सीपेज होना है। नहर के सीपेज को कम करने के लिए रिपेअर का कार्य चालू है। आशा की जाती है कि एक या दो साल में सिंचाई ठीक हो जावेगी। गोदावरी के नाके में सिंचाई कम इसलिए हो रही है कि नहर अभी तक पूरी लम्बाई में नहीं बनी है। नहर का काम इस वर्ष फेमिन में ले लिया गया है। आशा की जाती है कि नहर का काम इसी फेमिन में पूरा हो जावेगा। उसके बाद सिंचाई भी पूरी होने की संभावना है।

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 1973

क्रम संख्या	स्कन्ध संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	3	अन्तिम से 5	दा	ही
2	35	„ 2	लम	लाम
3	39	ऊपर से 15	श्री गौरी शकर	श्री गौरी शंकर
4	46	अन्तिम से 1	पदोन्नी	पदोन्नति
5	57	„ 7	श्री जझार सिंह	श्री जुझार सिंह
6	66	ऊपर से 1	फैसल	फैसला
7	78	„ 7	मागव	मार्गव
8	93	अन्तिम से 5	सन्पति	सम्पति
9	115	„ 6	पश्चा	पश्चात्
10	119	ऊपर से 1	श्री हर देव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
		अन्तिम से 11	श्री गिरधारी लल	श्री गिरधारी लाल
		13	श्री मो. गफ्फा अली	श्री मो. गफ्फार अली
11	134	अन्तिम से 14	कम्पटीशन	कम्पीटीशन
12	150	„ 13	अजीत सिंह	अजीत सिंह
13	170	ऊपर से 17	वड़	बड़ा
14	237	ऊपर से 1	गफ्फार अली	गफ्फार अली
15	250	अन्तिम से 5	f	कि
16	266	ऊपर से 15	एफ	एफ्ले